वार्षिक रिपोर्ट

1998-99

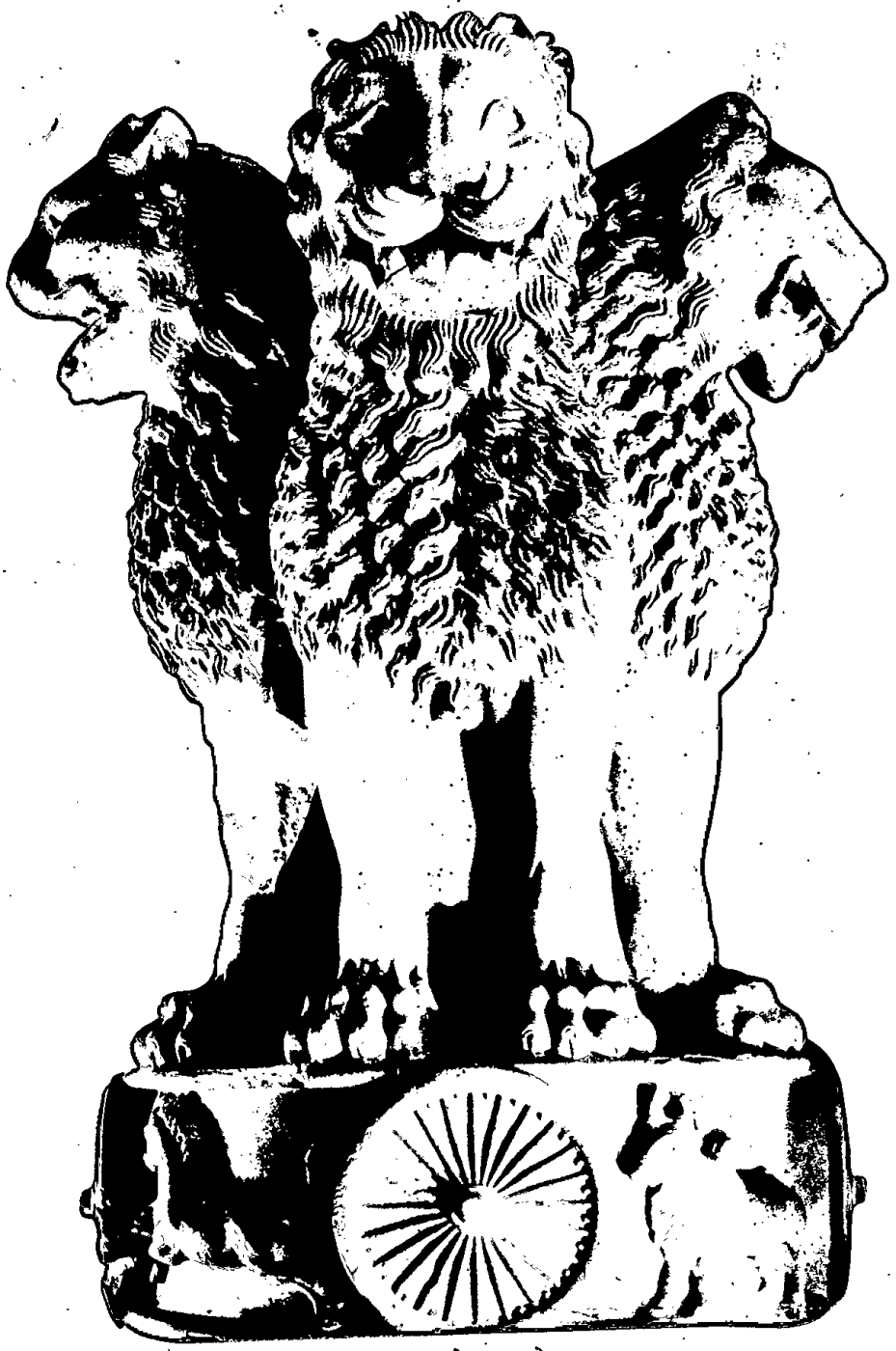

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

आंतरिक सुरक्षा, जम्मू तथा कश्मीर,

राज्य तथा गृह विभाग

नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट
1998-99

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

आंतरिक सुरक्षा, जम्मू तथा कश्मीर,
राज्य तथा गृह विभाग
नई दिल्ली

विषय-वस्तु

		पृष्ठ
1.	संगठन एवं सिंहावलोकन	1-8
2.	गृह मंत्रालय का संगठन और उसके कार्य	9-10
3.	कानून एवं व्यवस्था	11-20
4.	जम्मू और कश्मीर	21-33
5.	पूर्वोत्तर	34-45
6.	संघ राज्य क्षेत्र	46-65
7.	मानवाधिकार	66-70
8.	भारतीय पुलिस सेवा	71-72
9.	केन्द्रीय-अर्द्ध सैनिक बल	73-83
10.	अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठन	84-91
11.	केन्द्र राज्य संबंध	92-96
12.	नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड्स और अग्निशमन सेवा	97-100
13.	राष्ट्रीय एकता	101-103
14.	शरणार्थियों का पुनर्वास	104-107
15.	स्वतन्त्रता सेनानी	108-109
16.	जनगणना	110-112
17.	पुरस्कार और अलंकरण	113-118
18.	राजभाषा	119-121
19.	अन्य मामले	122-126
20.	परिशिष्ट	127

* * *

अध्याय-1

संगठन एवं सिंहावलोकन

1.1 भारत में आन्तरिक सुरक्षा, पाकिस्तान द्वारा जम्मू व कश्मीर में छेड़े गए ''अघोषित युद्ध'', पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ''विद्रोह'' से सम्बन्धित समस्याओं, अलगाववादी ताकतों द्वारा हिंसा की छुटपुट घटनाओं और पारम्परिक अपराधों तथा सामाजिक तनावों के चलते प्रभावित रही । पिछले वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आतंकवाद की समस्याओं के पूर्वाभास और उनसे बचाव की दृष्टि से और आतंकवाद पर काबू पाने के लिए उठाए गए अनेक कदमों के सकारात्मक परिणाम रहे । राज्य सरकारों को मजबूत करने तथा भारतीय राज्यों की कुल सक्षमता बढ़ाने की दृष्टि से आन्तरिक सुरक्षा नीतियों का कार्यान्वयन तेज कर दिया गया है ।

1.2 देश की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के मुख्य कार्य के अलावा, गृह मंत्रालय के उत्तरदायित्व में व्यापक विषय हैं जिनमें केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों से लेकर केन्द्र राज्य सम्बन्धों, राष्ट्रीय एकता, मानवाधिकार तथा शरणार्थियों के पुनर्वास जैसे कई विषय शामिल हैं । आंतरिक सुरक्षा के भी कई अयाम हैं जम्मू एवं कश्मीर में आतंकबाद तथा उग्रवाद से लेकर पूर्वोत्तर में अलगाववादी विद्रोह तथा जनसंख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न खतरा इसमें शामिल है । कुछ तथाकथित ''सैद्धान्तिक'' आन्दोलन है जिनमें शामिल हैं आंध्रप्रदेश में वामपंथी उग्रवाद, महागोदावरी क्षेत्र तथा मध्यप्रदेश के हिस्से और बिहार में ''सेनाओं'' द्वारा छेड़ा गया जातीय संघर्ष । सीमापार से आतंकवाद का मुकाबला करने, जबाबी जासूसी करने तथा सामान्यत: अपने सीमा क्षेत्रों को अस्थिर करने के उद्देश्य से किए जा रहे विदेशी षड्यंत्रों को विफल करने, केन्द्रीय पुलिस संगठनों की दक्षता तथा मनोबल बनाए रखने, विशेषत: उन यूनिटों का जो हमारी सीमाओं पर उग्रवाद तथा आतंकवाद से लड़ रही हैं, की ओर वर्षभर मंत्रालय का ध्यान जाता रहा है । लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं तथा परम्पराओं की रक्षा करना मंत्रालय की गतिविधयों का महत्वपूर्ण अंग रहे हैं ।

कानून और व्यवस्था

1.3 पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर में विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों, आंध्र प्रदेश, बिहार,

मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में वामपंथी उग्रवादी हिंसा तथा कुछ राज्यों में जातीय संघर्ष और साम्प्रदायिक तनाव को छोड़कर देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक बनी रही । तथापि, कट्टरपंथी भाड़े के सैनिकों ने कश्मीर घाटी और डोडा में हिन्दू परिवारों को निशाना बनाया । मध्यप्रदेश, गुजरात और उड़ीसा में ईसाइयों को निशाना बनाकर कुछ घटनाएं घटित हुई । बिहार में जातीय संघर्ष में बड़ी संख्या में लोग मारे गए । परन्तु सांप्रदायिक हिंसा में कमी आई और देश में बड़े पैमाने पर कोई साम्प्रदायिक फसाद नहीं हुआ ।

जम्मू और कश्मीर

1.4 जम्मू और कश्मीर की स्थिति में कुल मिलाकर सुधार होने से वहां उग्रवाद के खिलाफ अभियान निर्णायक दौर में पहुंच गया है । आतंकवादियों का मुख्य अड्डा और निशाना बनी घाटी तुलनात्मक दृष्टि से अब शांत है । 1996 में लोक सभा और विधान सभा के चुनावों के पश्चात् कानून और व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है । तथापि, राज्य के जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद में अपेक्षाकृत नहीं तो उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिसके पड़ोसी राज्यों में फैलने का खतरा है । राज्य में आतंकवाद के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, इस समय सीमा पार से आए भाड़े के सैनिकों का बोलबाला हो गया है । इसके कारण प्रमुख अलगाववादी आतंकवादी गुट पाकिस्तान के प्रभाव में आ गए हैं जिनाका उपयोग आई०ए०आई० साम्प्रदायिक अलगाव, जातीय संघर्ष तथा जम्मू से बाहर आतंकवाद फैलाने के लिए कर रही है । इसलिए सीमा पार से घुसपैठ पर अंकुश लगाने और यदि संभव हो तो उसे रोकना सर्वोत्तर उपाय है । स्थिति में सुधार आने से हताश भाड़े के सैनिकों ने दूर दराज के गांवों में स्थित लोगों का अपना निशाना बनाया । इन गुपचुप हमलों में अधिकांशत: उधमपुर और डोडा जिलों के बंधामा, प्रानकोट और सेपनारी गांवों के हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया ।

1.5 जम्मू और कश्मीर के संबंध में सरकार की नीति के चार सिद्धांत जिन्हें संघ और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, निम्नानुसार हैं :

- ✦ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहन बनाया ।
- ✦ आतंकवादियों और भाड़े के विदेशी सैनिकों को लोगों से अलग थलग करना ।
- ✦ आतंकवादियों और भाड़े के विदेशी सैनिकों के शत्रुतापूर्ण मंसूबों को प्रभावहीन बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाना ।

- विकास कार्यक्रमों को तेज करना ।

1.6 आतंकवाद पर काबू पाने और अंत में उसे समाप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई कार्य योजना के कार्यान्वयन के कारण जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद जिसमें घुसपैठ को कुचलना, पृष्ठप्रदेश में आतंकवाद का मुकाबला करना, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, सीमा पर रहने वाली जनसंख्या को अलग थलग होने से रोकना, आसूचना क्षमता को बढ़ाना और बेहतर प्रक्रियात्मक एकीकरण शामिल है कि वास्तविक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है । व्यापार और आर्थिक गतिविधियों, विशेषकर पर्यटन जो परम्परागत रूप से घाटी की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ रही है, में नई जान आ गई और बड़ी संख्या में पर्यटक राज्य में आ रहे हैं । 1998 में 1.5 लाख तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ यात्रा में भाग लेकर अभूतपूर्व रिकार्ड बनाया है ।

पूर्वोत्तर

1.7 पूर्वोत्तर में अनेक जातीय समूह हैं और प्रत्येक समूह अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहता है; अंग्रेजों द्वारा उनमें भरी गई अलगाववाद की भावना और लोगों की यह धारणा है कि बंदूक का सहारा लेकर केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक रियायतें प्राप्त की जा सकती हैं । पिछले पचास वर्षों से सरकार के लिए सरदर्द बनी हुई है । बंगलादेश में बड़े पैमाने पर हुई घुसपैठ ने स्थिति को ओर बिगाड़ दिया है । पूर्वोत्तर के सात राज्यों की चीन म्यांमार, बंगलादेश और भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं । हालांकि नागालैण्ड, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में विद्रोहात्मक आंदोलन नजर आते हैं, संपूर्ण क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जड़े गहरी हुई हैं । इस क्षेत्र में शांति और बातचीत की दिशा में सकारात्मक संकेत स्पष्ट नजर आते हैं, जैसाकि मिजोरम की स्थिति से स्पष्ट है जो इस समय देश के सर्वाधिक शांतिपूर्ण राज्यों में से एक हैं । सुरक्षा बलों और मुख्य विद्रोही गुट एन०एस०सी०एन० (आई/एम) के बीच अनेक वर्षों तक युद्धविराम की स्थिति बनी रही और भारत सरकार की ओर से एक राजनैतिक प्रतिनिधि श्री स्वराज कौशल एन०एस०सी०एन० के साथ वार्ता कर रहे हैं । युद्ध विराम संधि के बावजूद एन०एस०सी०एन० (आई/एम) द्वारा किए गए अपहरण और जबरन धन वसूली के कारण माहौल कुछ दूषित हुआ है ।

1.8 असम वर्ष 1979 तक इस बुराई से मुक्त था परन्तु विदेशियों के मुद्दे पर हुए आंदोलन और तत्पश्चात् उल्फा के गठन के बाद यह विद्रोह के चक्र में फंसता चला गया । बोडो समस्या तथा बोडो-संथाल संघर्षों ने इसे और भी भड़काया । मणिपुर में विद्रोह ने जो 1950 के दशक में निम्न स्तर पर था, 1960 के उत्तर भाग में बहुत भीषण रूप धारण कर लिया । इसकी तुलना में नागालैण्ड में विद्रोह स्वतंत्रता के समय से ही बना हुआ है । त्रिपुरा में 1960 में इस राज्य में बंगाली लोगों के बड़े पैमाने पर हुए प्रवास से असन्तोष के बीज बोए

क्योंकि त्रिपुरा के लोग अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बने हुए थे । पूर्वोत्तर में विद्रोह पर अंकुश लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने अनेक उपाय किए हैं । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- विद्रोह से प्रभावित राज्यों में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों और सेना की तैनाती ।
- पूर्वोत्तर के विद्रोह से प्रभावित राज्यों की सुरक्षा से जुड़े व्यय की प्रतिपूर्ति ।
- घुसपैठ रोकने के लिए भारत-बंगलादेश सीमा पर सीमा-सड़क और सीमा पर बाड़ का निर्माण ।
- पुलिस कर्मियों के लिए आवास के निर्माण, पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस दूरसंचार, पुलिस स्टेशन/चौकियों के निर्माण, जिलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार आदि के लिए दसवें वित्त आयोग द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 144.30 करोड़ रु. का कुल अनुदान ।
- पूर्वोत्तर राज्यों में हथियार और गोला बारूद, वाहनों, संचार और अन्य उपस्करों के स्तर में सुधार ।
- बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान की सरकारों के साथ सुरक्षा के मुद्दों और पारस्परिक हित के गंभीर विषयों पर परस्पर विचार-विमर्श और परामर्श ।
- पूर्वोत्तर के विकास के लिए 6133 करोड़ रू. का पैकेज जो कुछ अतिरिक्त स्कीमों को शामिल कर दिए जाने के कारण अब 7865 करोड़ रु. हो गया है (पैकेज में पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, बाढ़ नियंत्रण आदि जैसे प्राथमिकता क्षेत्रों के विकास की स्कीमें शामिल हैं) ।

पंजाब में आतंकवाद

1.9 पंजाब में अवशेष आतंकवाद मुख्यत: पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों में स्थित आतंकवादियों द्वारा चलाया जा रहा है और उनका परामर्शदाता पाकिस्तानी आई.एस.आई. है । सुरक्षा बल कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार करने और उनसे बड़ी मात्रा में आर.डी.एस. सहित विस्फोटक सामग्री बरामद करने में सफल रहे हैं । स्थिति में सुधार दिखाई देने के बावजूद पंजाब में बचे-कुचे आतंकवादियों द्वारा छिटपुट आतंकवादी गतिविधियों की आशंका है क्योंकि उन पर अलगाववादी आंदोलन को पुनजीर्वित करने के लिए पाकिस्तानी आई.एस.आई. का दबाव है । इसलिए सतर्कता पंजाब में शांति बनाए रखने की कुंजी है ।

1.10 पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर प्रभावी नज़र रखने और सीमा पार से घुसपैठ/भाड़े के सैनिकों/आतंकवादियों/नशीली वस्तुओं को गैर-कानूनी तौर पर लाने वालों को कुचलने तथा सीमा पार से आने

वाले आतंकवाद पर काबू पाने के लिए बनाई गई रणनीति के अंग के रूप में 1998 के बाद से ही पंजाब और राजस्थान राज्यों में स्थित भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था करने का काम शुरू कर दिया गया है । तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ भागों को छोड़कर सम्पूर्ण पंजाब क्षेत्र में 451 कि.मी. की बाड़ लगाने एवं 465 कि.मी. तक तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य 1993 में पूरा किया गया । राजस्थान क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 1997 तक 865 कि.मी. तक बाड़ लगा दी गई है, तेज रोशनी की व्यवस्था की गई है तथा राजस्थान में शेष 167.60 कि.मी. में और राजस्थान क्षेत्र से लगने वाले रणकच्छ में लूनी नदी के बेसिन के 10 कि.मी. भाग में बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य चल रहा है और इसके 31 दिसम्बर, 1999 तक पूरा हो जाने की संभावना है । सीमा पर बाड़ लगाकर/रोशनी की व्यवस्था करके जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील करने और सीमा पर घुसपैठिया अलार्म प्रणाली की व्यवस्था करने की योजना भी बनाई गईहै तथा यह कार्य उपयुक्त समय पर किया जाएगा ।

वामपंथी उग्रवाद

1.11 देश के कुछ हिस्सों, विशेषकर आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में वामपंथी उग्रवाद एक विध्वंसक ताकत बनी हुई है । आंध्र प्रदेश और बिहार वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों के मुख्य कार्य क्षेत्र हैं जहां अधिकांश वारदात और हत्याएं हो रही हैं । यद्यपि वारदातों की संख्या की दृष्टि से वामपंथी उग्रवादी हिंसा में 1996 से कमी आई है लेकिन हिंसा की तीव्रता बनी हुई है जैसाकि हत्याओं की संख्या से स्पष्ट है ।

1.12 वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों की स्थिति और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों की बैठक आयोजित करने के लिए पहल की । इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप इस मंत्रालय ने केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय केन्द्र गठित किया जिसके सदस्य इन चारों राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक हैं । बाद में बिहार सरकार के प्रतिनिधियों को इसमें सम्मिलित किया गया । राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे प्रभावित क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए कार्य योजना तैयार कर उसे गृह मंत्रालय को भिजवा दें ताकि इस कार्य के लिए अलग राशि निर्धारित करने के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया जा सके । उपस्करों और हथियारों के स्तर में सुधार तथा पुलिस बलों की सुरक्षा संबंधी अन्य आवश्यकताओं के संबंध में अनुरोध पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है । संबंधित राज्यों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की स्कीम भी विचाराधीन है ।

जाति और साम्प्रदायिक हिंसा

1.13 जातीय वैमनस्य का सामाजिक-आर्थिक आयाम होता है किन्तु कभी-कभी यह जातीय हिंसा का रूप ले लेता है । बिहार को छोड़कर बाकी देश में जातीय हिंसा की कोई बड़ी बारदातें नहीं हुई । जाति संबंधी वारदातों/तनावों के पीछे मुख्य कारण रहे हैं भूमि विवाद, अनुसचित जातियों पर अत्याचार, दलित महिलाओं का उत्पीड़न, स्थानीय धार्मिक उत्सवों में हरिजनों को शरीक होने से रोकना, प्रतिद्वंद्वी जातीय संगठनों द्वारा पिछड़ी जातियों/दलित एवं अन्य नेताओं की प्रतिमाओं को क्षति पहुंचाना/अपवित्र करना, स्थानों एवं संस्थाओं आदि के नामकरण/पुनः नामकरण पर विवाद आदि । आन्तरिक सुरक्षा के आयामों वाले राज्यों में पर्याप्त जागरूकता उत्पन्न करने में मदद करने के लिए गृह मंत्रालय नियमित आधार पर राज्य सरकारों से संपर्क बनाए रखता है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच प्रयासों का बेहतर समन्वय कर रहा है ।

1.14 साम्प्रदायिक मोर्चे पर वर्ष 1998 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में साम्प्रदायिक हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है । इस वर्ष 626 वारदातें हुई जिनमें 207 व्यक्तियों की जानें गई और 2065 व्यक्ति जख्मी हुए जबकि पिछले वर्ष 725 वारदातें हुई जिनके परिणामस्वरूप 264 व्यक्तियों की जानें गई और 2503 व्यक्ति जख्मी हुए ।

1.15 लगभग 90% साम्प्रदायिक वारदातें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में हुई थीं । कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान को छोड़कर, जहां साम्प्रदायिक वारदातों में कुछ वृद्धि पाई गई, शेष अन्य राज्यों में इन वारदातों में कमी आने की खबर है । तथापि, हैदराबाद में एक बड़ा दंगा होने के कारण आंध्र प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में 1998 में ज्यादा मौतें हुई ।

1.16 यद्यपि 1993 से साम्प्रदायिक हिंसा में कमी आई है, हिन्दू और मुसलमान दोनों के कट्टरपंथी संगठनों द्वारा अपनाए गए झगड़ालू रूख के कारण सांम्प्रदायिक भेदभाव बढ़ा है । व्यक्तियों की सहिष्णुता की भावना में स्पष्ट रूप से कमी आई प्रतीत होती है । दक्षिणी राज्यों में विशेष रूप से अल-उम्मा, टी.एम.एम. के, एम. आई.एम., एन.डी.एफ. आदि जैसे संगठनों की गतिविधियों में अनेक प्रकार से वृद्धि के कारण साम्प्रदायिक अशांति की प्रवृत्ति बहुत देखी जा रही है ।

1.17 वर्ष 1998 में 84 वारदातें हुई जबकि 1997 में इसी अवधि के दौरान 30 वारदातें हुई थी । इनमें से कुछ मामले अपराधजनित थे लेकिन यह केवल इत्तफाक ही था कि पीड़ित व्यक्ति ईसाई थे । कुछ मामलों में यह हमले जानबूझकर किए गए तथा कायरतापूर्ण थे, जैसाकि उड़ीसा में ग्राहम स्टीवर्ट स्टेन्स तथा उनके दो

पुत्रों को जिंदा जला देने की घटना से स्पष्ट होता है । कुछ धार्मिक संगठनों ने ईसाई मिशनरियों पर धर्मान्तरण करने का आरोप लगाया लेकिन इससे किसी भी तरह ऐसा ''प्रतिकार'' न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता । गुजरात एवं उड़ीसा में ईसाईयों और उनके संस्थानों पर हुए कुछ हमलों को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रमुखता मिली और इससे उपयुक्त निवारक कार्रवाई करने में राज्य सरकारों की असफलता की तीव्र आलोचना हुई । ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटने और इन्हें कम करने के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है ।

1.18 ''लोक-व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्यों का विषय होने के कारण राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न उपाय करना तथा ठोस कदम उठाना संबंधित राज्य सरकारों का काम है । तथापि, संविधान केन्द्र सरकार को यह दायित्व सौंपता है कि वह न केवल बाह्य आक्रमण के समय बल्कि आंतरिक अशांति के स्थिति में भी प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलायी जाये । गृह मंत्रालय में विभिन्न राज्यों की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में समन्वय को सरल बनाने और उनके कार्यकलापों को नियंत्रित करने में राज्यों के बीच उपयोगी सूचना के आदान-प्रदान में सुधार लाने के लिए कार्रवाई की जाती है । इसके अलावा पुलिस के आधुनिकीकरण, आधुनिक हथियारों की आपूर्ति एवं अर्ध सैनिक बलों की तैनाती आदि के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय मदद प्रदान की जा रही है । कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ प्रभावित राज्यों को पुलिस के आधुनिकीकरण और हथियारों की आपूर्ति के लिए वर्तमान आवंटन के अतिरिक्त भी वित्तीय सहायता दी गयी है ।

नीतिगत पहल/प्रतिक्रियाएं

1.19 देश में शांति, सुव्यवस्था, सद्भाव और सामाजिक प्रगति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनेक अन्य नीतिगत पहलें की गई जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :--

- अक्तूबर, 1998 में अंतर्राज्य परिषद का पुनर्गठन तथा 22 जनवरी, 1999 को उसकी पांचवी बैठक का आयोजन,
- दिसम्बर, 1998 में लोक सभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998, बिहार पुनर्गठन विधेयक, 1998 और मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 का पुरस्थापन,
- देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने, राष्ट्रीय एकता बनाये रखने तथा एकता एवं भाईचारे की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान,

- साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों को दिशा-निर्देशों का परिचालन;

- पी.आई.ओ. (भारतीय मूल के नागरिक) कार्ड स्कीम की शुरूआत जिसमें कार्डधारियों को वीजा रखने की आवश्यकता से छूट दी गई है और उन्हें आर्थिक, शैक्षणिक, वित्तीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अन्य लाभ प्रदान किए गए हैं,

- आर.डी.एक्स, पी.ई.टी.एन., एच.एम.एक्स जैसे अत्यधिक प्राणघातक विस्फोटकों तथा ऐसे अन्य विस्फोटकों को ''विशेष श्रेणी विस्फोटक पदार्थ'' के अंतर्गत रखने तथा ऐसे विस्पोटक पदार्थों के प्रयोग से किये गये अपराधों के लिए अधिकतम सजा में वृद्धि करने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक का पुरुस्थापन,

- बलात्कार के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था करने के लिए भारतीय दंड संहिता में संशोधन करने के लिए विधेयक पुरस्थापित करने का प्रस्ताव,

- देश में सभी लोगों के मानवाधिकारों के संरक्षण पर जोर, और

- सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद तथा शस्त्रों एवं मादक पदार्थों की तस्करी रोकरने के लिए सीमाओं पर तारों की बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने की योजना पर अमल में तेजी लाना ।

अध्याय-2

गृह मंत्रालय का संगठन और उसके कार्य

2.1 भारत के संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने की बात कही गयी है । इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है शांति, सद्भावना कायम रहना और सबसे बढ़कर कानून का शासन स्थापित रहना । यद्यपि, ''सार्वजनिक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' प्राथमिक रूप से राज्यों का ही उत्तरदायित्व है फिर भी संविधान ने केन्द्र को यह अनिवार्य दायित्व सौंपा है कि वह प्रत्येक राज्य को आंतरिक गड़बड़ियों से सुरक्षा प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाए । गृह मंत्रालय इन दायित्वों को निर्वाह करता है इसलिए पूरे देश को अभिशासित करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है ।

2.2 भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय में निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) आंतरिक सुरक्षा विभाग जो पुलिस, कानून और व्यवस्था तथा पुनर्वास संबंधी कार्य देखता है,

(ii) राज्य विभाग जो केन्द्र-राज्य संबंधों, अंतर्राज्य संबंधों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन संबंधी मामलों को देखता है,

(iii) राजभाषा विभाग जो राजभाषा से संबंधित संविधानिक उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के कार्यान्वयन का कार्य देखता है,

(iv) गृह विभाग जो राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना आदि का कार्य देखता है, और

(v) जम्मू व कश्मीर कार्य विभाग जो जम्मू व कश्मीर राज्य से संबंधित सभी संवैधानिक उपबंधों तथा

राज्य से संबंधित अन्य सभी मामलों को देखता है, सिवाय उन मामलों के जो विदेश मंत्रालय से संबंधित होते हैं ।

2.3 राजभाषा विभाग का एक अलग सचिव है जो वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है । अत: गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में इस विभाग के कार्यकलाप नहीं दिए गए हैं । आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग तथा गृह विभाग पृथक खंडों के रूप में कार्य नहीं करते हैं । ये सभी गृह सचिव के अधीन कार्य करते हैं और परस्पर जुड़े हुए हैं । जम्मू व कश्मीर कार्य विभाग तथा न्याय विभाग भी गृह सचिव के अधीन कार्य करते हैं । न्याय विभाग विधि, न्याय एवं कंम्पनी कार्य मंत्रालय का भाग है । गृह सचिव की सहायता के लिए तीन विशेष सचिव है जो उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वाह करते हैं ।

2.4 गृह मंत्रालय के अन्दर ही एक अलग ''पूर्वोत्तर-कार्य विभाग'' सृजित करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

2.5 गृह मंत्रालय में (राजभाषा विभाग को छोड़कर) वर्ष 1998-99 के दौरान पदासीन मंत्री, सचिव, विशेष सचिवों, उपर सविचों तथा संयुक्त सचिवों के संबंध में सूचना परिशिष्ट में दी गई है ।

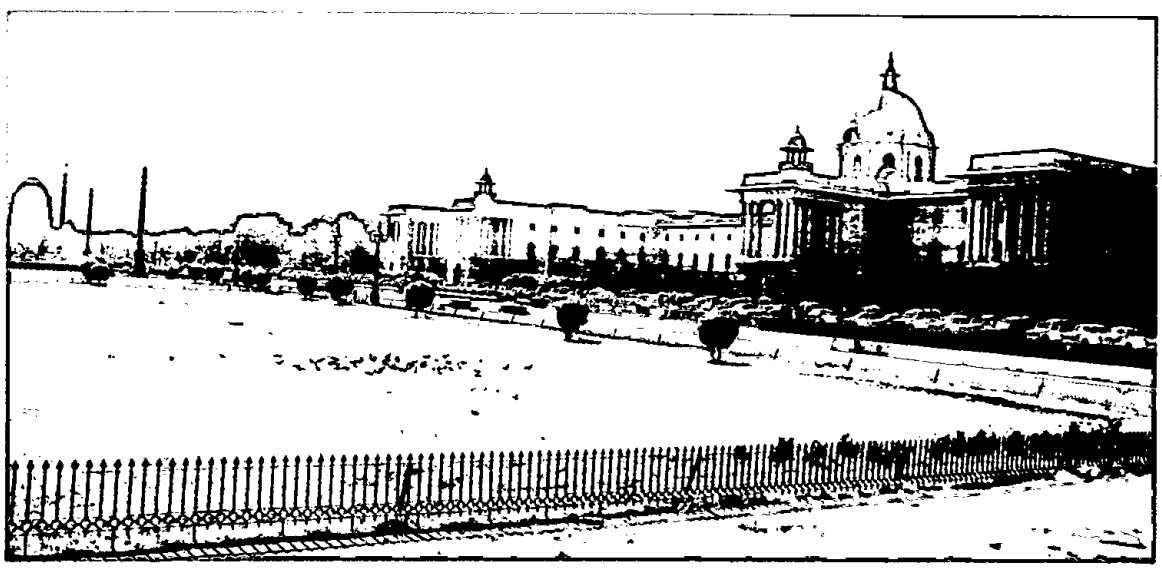

नार्थ ब्लाक, जहां गृह मंत्रालय स्थित है

अध्याय-3

कानून एवं व्यवस्था

सामान्य

3.1 जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व के राज्यों के समस्याग्रस्त क्षेत्रों के अलावा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में रही । कश्मीर घाटी में उग्रवाद के स्तर में कुछ उतार दिखाई दिया । तथापि, जम्मू क्षेत्र में उग्रवाद में बढ़ोत्तरी हुई । उग्रवाद बनाए रखने के लिए विदेशी भाड़े के सैनिकों पर निर्भरता में वृद्धि, सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमले, विस्फोटकों पर अधिक विश्वसनीयता, अति आधुनिक हथियारों की शुरूआत, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में उग्रवाद की मुख्य विशेषताएं रहीं । उत्तर पूर्व में विद्रोहियों तथा उग्रवादी गुटों की गतिविधियां तथा जातीय तनाव चिन्ता का कारण बने रहे । पूर्वोत्तर में मुख्य विद्रोही गुटों (एन०एस०सी०एन०-आई०एम०) के साथ युद्ध विराम लागू किया गया ।

आन्तरिक सुरक्षा स्थिति की पुनरीक्षा

3.2 कानून एवं व्यवस्थाकी स्थिति तथा आन्तरिक सुरक्षा परिदृश्य का जायाजा लेने के लिए गृह मंत्रालय राज्य सरकारों से नियमित रूप से बातचीत करता रहता है । दक्षिणी राज्यों के साथ 12 मार्च, 1998 को, तथा पश्चिमी राज्यों के साथ 28 अगस्त, 1998 को कई बैठकें की गई । तत्पश्चात, केन्द्रीय गृह मंत्री ने भी 14 अक्तूबर, 1998 को उत्तरी राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की । उत्तर-पूर्वी राज्यों, तथा सिक्किम की एक बैठक 6 नवम्बर, 1998 को गुवाहाटी में की गई । इन बैठकों से राज्यों में आन्तरिक सुरक्षा संबंधी समस्याओं के विभिन्न आयामों के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय के प्रयास बढ़ाने में सहायता मिली ।

वामपंथी उग्रवाद

3.3 वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावित राज्यों में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा शामिल हैं । देश में वामपंथी उग्रवादी हिंसा में लिप्त सक्रिय गुट हैं :-- सी.पी.एम.एल.,

पीपल्स वार ग्रुप (पी. डब्ल्यू. जी.) आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, उड़ीसा कर्नाटक तथा तमिलनाडु में; माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एम.सी.सी.) एवं सी.पी. एम.एल.-पार्टी यूनिटी (पी.यू.) बिहार में तथा, कुछ हद तक, पश्चिमी बंगाल में और सी.पी.एम.एल.- विनोद मिश्रा (वी.एम.) मुख्यत: बिहार में हिंसक गतिविधियों में लिप्त हैं । तथापि, कुल मिलाकर वामपंथी उग्रवादी गुटों द्वारा की गई हिंसा में 1998 में कमी आई जो कि आंध्र प्रदेश तथा बिहार में पिछले वर्ष की हिंसा की घटनाओं की तुलना में कम है । मध्य प्रदेश में वामपंथी उग्रवादी हिंसा में बढोतरी हुई है, संभवतया ऐसा आंध्र प्रदेश में बढ़ती पुलिस कार्रवाई के प्रभाव के कारण हुआ ।

3.4 सरकार प्रभावित क्षेत्रों में कानून को कठोरता से लागू करके तथा विशेष विकास उपाय करने की दोहरी रणनीति अपनाकर इस हिंसा को नियंत्रित करने को उच्च प्राथमिकता देती है । केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों पर प्रभावी, अच्छे समन्वय वाली तथा एकीकृत कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला है जिसमें अन्य उपायों के अलावा विकास गतिविधियों के फैलाव, सड़कों व संचार में त्वरित सुधार, भूमि सुधार कार्यान्वयन आदि शामिल होने चाहिए ।

3.5 वामपंथी उग्रवादी हिंसा से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई की पुनरीक्षा के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री ने आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों की 15 जून, 1998 को हैदराबाद में एक बैठक बुलाई । बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे वर्तमान कानून संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाएंगे । इसके साथ-साथ राज्य सरकारें वामपंथी उग्रवादी हिंसा से निपटने के लिए अपने अलग कानून भी बना सकती है ।

(ख) राज्यों द्वारा एक व्यापक कार्रवाई योजना तैयार की जाएगी जिसमें विकास गतिविधियां तथा साथ-साथ उठाए गए सुरक्षा कदम भी शामिल होंगे । आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसी एक योजना तैयार की है जो योजना आयोग को भेजी गई थी । अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसी योजनाएं तैयार करनी चाहिए जो धन आवंटन के लिए योजना आयोग के पास भेजी जाएंगी ।

(ग) कार्रवाई योजना के पुनरीक्षण तथा राज्य सरकारों के प्रयासों के समन्वय के लिए हैदराबाद में एक समन्वय केन्द्र स्थापित किया जाएगा ।

3.6 इन निर्णयों के अनुसरण में गृह मंत्रालय द्वारा 26 जून, 1998 को एक समन्वय केन्द्र स्थापित किया

गया । समन्वय केन्द्र की पहली बैठक 19 जुलाई, 1998 को हैदराबाद में आयोजित हुई । यह निर्णय लिया गया कि उग्रवादी गतिविधियों की जवाबी कार्रवाई के रूप में राज्य सरकारें कानून के वर्तमान प्रावधानों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग करेंगी । यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारें पुलिस स्टेशन एवं जिला स्तर पर सीधे संचार नैटवर्क तथा प्रभावित क्षेत्रों में तीव्र संचार के लिए सड़कों को अपग्रेड करने का संयुक्त प्रस्ताव तैयार करेंगी । इन सभी निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

3.7 केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की एक योजना विचाराधीन है । आधुनिक हथियारों एवं अन्य उपकरणों के संबंध में अनुरोध पर भी प्राथमिकता आधार पर विचार किया जा रहा है ।

लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईमल (एल.टी.टी.ई.)

3.8 भारत की भूमि पर एल.टी.टी.ई. की गैर-कानूनी गतिविधियां एवं अन्य उग्रवादी गुटों के साथ उनके संबंध में एक संपर्क सरकार के लिए चिंता का विषय रहे । तमिलनाडु सरकार तथा केन्द्र सरकार की राय थी कि वर्तमान परिस्थितियों में एल.टी.टी.ई. को विधि विरूद्ध संगम घोषित करना न्यायोचित है । तदनुसार, केन्द्र सरकार ने 14 मई, 1998 को भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके एल टी.टी.ई. को विधि विरूद्ध संगम घोषित कर दिया । इस अधिसूचना को अधिनिर्णयन के लिए विधि विरूद्ध गतिविधियां (निरोधक) अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अधिकरण ने अपने दिनांक 13 नवम्बर, 1998 के आदेश द्वारा उक्त अधिसूचना की पुष्टि कर दी ।

पंजाब में स्थिति

3.9 जब से पंजाब की जनता तथा सुरक्षा बलों द्वारा पंजाब में सीमापार से आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया गया तब से पंजाब राज्य में सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है । राज्य में सामान्य स्थिति वहां के लोगों द्वारा विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों के आयोजन में झलकती है । समय के साथ-साथ राज्य में संसद, राज्य विधान सभा, ग्राम पंचायतों, नगर निकायों तथा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जैसी विभिन्न प्रतिनिधिनिकायों के चुनाव भी सुगम एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुए ।

3.10 सामान्य स्थिति बहाल होने से पंजाब राज्य में आर्थिक विकास की गति तेज हुई है । 600 मेगावाट क्षमता वाला रणजीत सागर बांध राष्ट्र को समर्पित किया गया है और विद्युत उत्पादन जून, 1999 में शुरू होगा

जिससे राज्य में विद्युत की उपलब्धता में काफी वृद्धि होगी । बढ़ी हुई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए अमृतसर में राजासांसी हवाई अड्डे पर कार्गो हैण्डलिंग सुविधाओं का विस्तार किया गया है । भटिण्डा में 16000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने की आधारशिला रखी गई है । इसके अतरिक्त, नई पहलों के फलस्वरूप राज्य के कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में नई प्रवृत्ति देखने में आई है जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में विविधीकरण तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि से प्रतिबंबित होती है ।

3.11 तथापि, राज्य में उग्रवाद को पुनर्जीवित करने में पाक आधारित ''खालिस्तानी'' समर्थक उग्रवादियों तथा उनके परामर्श-दाताओं पाकिस्तान की इन्टर सर्विसेज इंटेलिजेंस के हताशापूर्ण प्रयासों में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिया है । खालिस्तानी समर्थक उग्रवाद अब मुख्यत: आई.एस.आई. द्वारा चलाया जाता है जो उन्हें शरण प्रदान करने, प्रशिक्षण देने, सामरिक एवं कूटनीतिक अभियानों का समन्वय करने, परिष्कृत हथियार एवं उच्च कोटि के विस्फोटक प्रदान करने तथा सीमा पार से होने वाली घुसपैठ में सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करने को जारी रखे हुए है । विभिन्न आतंकवादी गुटों के प्रतिनिष्ठा रखने वाले पाक आधारित ''खालिस्तानी'' समर्थक उग्रवादियों पर आई.एस.आई. का भारी दबाव बना हुआ है कि वे वरिष्ठ राजनैतिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों की हत्या पुन: शुरू करके पंजाब और पड़ौसी राज्यों में हिंसा में तेजी लाने की कार्रवाई करें । भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच परस्पर संवाद प्रक्रिया के भाग के रूप में 12 नवम्बर 1998 को दिल्ली में दोनों देशों के बीच हुई गृह एवं आन्तरिक सचिव स्तर की वार्ताओं के दौरान इस मामले को पाकिस्तान के साथ जोरदार ढंग से उठाया है । पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में बता दिया गया है कि उसे भारत के विभिन्न भागों में आतंकवाद फैलाने की अपनी राष्ट्र नीति छोड़ देनी चाहिए तथा उस आधारभूत संरचना को नष्ट कर देना चाहिए जो सीमा पार से भारत में आने वाले भाड़े के सैनिकों और उग्रवादियों को प्रेरित करने, प्रशिक्षण देने, शस्त्रों से सुसज्जित करने, वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनकी घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान में विद्यमान है । पूर्वी भारत में आतंवादी हिंसा फैलाने के लिए ''खालिस्तानी'' समर्थक उग्रवादियों सहित पंजाब में पाक राष्ट्रिकों की घुसपैठ की हाल ही की प्रवृत्ति को भी पाकिस्तान सरकार के ध्यान में लाया गया है । पाकिस्तान से यह भी कहा गया है कि वह पाकिस्तान में शरण पाने वाले बड़े-बड़े उग्रवादियों/भूमिगत कार्यकर्त्ताओं तथा भारतीय मूल के कानून से भागने वाले अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध इन्टरपोल द्वारा जारी किए गए अन्तर्राष्ट्रीय वारण्टों को कार्यान्वित करें । सुरक्षा बल पंजाब में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी चौकसी रख रहे हैं तथा पाकिस्तान और कुछ पश्चिमी देशों में बचे सक्रिय ''खालिस्तानी'' समर्थक उग्रवादियों की दुष्कार्रवाईयों को विफल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं । चालू वर्ष के दौरान पंजाब में आतंकवादी हिंसा की कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई हैं । तथापि, आतंकवाद-विरोधी अभियानों में 22 उग्रवादियों

को गिरफ्तार किया गया और उनसे बड़ी मात्रा में राकेट, हथगोले, डिटोनेटर, टाइम डिवाइसेस और उच्च कोटि के विस्फोटकों सहित परिष्कृत आग्नेय-शस्त्र बरामद किए गए हैं ।

3.12 खालसा पंथ की स्थापना के त्रिशताब्दी समारोह 21 नवम्बर, 1998 को आनंदपुर साहिब में पंज प्यारों द्वारा खालसा हेरीटेज मैमोरियल काम्पलेक्स की आधारशिला रखे जाने के साथ ही शुरू हो गए हैं । इन समारोहों की तैयारियां शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और राज्य सरकार के अतिरिक्त पंजाब में लगभग सभी सिख धार्मिक प्रबुध और सामाजिक संगठनों द्वारा की जा रही है । राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने धार्मिक समारोह की तैयारियों के लिए प्रधान मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है । सिख धार्मिक संस्थाओं और नेताओं ने पंजाब में और अन्यत्र ''गुरमत समागम और खालसा चेतना मोर्चा'' को आयोजित करके इन समारोहों के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं ।

पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी :

3.13 पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा की प्रभावी पुलिस व्यवस्था करने और सीमा के दूसरी ओर से चलाए जाने वाले सीमावर्ती आतंकवाद का प्रभावकारी तरीके से मुकाबला करने के लिए सीमा पार से होने वाली भाड़े के सैनिकों/उग्रवादियों/नशीले पदार्थों के अवैध व्यापारियों की घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार की गई रणनीति के रूप में पंजाब और राजस्थान राज्यों में भारतपाक सीमा पर बाड़ लगाने/तेज रोशनी करने का काम 1988 से शुरू कर दिया गया है । नदी तट के क्षेत्रों में कुछ स्थानों को

तटवर्ती सीमा पर गश्त करते हुए

छोड़कर समूचे पंजाब क्षेत्र में कुल 451 कि.मी. क्षेत्र में तेज रोशनी की व्यवस्था का काम 1993 में पूरा कर लिया गया था । राजस्थान क्षेत्र में 31.12.1997 तक 865 कि.मी. भाग में बाड़ लगाई गई है / तेज रोशनी की गई है । राजस्थान क्षेत्र में शेष 167.60 कि.मी. भाग में बाड़ लगाने/तेज रोशनी करने का काम चल रहा है तथा इसे 31.12.1999 तक पूरा किए जाने की संभावना है ।

3.14 जम्मू सेक्टर में जून, 1995 में शूरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने/तेज रोशनी करने के काम को पाकिस्तान से अकारण एवं निरंतर गोलाबारी के कारण स्थगित करना पड़ा था ताकि लोगों के साथ होने वाले अनावश्यक हादसों से बचा जा सके । बाड़ लगाकर/तेज रोशनी करके जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बंद करने/''इंटूडर अलार्म सिस्टम'' की योजना तैयार की गई है तथा यह कार्य उचित समय पर शुरू किया जाएगा । गुजरात के रन क्षेत्र में तटबंध पर बाड़ लगानें/तेज रोशनी करने का कार्य चरणों में शुरू किया जा रहा है ।

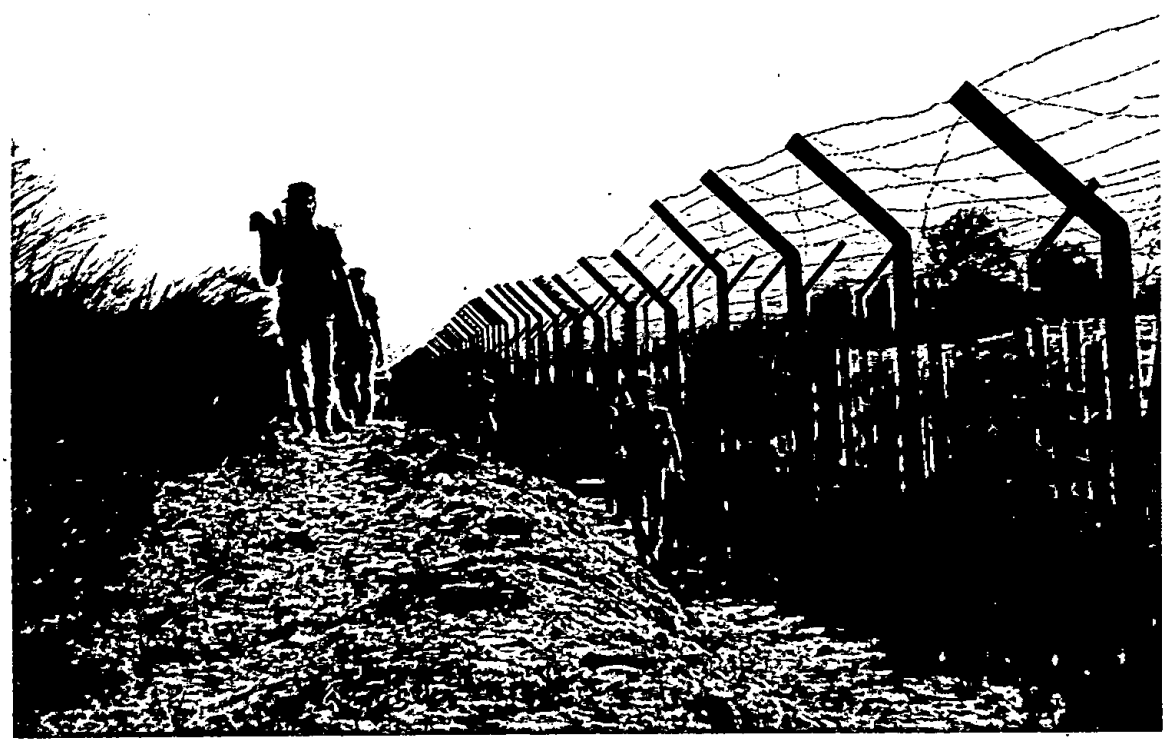

बाड़ लगी सीमा पर गश्त करते हुए

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3.15 दूर-दूराज एवं विकट सीमा क्षेत्रों में संतुलित विकास के लिए और इन क्षेत्रों में प्रभावी प्रशासन

सुनिश्चित करने के लिए तथा विकास गतिविधियों में लोगों को शामिल करने के लिए, जिससे कि उनके उत्थान को सूनिश्चित किया जा सके, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीडीएपी) 7वीं योजनावधि में शुरू किया गया । यह पहल केवल पश्चिमी सेक्टर में सीमित गुंजाइश तथा धन के साथ शुरू किया गया था और इसे 8वीं एवं 9वीं योजनावधि में भी जारी रखा गया है तथा इसमें पूर्वी राज्यों को भी शामिल किया गया है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बंगलादेश के साथ लगती है । सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 100% केन्द्रीय प्रायोजित योजना है । इस उद्देश्य के लिए 9वीं योजनावधि के कुल परिव्यय को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है । इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले राज्य असम, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागलैण्ड, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल हैं । वर्ष 1998-99 के लिए निम्नलिखित राज्यों को इस कार्यक्रम के तहत नीचे उल्लिखित राशियां आबंटित की गई हैं :-

राज्य का नाम	राशि (करोड़ रुपए में)
असम	4.27
गुजरात	8.88
जम्मू एवं कश्मीर	21.38
मणिपुर	4.00
मेघालय	4.11
मीजोरम	6.82
नागालैण्ड	4.00
पंजाब	8.82
राजस्थान	26.52
त्रिपुरा	11.34
पश्चिम बंगाल	31.36

संगठित अपराध, आतंकवाद और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ।

3.16 अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के सहयोग से गृह मंत्रालय संगठित अपराध, आतंकवाद एवं नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से निपटने के लिए क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहमति तैयार करने में सक्रिय रहा है । हाल ही के वर्षों में आतंकवाद, संगठित अपराध एवं मादक पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार का

मुकाबला करने में अनेक मित्र देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं । इस वर्ष फ्रांस गणतंत्र के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधि सहायता संधि और रूसी फैडरेशन के साथ अपराधिक मामलों में प्रत्यार्पण एवं पारस्परिक विधिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे । इसके अतिरिक्त, संयुक्त अरब अमीरात के साथ पारस्परिक विधिक सहायता संधि एवं प्रत्यर्पण संधि तथा जर्मनी, फ्रांस, बल्गारिया और ट्यूनिशीया के साथ प्रत्यार्पण संधि को अंतिम रूप दिया गया है तथा इन पर शीघ्र हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है । अन्य अनेक मित्र देशों के साथ प्रत्यार्पण एवं पारस्परिक विधिक सहायता पर संधियों एवं समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बारे में बातचीत चल रही है ।

3.17 सीमा प्रबंधन संबंधी भारत नेपाल संयुक्त कार्यदल की दूसरी बैठक नई दिल्ली में जून, 1998 को हुई थी जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपायों पर सहमति हुई कि दोनों देशों के बीच मुक्त सीमा एवं बिना वीजा के यात्रा की व्यवस्था का दोनों में से किसी भी देश के प्रति शत्रुतापूर्ण तत्वों द्वारा दुरुपयोग न किया जाए । सितम्बर, 1998 में गृह मंत्रालय के आदेश पर आतंकवाद के बारे में भारत-जर्मन संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक जर्मनी में हुई थी तथा आतंकवाद विरोधी उपायों के क्षेत्र में सूचनाओं एवं विचारों का आदान-प्रदान किया गया । इसके बाद आतंकवाद संबंधी भारत-कनाडा संयुक्त कार्यदल की दूसरी बैठक नवम्बर, 1998 के दूसरे सप्ताह में ओटावा, कनाडा में हुई थी ।

3.18 भारत-पाक संबंधों को प्रभावित करने वाले सभी बकाया मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ संयुक्त संवाद प्रक्रिया के भाग के रूप में ''आतंकवाद एवं नोरकोटिक्स'' विषयों पर पाकिस्तान के साथ दिल्ली में 12 नवम्बर, 1998 को बातचीत हुई थी । भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व केन्द्रीय गृह सचिव श्री बी.पी. सिंह द्वारा किया गया तथा पाकिस्तानी शिष्टमंडल का नेतृत्व पाकिस्तान के आंतरिक सचिव श्री हाफीजुल्ला इशाक द्वारा किया गया । पाकिस्तान का ध्यान इस अविवादग्रस्त तथा अकाट्य तथ्य की ओर आकर्षित किया गया कि उसने आतंवाद का प्रयोग भारत के विरुद्ध अपनी राष्ट्र नीति के हथियार के रूप में किया था । भारत को अस्थिर करने के लिए हर संभव तरीके से उनका प्रयोग करने के उद्देश्य से आतंकवादियों, विदेशी भाड़े के सैनिकों तथा भूमिगत अपराधिक तत्वों को भड़काने, प्रेरित करने, भर्ती करने, प्रशिक्षण देने, धन प्रदान करने, शस्त्रों से लैस करने, घुसपैठ करने और उन्हें नियंत्रित करने में पाकिस्तान की भागीदारी के संबंध महत्वपूर्ण प्रमाण पाकिस्तानी पक्ष के समक्ष पेश किए गए । उसे दो टूक शब्दों में यह बताया गया कि राष्ट्रीय तौर पर प्रायोजित आतंकवाद के माध्यम से भारत को अस्थिर करने के अपने निष्फल प्रयास को छोड़ दे । उससे यह भी कहा गया कि वह पाकिस्तान में कार्यरत आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को बंद कर दे तथा कानून से भागकर पाकिस्तान में शरण पाने वाले भारतीय मूल के आतंकवादियों/ भगोड़ों को भारतीय प्राधिकारियों को सौंप दें ।

सेना संघर्ष

3.19 बिहार में, भू-स्वामियों ने वामपंथी उग्रवादियों की धमकी का मुकाबला करने के लिए विभिन्न सेनाएं बनाई हैं जिनमें भोजपुर, बक्सर और रोहतास जिलों में रणबीर सेना, पटना जहानाबाद तथा भोजपुर जिलों में किसान संघ, मुख्य रूप से सीवान जिले में सक्रिय ग्राम सुरक्षा दल और पलामू गर्वा, औरंगाबाद और छपरा जिलों में सनलाइट सेना प्रमुख हैं । वर्ष 1997 में वामपंथी उग्रवादी संगठनों की इन सेनाओं के साथ 46 अवसरों पर झड़पें हुई । वर्ष 1998 के दौरान अगस्त तक वामपंथी उग्रवादियों की सेनाओं के साथ 17 अवसरों पर झड़पें हुई । दलितों पर इन भूस्वामियों/उच्च जाति की सेनाओं द्वारा अत्याचारों की कुछ ही घटनाएं ध्यान में आयी हैं ।

जैन आयोग रिपोर्ट

3.20 जैन जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट सरकार को 7 मार्च, 1998 को प्राप्त हुई थी तथा सरकार ने इसे की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित 31 जुलाई, 1998 को संसद में पेश किया । अंतिम रिपोर्ट पर राज्य सभा में 3 एवं 4 अगस्त, 1998 को तथा लोक सभा में 6 अगस्त, 1998 को चर्चा की गई ।

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मसला

3.21 डाक्टर इस्माईल फारूखी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24 अक्टूबर, 1994 के निर्णय के अनुसार राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित हक वादों को फिर से पुनर्जीवित किया गया था तथा इन पर इलाहाबाद उच्च न्यायलय की लखनऊ बैंच में दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई हो रही है । मामले में इस समय साक्ष्य दर्ज किए जा रहे हैं तथा वादी गवाहों से पूछताछ की जा रही है । इस प्रकार के 13 गवाहों से पूछताछ की गई है । अंतिम निर्णय के कार्यान्वयन के लिए इन हक संबंधी वादों में न्याय-निर्णयन होने तक, केन्द्रीय सरकार कानूनी रिसीवर के रूप में विवादित क्षेत्र में यथास्थिति बनाए हुए है और किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को न्यायिक आदेशों की गरिमा को भंग करने की अनुमति नहीं देगी ।

लिब्राहन अयोध्या जांच आयोग

3.22 अन्य बातों के साथ-साथ 6.12.92 को अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में हुई घटनाओं के घटनाक्रम की जांच करने के लिए गठित लिब्राहन अयोध्या जांच आयोग के समक्ष कार्रवाईयां चल

रही हैं । जांच आयोग अधिनियम की धारा 8 (ख) के तहत नोटिस जारी किए गए व्यक्तियों द्वारा 29 अभियोजन गवाहों से जिरह पूरी करने के पश्चात आयोग ने 21.12.98 की स्थिति के अनुसार, 15 बचाव पक्ष के गवाहों तथा 5 आयोग के गवाहों से पूछताछ की है तथा बचाव पक्ष के गवाहों से और पूछताछ चल रही है । इस आयोग के कार्यकाल को समय-समय पर बढ़ाया गया है तथा वर्तमान कार्यकाल 30 जून, 1999 तक है ।

अध्याय-4

जम्मू और कश्मीर

I. जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति

4.1 पिछले एक दशक में जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद के कारण 19000 से अधिक लोगों की जानें गई । पाकिस्तानी प्रचार द्वारा दिखाये गए उच्च आंकड़े साफतौर पर झूठे हैं । पाक आई.एस.आई. द्वारा समर्थित और प्रेरित उग्रवादियों ने कश्मीर के लोगों और राज्य की अर्थ-व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया । अक्तूबर, 1996 में राज्य में एक चुनी हुई सरकार ने सत्ता संभाली थी । वर्ष 1997 और 1998 के दौरान, सिविलियनों की हत्याओं में महत्वपूर्ण कमी आने के साथ-साथ आतंकवादी घटनाओं की संख्या में भी पर्याप्त कमी आई । राज्य में राजनैतिक और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की बहाली को निष्फल करने की कोशिश में आतंकवादियों और सीमा पार उनके आकाओं द्वारा हिंसा को तेज करने के लिए हताशा में जानबूझकर किए गए प्रयासों के बावजूद यह कमी आई है ।

जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद पर सरकार की नीति

4.2 जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद पर सरकार की नीति के चार सिद्धान्त इस प्रकार है :- (i) प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को गहन करना (ii) उग्रवादियों और भाड़े के विदेशी सैनिकों को जनता से अलग-थलग करना (iii) उग्रवादियों और भाड़े के विदेशी सैनिकों के उग्रवादी इरादों को विफल करने के लिए जम्मू और कश्मीर में प्रतिकारक भूमिका और (iv) विकास कार्यक्रमों को तेज करना । ये लक्ष्य, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त किए जाने हैं ।

प्रमुख घटनाएं

4.3 उग्रवादियों द्वारा हाल में की गई आतंकवाद की कुछ प्रमुख घटनाओं में सम्मिलित हैं :-

- 25-26 जनवरी, 1998 के बीच की रात को गन्दरबल क्षेत्र (श्रीनगर) के वथामा गांव में कश्मीरी पंडितों के 23 सदस्यों की हत्या ।

- 23 जनवरी, 1998 को डोडा नगर में हुए एक बम विस्फोट में 12 व्यक्ति जख्मी हुए, जिनमें से 2 व्यक्तियों ने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया ।
- 17-18 अप्रैल, 1998 के बीच की रात को उधमपुर जिले के परानकोट धाकीकोट गावों में 26 व्यक्तियों की हत्या ।
- 4-6 मई, 1998 के बीच पुंछ जिले के सुरनकोट में 4 व्यक्तियों और डोडा में 9 व्यक्तियों की हत्या ।
- 19 जून, 1998 को चंपनारी गांव (डोडा) में एक बारात के 25 व्यक्तियों की हत्या ।
- 27 जुलाई, 1998 को शौना ठाकरी/सर्वणा गावों (डोडा जिला) में 16 व्यक्तियों की हत्या
- 31 जुलाई और 1 अगस्त 1998 के बीच की रात को सिलघर धोक (उधमपुर जिला) में 3 व्यक्तियों की हत्या ।
- 3 अगस्त, 1998 को चम्बा जिला (हिमाचल प्रदेश) के कालाबन और सतरूंडी क्षेत्रों में 35 व्यक्तियों की हत्या ।
- 19-20 फरवरी, 1999 के बीच की रात को जिला राजौरी में बलजरान और मोरहा पाटा और जिला उधमपुर में बरयाना में 3 अलग घटनाओं में 20 व्यक्तियों की हत्या ।

उग्रवादी और उनके नापाक इरादे

4.4 इन घटनाओं से यह प्रदर्शित होता है कि उग्रवादियों ने किस प्रकार लोगों को आतंकित करने और वातावरण को दूषित करने की चेष्टा में कायरतापूर्ण और चोरी छिपे आसान लक्ष्यों पर हमला करने की कोशिश की । भाड़े के विदेशी सैनिकों द्वारा अपना अधिक प्रभुत्व प्रदर्शित करने और निर्वाचित सरकार और सुरक्षा बलों को असहाय अवस्था में दिखाने के स्पष्ट प्रयास में, हथगोलों, सुरंगो, आई.ई.डी. और विस्फोटक पदार्थों का अधिक प्रयोग करके उग्रवाद चलाया जा रहा है । राजोरी में, विस्फोटकों को ले जाने में समर्थ कुछ रिमोट कन्ट्रोल एयर-बोर्न एयरोडायनमिक माड्यूल की हाल में हुई बरामदगी से भी पाक आई.एस.आई. के बीभत्स इरादों का पता चलता है । प्रमुख नेताओं, राजनैतिक कार्यकर्ताओं, आत्मसर्मपण कर चुके उग्रवादियों, सुरक्षा बल कार्मिकों, वी डी सी, एस.पी.ओ, और हिन्दुओं को निशाना बनाया जा रहा है । इसके पीछे जो रणनीति है वह स्वत: स्पष्ट है अर्थात् राजनैतिक प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं और आम आदमी के स्तर पर उदारता

और सहिष्णुता की वकालत करने वालों की गतिविधियों को रोकने की कोशिश करना । इसकी नीयत उन्हें डराने-धमकाने और रोकने की है जो पहले उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्त थे लेकिन मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं । वर्ष 1998 के दौरान इस प्रकार के लक्षित हमलों में 40 से अधिक राजनैतिक कार्यकर्ताओं और 109 भूतपूर्व/आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों और विशेष पुलिस अधिकारियों की हत्या की गई । 25/26 जनवरी, 1998 को क्थामा गांव में महिलाओं और बच्चों सहित 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या, 17-18 अप्रैल, 1998 को उधमपुर जिले के परानकोट धाकीकोट गावों में 26 हिन्दुओं की हत्या, 19 जून को चंपनारी में एक बारात के 25 व्यक्तियों की हत्या तथा 27 जुलाई, 1998 को शौना-ठाकेरी/सर्वणा गांव (डोडा) में 16 व्यक्तियों की हत्याओं से प्रतीत होता है कि यह कार्य प्रवासियों को घाटी में वापस लाने के प्रयासों को विफल करने तथा घाटी से और जम्मू डिवीजन में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से प्रवासन का दौर पुन: शुरू करने के लिए किए गए हैं ।

राजोरी/पुंछ डोडा/उधमपुर में स्थिति

4.5 सुरक्षा बलों द्वारा निगरानी बढ़ाने के बावजूद सीमा पर से व्यक्तियों और सामग्री की घुसपैठ जारी है । जम्मू सैक्टर में राजौरी, पुंछ, डोडा और उधमपुर क्षेत्रों में हिंसा का विस्तार करने के सुनियोजित प्रयासों के संकेत हैं ताकि साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा किया जा सके, नियंत्रण रेखा के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र विकसित किए जा सकें जिन्हें शरणागाह/छिपने के अड्डों के रूप में प्रयोग किया जा सके और यह दिखाना कि राज्य के सभी मुस्लिम क्षेत्रों में विद्रोह और असन्तोष है । इन क्षेत्रों में उग्रवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं । सभी संबंधितों पर इस बात के लिए जोर दिया गया है कि घुसपैठ को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उग्रवादियों को इन क्षेत्रों में मोर्चाबन्दी न करने दी जाय, सभी प्रयास करने पड़ेंगे ।

जम्मू व कश्मीर के हिमाच्छादित क्षेत्र में गश्त लगती हुई सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां

वर्तमान रूख

4.6 सिविलियनों की लगातार हत्याओं को देखते हुए राज्य और केन्द्र सरकार के लिए सन्तोष करने की कोई बात नहीं है, फिर भी सम्पूर्ण स्थिति में गुणात्मक रूप से निश्चित और स्पष्ट सुधार हुआ है । इसके कुछ सूचक निम्न प्रकार हैं - यह तथ्य कि बड़ी संख्या में लोग नियमित रूप से सचिवालय और जन प्रतिनिधियों के पास जा रहे, श्रीनगर और घाटी के अन्य भागों में सामान्य जनजीवन में प्रत्यक्ष राहत, अमरनाथ यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा भाग लेना तथा राज्य में अन्य यात्राओं का सफल आयोजन, श्रीनगर में प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन, राजनैतिक नेताओं द्वारा सम्बोधित बैठकों में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति और 1998 में लोक सभा चुनावों में मतदाताओं द्वारा बड़ी संख्या में भाग लेना, पुलिस और सुरक्षा बलों को उग्रवादियों के बारे में सूचना के प्रवाह में निश्चित बढ़ोत्तरी, आतंकवादी अभियानों इत्यादि में राज्य पुलिस की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि । तथापि, जम्मू क्षेत्र से राजोरी, पुंछ, डोडा और उधमपुर क्षेत्रों के उच्च और सुदूर क्षेत्रों में घटनाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि देखने में आई है ।

विक्षुब्ध क्षेत्र

4.7 उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सिविल प्रशासन और पुलिस की सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर में सेना और अर्ध-सैनिक बल तैनात किए जाते हैं । राज्य सरकार द्वारा सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 के अंतर्गत राजौरी और पुंछ जिलों में नियंत्रण रेखा के 20 किलोमीटर के अन्दर आने वाले क्षेत्रों और समस्त अनन्तनाग, बारामुल्ला, बडगाम, कुपवाड़ा पुलवामा और श्रीनगर जिले को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है । यह अधिनियम आतंकवाद/पृथवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए विक्षुब्ध क्षेत्रों में सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान कराता है ।

एकीकृत मुख्यालय

4.8 सुरक्षा संबंधी आसूचना के समन्वय और आदान-प्रदान और इस क्षेत्र में आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने और आप्रेशनों को समन्वित करने और सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए वर्तमान रणनीतियों के निर्माण हेतु जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री के सुरक्षा सालहकार के रूप में xv वीं और xvi वीं कोर के कोर कमाण्डरों के साथ मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में जम्मू और श्रीनगर में दो एकीकृत मुख्यालय कार्य कर रहे हैं । राज्य सरकार से इस आश्य से कि यह और प्रभावी भूमिका अदा कर सके, एकीकृत मुख्यालय की समन्वित तंत्र व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का अनुरोध किया गया है । आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निचले स्तर पर, जिला प्रशासन सुरक्षा बलों के साथ ताल-मेल करता है ।

ओप्रेशन ग्रुप

4.9 जम्मू और कश्मीर में अर्ध सैनिक बलों की तैनाती, आसूचना जानकारी और आंतरिक सुरक्षा संबंधी अभियानों के समन्वय सहित जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का आवधिक पुनरीक्षण करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार, अर्ध सैनिक बलों, रक्षा मंत्रालय, सेना, आसूचना एजेंसियों और गृह मंत्रालय के जम्मू और कश्मीर विभाग के अधिकारियों को लेकर गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (जम्मू और कश्मीर) की अध्यक्षता में एक ओप्रेशन ग्रुप स्थापित किया गया है । जम्मू और कश्मीर से संबंधित आसूचना के आदान-प्रदान पर आवधिक बैठकों के लिए ऐसा ही एक ग्रुप विशेष सचिव के अंतर्गत भी गठित किया गया है ।

18 मई, 1998 की उच्च स्तरीय बैठक

4.10 गृह मंत्री द्वारा 18 मई, 1998 को रक्षा मंत्री, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल, भारत सरकार, राज्य सरकार, सेना और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें स्थिति और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई । हथियारों-गतिशीलता आदि की दृष्टि से सुरक्षा बलों के आवश्यक उन्नयन पर विचार करने और जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद से निपटने के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार करने के साथ-साथ घुसपैठ रोकने और उग्रवादियों को बाहर खदेड़े के लिए रणनीतियों और युक्तियों के मुद्दों पर विचार करने के लिए विशेष सचिव (जम्मू और कश्मीर) की अध्यक्षता में, (डी जी एम ओ आर्मी, महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, महानिदेशक, जम्मू और कश्मीर पुलिस, विशेष निदेशक, आसूचना ब्यूरो और गृह मंत्रालय के जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग में संयुक्त सचिव, जिसके सदस्य हैं) एक विशेष ग्रुप का गठन किया गया था । विशेष ग्रुप ने इस मामले पर एक विस्तृत अध्ययन किया, विभिन्न अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया, जम्मू और कश्मीर का दौरा किया और राज्य में उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की । इस काय योजना के अनुपालन और जम्मू और कश्मीर और इससे लगे हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में आन्तरिक सुरक्षा स्थिति के पुनरीक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए समय-समय पर अनेक उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं ।

उग्रवाद से निपटने के लिए रणनीति

4.11 जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद से निपटने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति के एक मुख्य आयाम के रूप में सरकार ने एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, घुसपैठ की रोकथाम के लिए सीमा प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण, जम्मू और कश्मीर के अन्दर भीतर प्रदेश में उनके विरूद्ध

प्रतिकारी कार्रवाई करके उग्रवादियों की योजना को विफल करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, सीमा पर बसी जनता के साथ सम्पर्क बढ़ाना तथा एकीकृत मुख्यालय और निचले स्तरों पर बेहतर संस्थागत ढांचे के द्वारा निकट बृहत्तर कार्यात्मक एकीकरण शामिल है । तद्नुसार जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद से निपटने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है और चम्बा की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश में उग्रवाद विरोधी प्रयासों को कार्य योजना रणनीति के साथ समाकलित करने का निर्णय लिया गया । कार्ययोजना को क्रियाशील बनाने के लिए, तीन वर्षों के लिए, राज्य पुलिस सहित सुरक्षा बलों के लिए कुल 560.47 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है जिसमें से चालू वर्ष के लिए 118.50 करोड़ रु. रखे गए हैं । इसके अलावा, केन्द्र सरकार जम्मू और कश्मीर राज्य को सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) की प्रतिपूर्ति कर रही है ।

प्रतिकूल जलवायु दशाओं में चौकसी

4.12 जब से जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद नियंत्रण के लिए निपुणता से तैयार की गई उच्च स्तरीय कार्य योजना, जिसमें उग्रवाद को हिमाचल प्रदेश में फैलाने से रोकना और विशेष सचिव (जम्मू व कश्मीर) की अध्यक्षता में एक आप्रेशन ग्रुप का कार्य करना शामिल है, को कार्य रूप दिया गया है, आंकड़ों से इसके उत्साहजनक परिणाम नजर आ रहे हैं । कैलेण्डर वर्ष 1998 के दौरान मारे गए कुल उग्रवादियों की संख्या 999 थी । इसी प्रकार पिछले वर्ष के 197 की तुलना में 1998 के दौरान जम्मू और कश्मीर में मारे गए कुल विदेशी उग्रवादियों की संख्या 319 रही जो पिछले किसी भी कैलेण्डर वर्ष से ज्यादा थी । पिछले कैलेण्डर वर्ष के आतंकवाद संबंधी आंकड़ों से तुलना करने पर पता चलता है कि गत वर्ष 3420 की तुलना में इस वर्ष 2932 घटनाएं हुई, जिससे इसमें गिरावट का पता चलता है । इसी प्रकार 938 सिविलियनों की तुलना में 867 सिविलियन मारे गए । मारे गए 867 सिविलियनों में से 723 मुस्लिम थे और 144 गैर-मुस्लिम तथापि, 185 की तुलना में मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक की संख्या 232 रही, जो पहले से अधिक है और यह उग्रवाद विरोधी अभियानों की संख्या में वृद्धि

के कारण हुई है । तथापि इस बारे में यह उल्लेखनीय है कि 1994 में मारे गए सुरक्षा बलों की संख्या सर्वाधिक थी । 1998 में मूल कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 457 है ।

जम्मू और कश्मीर पुलिस का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण

4.13 जम्मू और कश्मीर पुलिस को आधुनिक और अधुनातम उपकरणों से सुसज्जित करने के उसके प्रयासों में मदद करने के लिए उसके आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को 5.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है । उपर्युक्त के अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद से निपटने के लिए सिद्धान्ततः अनुमोदित कार्ययोजना, जिसमें जम्मू और कश्मीर पुलिस के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 192.53 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिसमें से 38 करोड़ रुपए चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यय किए जाने हैं । यह निधि कार्य योजना के लिए विशेष एस आर ई (सुरक्षा संबंधी व्यय) के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी ।

एस आर ई पैरामीटर पुनरीक्षण समिति

4.14 विभिन्न मदों के संबंध में सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए राज्य सरकार को वर्ष 1997-98 के दौरान 154.96 करोड़ रू. की राशि की प्रतिपूर्ति की गई । चूंकि प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार्य मदें कई वर्ष पूर्व तय की गई थीं इसलिए जम्मू और कश्मीर के सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए मदानुसार और मानदण्डानुसार दिशानिदेशों के पुनरीक्षण के लिए मई, 1998 में एस आर ई पेरामीटर्स पुनरीक्षण समिति गठित की गई थी । समिति ने एस आर ई स्कीम के क्षेत्र के विस्तारण की सिफारिश की है । इस समिति की सिफारिशों के अनुसार जम्मू और कश्मीर के लिए एक स्थायी एस आर ई समिति गठित की गई जो हिमाचल प्रदेश में उग्रवाद/ आतंकवाद के फैलाव को भी देखेगी ।

जे के एल एफ पर प्रतिबन्द

4.15 एक उग्रवादी संगठन जम्मू और कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट को 17 फरवरी, 1998 की अधिसूचना के तहत विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 के अंतर्गत विधि-विरूद्ध संगठन घोषित किया गया । इस प्रतिबन्ध को विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 14 अगस्त, 1998 के आदेश द्वारा अनुमोदित कर दिया है ।

प्रसार और कुप्रचार

4.16 पाकिस्तान ने विश्व का ध्यान जम्मू और कश्मीर की ओर केन्द्रीत करने के सुस्पष्ट उद्देश्य से अपने सरकारी मीडिया और राजनयिक चैनलों का भारत के विरूद्ध स्वयंसिद्ध झूठ लेकिन निश्चयात्मक कुप्रचार और मिथ्या अभियान चलाने के लिए, खुलेआम दुरूपयोग जारी रखा । पाकिस्तान ने आतंकवादियों और उनकी गतिविधियों का गुणगान करने के अपने प्रयासों में वृद्धि की है । पोखरन-फेज-II के बाद कश्मीर मुद्दे के अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए पाकिस्तान द्वारा किए गए अथक कुप्रचार और प्रयासों को देखते हुए हमारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि जम्मू और कश्मीर में अलगावाद और आतंकवाद हिंसा को प्रयोजित करने और इन कार्यों में पाकिस्तान के निरन्तर संलिप्त होने का भण्डा फोड़ने संबंधी अपने प्रयासों को बढ़ाया जाय । हमें विलयन के बारे में पाकिस्तान की दलीलों, संयुक्त राष्ट्र संकल्प और भारत संघ के संघीय ढ़ाचे के भीतर जम्मू और कश्मीर में लोकप्रिय प्रजातंत्र के कार्यकरण के बारे में भ्रामकता को उजागार करने की आवश्यकता है । जबकि हमारे मीडिया प्रयास जारी हैं, अन्य बातों के साथ-साथ यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के लोग, विशेषकर जम्मू और कश्मीर में और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय जम्मू और कश्मीर की वास्तविक स्थिति से भली-भाँति अवगत हो सके और उन्हें जम्मू और कश्मीर मुद्दे के बारे में सही-सही स्थिति की जानकारी मिल सके । सरकार, जम्मू और कश्मीर के मामले में एक मीडिया रणनीति पर एप्रोच पेपर के मसौदे पर विचार कर रही है । इलेक्ट्रॉनिक और प्रिन्ट मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है तथा इसका प्रभावकारी ढंग से और अर्थपूर्ण तरीके से इस प्रकार विस्तारण किया जा रहा है जिससे यह ज़म्मू और कश्मीर के दूर-दराज के क्षेत्रों के लोगों तक पहुँच सके ।

II. जम्मू और कश्मीर में आधार-भूत और आर्थिक विकास

4.17 जारी उग्रवाद के कारण उत्पन्न कठिन स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार की मदद की है । गैर योजना परिव्यय के अन्तर को पूरा करके केन्द्र द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के योजना परिव्यय का संरक्षण किया जा रहा है । जम्मू और कश्मीर के लिए 1998-99 की वार्षिक योजना के लिए 1900 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है । योजना के लिए केन्द्रीय सहायता 2459.24 करोड़ रुपए होगी । इसमें से 850 करोड़ रुपए विशेष केन्द्रीय सहायता और 250 करोड़ रुपए विशेष योजना सहायता के रूप में होंगे । क्योंकि अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी इसलिए प्लान साईज 1750 करोड़ रु. निर्धारित किया गया है ।

4.18 राज्य में विकास और आर्थिक गतिविधियों की गति को तीव्र करने के लिए की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्न प्रकार हैं :-

(क) उधमपुर से बारामुल्ला तक की 290 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन के निर्माण का कार्य लाइन के घाटी और उधमपुर दोनों छोरो में प्रगति पर है ।

(ख) वर्ष पर्यन्त राज्य की व्यस्तम काल की बिजली आवश्यकता को पूर्णत पूरा करने के लिए, केन्द्र ने राज्य के लिए बिजली का आबंटन 876 मेगावाट तक बढ़ा दिया है तथा इस आबंटन को, सर्दियों के मौसम के दौरान जब बिजली का उत्पादन गिर जाता है, बनाए रखा गया । 1997 के दौरान उरी हाईडल प्रोजेक्ट (4x120 मेगावाट) की सभी चारों युनिटों को चालू कर दिया गया तथा दुलहस्ती हाईडल प्रोजेक्ट (130x3 मेगावाट) का काम अप्रैल, 1997 में पुन: शुरू किया गया ।

(ग) वर्ष 1998-99 के योजना परिव्यय में जम्मू और कश्मीर में क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण के लिए 87 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है ।

(घ) योजना आयोग ने डल झील के विकास के लिए 1998-99 के योजना परिव्यय में 25 करोड़ रुपये की राशि अनुममोदित की है ।

ऋण राहत

4.19 जम्मू एवं कश्मीर में परिवहन, पर्यटन, लघु उद्योगों और व्यापार के क्षेत्र में (50,000 रु. से कम ऋण वालों को) ऋण राहत प्रदान करने संबंधी योजना कार्यान्वित की जा रही है । वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य के लिए 50 करोड़ रुपये जारी किए गए । ऋण राहत योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों को वर्ष 1998-99 के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई है ।

4.20 जम्मू एवं कश्मीर में उन ऋणियों, जिनका मूल ऋण 50,000 रुपये से ज्यादा है, के लिए विशेष सचिव (जम्मू एवं कश्मीर) की अध्यक्षता में गठित एक अंतमंत्रालयी समिति ने इस मुद्दे की जांच की है और प्रदान की जाने वाली राहत के संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं । इस समिति की ये सिफारिशें अन्य विभागों के साथ परामर्श करके प्रोसेस की जा रही है ।

रोजगार

4.21 जम्मू एवं कश्मीर के बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार देने से संबंधित मुद्दा बराबर केन्द्र/राज्य

सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है । केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए विशेष उपायों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों में जम्मू एवं कश्मीर से 12,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है । इसमें से 10,000 से ज्यादा लोग विभिन्न केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों द्वारा भर्ती किए गए हैं । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केन्द्रीय पदों पर उनके रोजगार को बढ़ाने की दृष्टि से जम्मू एवं कश्मीर के युवकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट देने संबंधी अनुदेश जारी किए हैं । यह छूट अब 31 दिसम्बर, 1999 तक बढ़ा दी गई है । केन्द्र और राज्य स्तर पर सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार के सीमित अवसरों को ध्यान में रखते हुए रोजगारोन्मुख योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री रोजगार योजना, जम्मू एवं कश्मीर स्वरोजगार योजना (जे.के.एस.ई.एस.) इत्यादि पर विशेष जोर दिया जा रहा है ।

विधवाओं और अनाथों का पुनर्वास

4.22 उग्रवाद से बुरी तरह प्रभावित विधवाओं, अनाथों, विकलांगों और वृद्ध व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने 1995 में एक परिषद् गठित की थी जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत निकाय है । इस परिषद के पास 1 अप्रैल, 1998 को 6.28 करोड़ रुपये का कोष संग्रह था, जिसमें भारत सरकार का 4.00 करोड़ रुपये का और प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष से 1 करोड़ रुपये का अंशदान शामिल था । राज्य सरकार वर्ष के दौरान इस कोष संग्रह में अपने शेयर के रूप में कुल 2.00 करोड़ का अंशदान देगी ।

4.23 इस पुनर्वास योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में लाभ भागी कवर किए गए हैं । कुल 255 वृद्ध व्यक्तियों, 672 विधवाओं और 15552 अनाथ विद्यार्थियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कवर किया गया है। आज तक इस हेतु लगभग 21 लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैं ।

कश्मीर घाटी में पर्यटन को पुनः शुरू किया जाना

4.24 राज्य में उग्रवाद की वजह से अशांत स्थिति के कारण बुरी तरह प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से पर्यटन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और पर्यटन संबंधी मूलभूत ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया । तथापि, अक्तूबर 1996 में राज्य में लोकप्रिय सरकार के आने के साथ, राज्य में पर्यटकों की संख्या में धीरे-धीरे लेकिन नियमित रूप से सुधार हुआ है । 1998 की अमरनाथ यात्रा में 1,49,920 तीर्थ यात्री आए जो अभूतपूर्व रिकार्ड है । महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यटन और यात्रा उद्योग ने अपना कारोबार पुनः शुरू करने के संबंध में अपना उत्साह एक बार फिर दिखाया हैं । इस उत्साह को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की मदद से प्रयास

अमरनाथ यात्रा पर गए तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा

किए जा रहे हैं । इस राज्य के लिए प्रधान मंत्री के पैकेज में इस सैक्टर में प्रभावित लोगों के लिए ऋण राहत योजना भी सम्मिलित है । भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पर्यटन को फिर से जीवित करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है जिसने अपनी पहली ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

प्रवासियों और उग्रवादियों का पुनर्वास

4.25 जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी हिंसा के प्रारंभिक चरणों में बाहर से समर्थित और प्रेरित उग्रवाद ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों और काफी संख्या में सिखों, अन्य हिंदुओं और कुछ मुस्लममानों को भी 1990 में घाटी से पलायन करना पड़ा था । ये प्रवासी परिवार अब मुख्य रूप से जम्मू डिवीजन में रह रहे हैं जबकि कुछ देश के अन्य भागों को पलायन कर गए हैं ।

4.26 यह आशा की जाती है कि जैसे ही उनकी वापसी के लिए पर्याप्त अनुकूल परिस्थितियां बन जाएंगी

ये प्रवासी घाटी को वापस लौट जाएंगे और प्रवासियों संबंधी नीति इसी तर्क पर आधारित है । अत: प्रवासियों को राज्य से बाहर स्थायी रूप से बसाने का कोई विचार नहीं है । फलस्वरूप नीति में इस बात को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है कि प्रवासियों के सामने आ रही कठिनाइयों और मुसीबतों को कम किया जाए और जरूरतमंद परिवारों को भरण पोषण सहायता के रूप में पर्याप्त राशि दी जाए । इन प्रवासियों को उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राहत दी जा रही है जहाँ वे अस्थायी तौर पर रह रहे हैं ।

4.28 बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर में राहत शिविरों में ठहरे हुए हैं और उन्हें जल, विद्युत, स्वच्छता आदि जैसी आवश्यक नागरिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं । इन शिविरों में प्रवासियों की रहन-सहन की दशा का गृह मंत्रालय द्वारा ध्यानपूर्वक प्रबोधन किया जाता है ।

4.28 अपनी तरफ से राज्य सरकार ने, प्रवासियों द्वारा विपत्ति में अपनी अचल संपत्ति को बेचने से रोकने के लिए 2 जून, 1997 को जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (संरक्षण, सुरक्षा और विपत्ति में बिक्री पर रोक) अधिनियम, 1997 अधिनियमित किया है । अनुपस्थिति में मुकदमेबाजी के कारण प्रवासियों के अनावश्यक उत्पीड़न को रोकने हेतु राज्य सरकार ने 2 जून, 1997 को जम्मू और कश्मीर प्रवासी (कार्यवाही का स्थगन) अधिनियम, 1997 अधिनियमित किया । इन दो कानूनों से प्रवासियों को और राहत मिलेगी ।

4.29 केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों ही इस बात के लिए उत्सुक हैं कि प्रवासी अपने-अपने घरों और भूमि को लौट जाएं और राज्य सरकार को कहा गया है कि इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार करे । जम्मू और कश्मीर सरकार ने केन्द्र को सूचित किया है कि प्रवासियों की घाटी में अपने मूल स्थानों को सुरक्षित और सम्मान पूर्ण वापसी का काम राज्य सरकार के लिए सर्वोच्य प्राथमिकता का है और सरकार इस संबंध में एक विस्तृत योजना बना रही है । राज्य सरकार ने इस संपूर्ण मुद्दे की जांच करने और उनसे संबंधित सिफारिशें देने हेतु राजस्व, विधि वित्त और पर्यटन मंत्रियों की एक उप-समिति गठित की है ।

4.30 राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने की समग्र नीति के एक तत्व के रूप में अगस्त 1995 में एक आत्मसमर्पण नीति घोषित की गई थी ताकि उग्रवादियों को, हिंसा का रास्ता छोड़ने और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए बढ़ावा और प्रोत्साहन दिया जा सके । राज्य सरकार ने आत्मसमर्पण नीति को जून, 1997 में संशोधित किया था । समर्पित शस्त्रों, गोला-बारुद और उपकरणों के लिए नकद प्रोत्साहन पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है, अधिकांश श्रेणियों के लिए 100 प्रतिशत से ज्यादा । आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों को दिए जाने वाले वजीफे को आत्मसमर्पण की तारीख से पुनर्वास होने की तारीख तक या 12 महीनों की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, बढ़ा कर 1800 रुपये कर दिया गया है जबकि पहले घोषित नीति के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों, जो पुनर्वास केन्द्रों में प्रशिक्षण ले रहे थे, को 1500 रुपये का वंजीफा दिया जाता था ।

4.31 1995 में आत्मसमर्पण नीति की घोषणा के बाद से 30 सितम्बर, 1998 तक 1515 उग्रवादियों ने आत्मसर्पण किया है । इन उग्रवादियों ने बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद भी जमा कराए हैं । 1990 से आगे कुल 2847 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है । भारत सरकार ने केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के लिए दो बटालियनें खड़ी करने की अनुमति दी थी जिनमें मुख्य रूप से आत्मसमर्पण कर चुके ये उग्रवादी भर्ती किए जाएंगे । इन बटालियनों में अभी तक आत्मसमर्पण कर चुके 812 उग्रवादी भर्ती किए जा चुके हैं । इन उग्रवादियों को जीविका के स्थायी साधन प्रदान करने हेतु प्रधान मंत्री रोजगार योजना या राज्य की स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत भी कवर किया गया है ।

अध्याय-5

पूर्वोत्तर

5.1 पूर्वोत्तर भारत में, अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य हैं । इसका क्षेत्रफल, भारत के कुल भू-भाग का 8 प्रतिशत है और इसकी जनसंख्या 316 लाख (1991 की जनगणना के अनुसार) है ।

5.2 पूर्वोत्तर गृह मंत्रालय के विचारण और कार्रवाई योजनाओं का केन्द्र बना हुआ है । मंत्रालय में एक पृथक प्रभाग पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित सभी मामलों को देखता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सात पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और उत्तरी बंगाल की सुरक्षा स्थिति, पड़ोसी देशों के साथ सीमा संबंधी मामले, सीमा प्रबंधन (सीमा सड़कों/बाड़ लगाने सहित) पर्वोत्तर परिषद् से संबंधित मामले, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम से संबंधित विकासात्मक मुद्दों का समन्वय, पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज का प्रबोधन, पूर्वोत्तर परिषद आई.एम.डी.टी. अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरण, पूर्वोत्तर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष योजना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, पूर्वोत्तर की भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता के लिए योजनाएं, असम और बोडो समझौतों का कार्यान्वयन तथा कार्बी अंगलोंग और उत्तरी कच्छार पर्वतीय स्वायत्तशासी परिषदों पर समझौता ज्ञापनों का कार्यान्वयन, पूर्वोत्तर में प्रचार-प्रसार इत्यादि शामिल है । गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर मामलों से संबंधित एकपृथक विभाग बनाने के प्रस्ताव पर भी सरकार विचार कर रही है ।

पूर्वोत्तर के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण

5.3 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का पूर्वोत्तर भारत के बारे में यह स्वप्न था, कि आदिवासियों को उनकी अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित होने दिया जाए । उनके विचार में पूर्वोत्तर का विकास निम्नलिखित पांच मूल सिद्धांतों के विस्तृत ढांचे के भीतर किया जाना था :-

(i) लोगों को अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित होना चाहिए और हमें उन पर कुछ भी थोपने से बचना चाहिए । हमें, उनकी अपनी पारम्परिक कला और सांस्कृतिक धरोहर को हर प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहिए ।

(ii) भूमि और वनो में आदिवासियों के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए ।

(iii) हमें, प्रशासन और विकास कार्य करने के लिए उनके अपने लोगों की एक टीम तैयार करनी चाहिए और उसे प्रशिक्षित करना चाहिए । विशेष रूप से, प्रारम्भ में, बाहर से कुछ तकनीकी कार्मिकों की निसंदेह जरूरत होगी । लेकिन हमें आदिवासी भू-क्षेत्र में अनेक बाहरी लोगों को तैनात करने से बचना चाहिए ।

(iv) हमें, इन क्षेत्रों पर जरूरत से ज्यादा शासन नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें बहुमुखी योजनाओं से बोझिल बनाना चाहिए, बल्कि हमें उनकी अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से काम करना चाहिए न कि उनके प्रतिद्वन्द्वी बन कर ।

(v) हमें, परिणामों को आंकड़ों या खर्च की गई राशि की दृष्टि से नहीं आंकना चाहिए अपितु इसके कारण जो मानव स्वभाव विकसित हुआ है उससे परखना चाहिए ।

5.4 भारत के संविधान में छठी अनुसूची का समावेश करना और आदिवासियों की राजनैतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिला परिषदों का गठन करना पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशिष्ट ढांचे को मान्यता देना है । तथापि, इसमें आदिवासियों की आकांक्षाएं पूरी तरह पूर्ण नहीं होती है । पर्वतीय क्षेत्रों को पृथक राज्य या संघ शासित क्षेत्र का दर्जा देने के नए दृष्टिकोण से प्रशासन की प्रणाली बदली है । 1971-72 में देखे गए अन्य मौलिक परिवर्तन थे :- क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका की समाप्ति, संसदीय अधिनियम द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् का गठन और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की प्रशासनिक अवधारणा ।

5.5 दृष्टिकोण में अगला प्रमुख परिवर्तन 1996 के दौरान तब हुआ जब प्रधान मंत्री ने सात पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा करने के बाद 27 अक्तूबर 1996 को अपने वक्तव्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति के घटक निर्धारित किए । इस वक्तव्य को संसद के दोनों सदनों में रखा गया । इस नीति में सम्मिलित घटक निम्न प्रकार थे :-

(क) विद्रोह से निपटने हेतु

- बिना शर्त बातचीत की पेशकश
- हिंसा का सख्ती से दमन करना
- पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार

(ख) मूलभूत ढांचे का त्वरित विकास और रोजगार योजनाओं पर जोर ।

- शुक्ला आयोग
- बोपाराई समिति
- सभी केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा पूर्वोत्तर के लिए बजट का 10% भाग निर्धारित करना
- ई.ए.एस. को सभी ब्लाकों तक बढ़ाना
- पूर्ण दूर संचार और इलेक्ट्रोनिक कवरेज
- ऋण प्रवाह में सुधार
- नई औद्योगिक नीति
- पर्यटन का विकास
- रेल सेवाओं में सुधार
- योजनाओं के लिए पैकेज (6100 करोड़ रु.) की घोषणा ।

(ग) कुशल प्रशासन और विकेन्द्रीयकरण

- पारदर्शिता/जिम्मेवारी
- स्वायत्तशासी जिला परिषदों को सुदृढ़ करना
- पंचायत राज का कार्यान्वयन
- आगे और विकेन्द्रीकरण

(घ) विदेशियों विषयक मुद्दे

- अप्रभावित कानूनों को निरस्त करना
- कानूनी और प्रशासनिक उपायों को सुदृढ़ करना
- बेहतर सीमा प्रबन्धन

(ड.) जातीयता

- विभिन्न आदिवासियों के पहचान संबंधी मुद्दों को बेहतर रूप से समझना
- उपेक्षा और परायेपन की भावना को दूर करना

पूर्वोत्तर में पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

5.6 गृह मंत्रालय पूर्वोत्तर में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण को उच्च प्राथमिकता देता रहा है । इसमें सम्मिलित है - विशेष प्रशिक्षण, आधुनिक हथियार, बेहतर गतिशीलता, उन्नत संचार व्यवस्था, आसूचना में सुधार और आवास सुविधाएं । 1996-97 के दौरान, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए कुल 47.57 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई, जिसमें से 35 करोड़ रु. का सामान दिया गया । भविष्य में, पूर्वोत्तर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए, जहां तक सम्भव हो, केन्द्रीय सहायता, सामान के रूप में दी जाएगी ।

प्रशासन को सक्रिय बनाना

5.7 विद्रोह को अकेले बन्दूक के बल पर रोका जा सकता है । यह माना गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह को रोकने में सिविल प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है । सिविल प्रशासन द्वारा जिन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है उनमें सम्मिलित है -- शिकायतों का त्वरित निपटान, सामाजिक और आर्थिक संसाधनों का व्यापक रूप से संग्रहण, अधिक पारदर्शिता और जिम्मेवारी तथा त्वरित आर्थिक विकास । विद्रोह विरोधी अभियानों में कार्यरत सेना और अर्ध सैनिक बलों द्वारा बेहतर प्रबन्धन, भारत के प्रति उग्रवादी रूख रखने वाली एजेंन्सियों द्वारा शुरू किए गए अभियानों को निष्प्रभावी करना और क्षेत्र में सुरक्षा उपलब्ध कराना ताकि स्थानीय प्राधिकारी अपनी मूल भूमिका निभा सके ।

पूर्वोत्तर के लिए कार्य-योजना-एक रूप रेखा

5.8 यह भी महसूस किया गया है कि केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए ''पूर्वोत्तर नीति का अवलोकन'' मूल मार्गदर्शी सिद्धान्त होना चाहिए । आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में, ढांचागत विकास, विशेष रूप से अन्तर्राज्यीय संचार और यातायाता के कार्य को तेज किया जाना चाहिए और क्षेत्र में उपलब्ध - संसाधनों के अनुकूल सावधानीपूर्वक अभिकल्पित औद्योगिक कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए । इस बात को भी माना गया है कि राज्य स्तर पर धन आवंटन के लिए प्राधिकारों का अनावश्यक केन्द्रीकरण चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की आवश्यकता है । आर्थिक विकास का विकेन्द्रीकरण करना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वोत्तर में इन छोटे-छोटे राज्यों का सृजन स्वायत्तता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही किया गया था । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पूर्वोत्तर राज्यों की लगभग 98 प्रतिशत बाहरी सीमाएं पडोसी देशों जैसे भूटान, चीन, म्यांमार और बंगलादेश से लगी हुई है, पडोसी देशों के साथ गहन और दोस्ताना संबंध विकसित करना और आपसी सुरक्षा संबंधी मामलों में सहयोग के लिए संस्थागत प्रबंध करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है ।

5.9 पूर्वोत्तर के बारे में वर्ष के दौरान लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्न प्रकार है :-

(क) विद्रोह से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा 1 अप्रैल, 1995 से किए गए सुरक्षा संबंधी अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुमोदन । प्रारम्भिक संवीक्षा के बाद और लेखा-परीक्षा की शर्त पर, निम्नलिखित राज्यों को 1995-96 से 1997-98 की अवधि के लिए नीचे दी गई राशि की प्रतिपूर्ति की गई है :-

1.	असम	78.86 करोड रु
2.	नागालैंड	35.61 करोड रु.
3.	त्रिपुरा	28.55 करोड़ रु.
4.	मणिपुर	19.43 करोड रु.

(ख) केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पूर्वोत्तर परिषद का पुर्नगठन करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। पुर्नगठन की मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं :--

(i) सिक्किम को परिषद में शामिल किया जाएगा ।

(ii) राज्यपाल, जो संवैधानिक प्रमुख हैं, परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे ।

(iii) पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा, परिषद् में तीन सदस्य होंगे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाएगा ।

(iv) परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करेगी । केवल एक परामर्शी निकाय के रूप में कार्य करने के बजाय, परिषद को, केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियां भी प्राप्त होंगी ।

(v) सिक्किम, जिसकी परिषद के किसी अन्य सदस्य-राज्य के साथ कॉमन भोगोलिक सीमा नहीं है, को छोड़कर क्षेत्रीय योजनाएं बनाते समय, परिषद दो या इससे अधिक राज्यों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी । परिषद, सिक्किम के लिए राज्य विशिष्ट परियोजनाएं और स्कीमों को तैयार करेगी और उन्हें कार्यान्वित करेगी ।

(vi) परिषद के समक्ष तब तक कोई स्कीम नहीं रखी जाएगी जब तक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा इसकी सिफारिश नहीं की जाती है, जिसके अध्यक्ष के रूप में परिषद के सचिव और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के योजना सचिव, सदस्यों के रूप में होते हैं । यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि समिति द्वारा कार्यान्वयन

के लिए चुनी गई स्कीम का क्षेत्रीय स्वरूप है और वह परिषद के सदस्य राज्यों द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं को प्रतिबिम्बित करती है ।

पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक 8 दिसम्बर, 1998 को राज्य सभा में पेश किया गया था ।

(ग) 159.40 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से कृषि विकास परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि (आई.एफ.ए.डी.) शुरू की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य, संवेदनशील ग्रुपों के संसाधन आधार प्रबन्धन में सुधार करके उनकी जीविका में इस प्रकार से सुधार करना है कि जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने और बहाल करने में योगदान मिले । परियोजना निम्नलिखित रणनीति के अनुसार अपने उद्देश्य प्राप्त करेगी :--

(i) समुदायों और भागीदार एजेंसियों, जिसमें ग्राम-संस्थान, बचत और ऋण स्वत: सहायता, ग्रुप सम्मिलित है, की क्षमता निर्माण और गैर-सरकार संगठनों और सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वालों को भागीदारी प्रक्रियाओं में कुशलता का विकास ।

(ii) आर्थिक जीविकोपार्जन गतिविधियां, जिसमें सम्मिलित है सिंचाई, फसल विकास, बागवानी/बारहमासी फसल विकास, वानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन, विस्तार और तकनीकी हस्तांतरण, अनुकूल अनुसंधान, खेती-भिन्न उद्योग और नीति विकास और नये उत्पाद विकास ।

(iii) सामुदायिकता आधारित जैव-विविधिकरण संरक्षण, जिसमें सम्मिलित है :-- संरक्षित क्षेत्रों के इर्द-गिर्द बाग-बगानों और मध्यवर्ती क्षेत्र प्रबंधन,

(iv) सामाजिक क्षेत्र गतिविधियां जिनमें पेयजल, सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल और स्कूल कृषि कार्यक्रम सम्मिलित हैं ।

(v) ग्रामीण सड़क और ग्रामीण विद्युतीकरण जिसमें ग्राम-सम्पर्क सड़कों का उन्नयन और निर्माण तथा गावों के लिए विद्युत की व्यवस्था शामिल है, और

(vi) प्रबोधन और मूल्यांकन सहित परियोजना संगठन और प्रबंधन,

(घ) असम समझौते की पुनरीक्षा और कार्यान्वयन पर अखिल असम छात्र संघ और असम सरकार के साथ सदभावनापूर्ण वातावरण में बातचीत जारी रही । असम और बंगलादेश के

सीमावर्ती क्षेत्रों का फील्ड दौरा भी आयोजित किया गया था । असम समझौते के खंड-IV से संबंधित प्रस्तावों की जांच करने के लिए मुख्य समिति की एक उप समिति गठित की गई थी । इस उप समिति द्वारा अप्रैल, 1999 तक अपनी रिपोर्ट दे दिए जाने की सम्भावना है ।

(ड.) बोडो ग्रुपों और असम सरकार के साथ त्रिपक्षीय बातचीत भी की गई । पहली बार, गैर-बोडो - ग्रुपों, जो बोडोलैंड स्वायत्तशासी क्षेत्रों में बहुसंख्या में है, को बोडो समस्याओं को हल करने पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया गया था । विचार-विमर्श जारी है ।

(च) विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन उल्फा और एन एस सी एन को विधिविरूद्ध संगठन घोषित करते हुए 23 नवम्बर, 1998 को तथा एन डी एफ बी के संबंध में 26 नवम्बर, 1998 को अधिसूचनाएं जारी की गई थी ।

(छ) एन.एस.सी.एन. (आई./एम.) के साथ युद्ध विराम को 1 अगस्त, 1998 से एक साल की अवधि के लिए बढ़ाया गया । एन.एस.सी. एन. (आई.एस.) को यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह युद्ध विराम भारत सरकार और एक संगटन के रूप में एन.एस.सी.एन. के बीच है । एन.एस.सी.एन. (आई/एम) के साथ बातचीत करने के लिए भारत सरकार की ओर से श्री स्वराज कौशल को राजनैतिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया । सेना द्वारा 15 नवम्बर, 1998 से दो महीने की अवधि के लिए एन.एस.सी.एन. (खापलंग ग्रुप) के विरूद्ध एकपक्षीय युद्धविराम की घोषणा भी की गयी ताकि वे विचार-विमर्श कर सके और युद्ध विराम की पेशकश को औपचारिक रूप से स्वीकार कर सके । इसे तीन महीने के लिए और बढ़ाया गया और एन एस सी एन (के) ने बदले में अनुकूल कार्रवाई की ।

(ज) गृह मंत्रालय के 75 प्रतिशत वित्त पोषण के साथ मेघालय में 15 फरवरी, 1999 से हेलीकाप्टर सेवाओं की शुरूआत की गई है ।

5.10 आन्तरिक गुटबंदी झगड़ों, एन.एस.सी.एन. (आई/एम) द्वारा अपहरणों और बड़े पैमाने पर धन ऐंठने के कारण युद्ध विराम का वातावरण कुछ दूषित हुआ । यह उम्मीद की जाती है कि एन.एस.सी.एन. (आई/एम.) इस प्रकार के झगड़ों, अपहरणों और लूट खसोट, जिसके कारण नागालैंड के लोगों को काफी मुसीबतें उत्पन्न होती हैं, को बंद करके युद्ध विराम के प्रति ईमानदारी

का परिचय देगा । नागा होहो ने स्वयं एन.एस.सी.एन. (आई/एम.) द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही लूट-खसोट के प्रति चिन्ता व्यक्त की है और एन.एस.सी.एन. (आई/एम.) से इस प्रकार, अवैध ढंग से धन ऐंठने से बाज आने को कहा है ।

मणिपुर के चूराचांदपुर जिले में जातीय झगड़े

5.11 राज्य सरकार की पहल पर युद्धविराम के लिए वार्ता खुशी से स्थायी शांति समझौते में बदल दी गई है । चूराचांदपुर जिले में कुकी और पैते आदिवासी अब शांति से हैं । भारत सरकार ने जातीय झगड़ों से प्रभावित 4670 परिवारों के पुर्नवास के लिए 4.67 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं ।

मणिपुर में विद्रोह

5.12 मणिपुर में सक्रिय महत्वपूर्ण गुट हैं :- रिव्यूल्यूसनरी पीपुल्स फ्रंट (आर.पी.एफ), पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पी.एल.ए.) यूनाईटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू.एन.एल.एफ), पीपुल्स रिब्यूल्यूसनरी पार्टी आफ कांगलाईपाक (प्रिपेक), कांगलाईपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.), कांगलाई याल कानबा लुप (के.वाई.के.एल.), कुकी नेशनल आरगनाईजेशन/कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट (के.एन.ओ./के.डी.एफ), जोभी रिब्यूल्यूसनरी आर्मी (जे.आर.ए.) और नेशनल सोलिस्ट काऊन्सिल आफ नागालैंड (आईजाक/मुईवाह) । घाटी के जिले, मैतेई उग्रवादियों से और पर्वतीय जिले नागा और कुकी उग्रवादियों से प्रभावित हैं । जैड.आर.ए. अधिकतर चूरचांदपुर जिले में सक्रिय हैं ।

5.13 मैतेई उग्रवादियों ने हिंसा का विस्तार कर दिया है । उनकी हिंसा का एक चिन्ताजनक पहलु सुरक्षा बलों पर, विशेष रूप से बाहर से तैनात सुरक्षा बलों पर, हमले करना है । तथापि, पिछले वर्ष की 220 घटनाओं की तुलना में 26 नवम्बर, 1998 तक हुई कुल घटनाओं की संख्या, घटकर 155 हो गई है । उग्रवादी हिंसा के कारण हुई मौतों की संख्या पिछले वर्ष की 129 के मुकाबले केवल 103 है ।

5.14 इसके अतिरिक्त, यह राज्य नागा विद्रोह से ग्रस्त है क्योंकि मणिपुर के पर्वतीय जिलों में एन.एस.सी.एन. (आई/एम.) का प्रभाव है । कुकी उग्रवादी भी इन जिलों में सक्रिय हैं और उनकी गतिविधियां, जिनमें सुरक्षा बलों पर हमला करना सम्मिलित है, चिन्ता का विषय है ।

5.15 राज्य को नागा-कुकी जातीय झगड़ों की समस्या से भी निपटना पड़ता है । पृथक सदर पर्वतीय राजस्व जिले के सृजन पर विचार करने के राज्य सरकार के निर्णय के विरोध में नागा संगठनों ने विरोध प्रकट

किया, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग-39 पर एक महीने की आर्थिक नाकेबन्दी सम्मिलित है । हालांकि यह बंद 24 जून, 1998 को उठा लिया गया था, लेकिन एडीशनल डी सी और अपर पुलिस अधीक्षक, कांगपोकपी, को प्रस्तावित सदर पर्वतीय जिले के क्षेत्र में डी सी और पुलिस अधीक्षक की शक्तियां प्रदत्त करके, उनके पदों का उन्नयन करने के विरोध में नवम्बर, 1998 में इस क्षेत्र में फिर तनाव उत्पन्न हो गया ।

5.16 राज्य में नागा-कुकी तनाव जारी है । इस दृष्टि से, सेनापति, 3 उखरूल और तामेंगलांग जिलों में मिली जुली जनसंख्या वाले क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील हैं । तथापि, कुल मिलाकर हिंसा में कमी आई है । 1997 में हिंसा की कुल 49 घटनाओं के मुकाबले ये घटनाएं 18 है । मारे गए व्यक्तियों की संख्या, जो पिछले वर्ष 83 थी, घटकर 33 हो गई हैं । जलाए गए घरों की संख्या पिछले वर्ष 196 थी जो घटकर 36 रह गई ।

रियांगो का मिजोरम से त्रिपुरा में प्रवसन

5.17 रियांग समस्या असुलझी रही । इस समय 35995 रियांग त्रिपुरा में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं । मिजोरम से आए रियांग शरणार्थियों के शिविरों के रखरखाव पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए त्रिपुरा सरकार को 748 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई/रिलीज की गई । मिजोरम सरकार को, रियांगो की त्रिपुरा से वापसी के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने की सलाह दी गई हैं । यह उम्मीद है कि नई सरकार, जिसने मिजोरम में कार्यभार सम्भाला है, इस मुद्दे को हल करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता देगी ।

त्रिपुरा में विद्रोह

5.18 त्रिपुरा पिछले 19 वर्षों से हल्के स्तर के विद्रोह से ग्रस्त हैं । हालांकि, लगभग 20 सशस्त्र आदिवासी ग्रुपों की शिनाख्त की गयी है जैसे आल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (ए.टी.टी.एफ.), नेशनल लिब्रेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा (एन.एल.टी.एफ.) त्रिपुरा ट्राईब्ल वालंटियर फोर्स (टी.टी.वी.एफ.), त्रिपुरा ट्राईब्ल डेमोक्रेटिक फोर्स (टी.टी.डी.एफ.) त्रिपुरा ट्राईब्ल यूथ फोर्स (टी.टी.वाई.एफ) त्रिपुरा ट्राईब्ल एक्शन कमेटी फोर्स (टी.टी.ए.सी.एफ), सोल्लिस्टिक डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ त्रिपुरा (एस.डी.एफ.टी), आल त्रिपुरा नेशल फोर्स (ए.टी.एन.एफ), त्रिपुरा ट्राईब्ल सेनग्रक फोर्स (टी.टी.एस.एफ), टाईगर कमान्डो फोर्स (टी.सी.एफ), त्रिपुरा मुक्ति पुलिस (टी.एम.पी.) इत्यादि, इनमें से केवल 2(ए.टी.टी.एफ और एन.एल.एफ.टी) अधिकतर हत्याओं के लिए जिम्मेवार है और मुख्य गतिविधियों के साथ कुछ वैचारिक संबंध रखती है जो धन लाभ के लिए हत्या, लूटपाट, लूट-खसोट, अपहरण तक ही सीमित हैं । मोटे तौर पर सम्पूर्ण त्रिपुरा आदिवासी स्वायत्तशासी जिला परिषद (टी.टी.ए.डी.सी) क्षेत्र, जिसमें घने जंगल हैं और जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी

ग्रवादी/बदमाशों द्वारा की गयी हिंसा से प्रभावित है । हिंसा का निशाना अधिकार गैर-आदिवासी लोग बने हैं। टी.टी.ए.डी.सी. से बाहर पड़ने वाले क्षेत्र, जो गैर-आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, काफी कम प्रभावित हैं ।

5.19 आदिवासी उग्रवादियों, विशेष रूप से एन.एल.एफ.टी. द्वारा की गयी हिंसा के स्तर में काफी वृद्धि हुई । नवम्बर, 1998 के अंत तक इससे संबंधित 505 घटनाएं हुईं जबकि 1997 में 303 घटनाए हुई थीं । नवम्बर, 1998 तक 235 सिविलियन हताहत हुए जबकि 1997 के दौरान यह संख्या 270 थी । मारे गए सुरक्षा बल कर्मियों की संख्या जो 1997 में 50 थी 1998 में घटकर 25 हो गई । इस वर्ष मारे गए विद्रोहियों की संख्या 14 है, जो पिछले वर्ष के समान है । यह नोट किया गया कि आदिवासी उग्रवादी जातीय दंगे फैलाने की दृष्टि से सुरक्षा बलों के बजाय निर्दोष नागरिकों पर हमला करते रहे हैं । स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

असम में विद्रोह

5.20 यूनाईटड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बाडोलैंड (एन.डी.एफ.बी) और बोडो लिब्रेशन टाईगर (बी.एल.टी), वर्ष के अधिकांश हिस्से में सक्रिय रहे । निचले असम में बोडो और संथालों के बीच जातीय हिंसा ने भी राज्य के कोकराझार और बोगईगांव जिलों में आफत मचाए रखी । विद्रोही गुट नवम्बर, 1998 तक 635 घटनाओं के लिए जिम्मेवार थे, जिसमें 499 व्यक्ति मारे गए । तथापि, सुरक्षा बलों द्वारा की गई समन्वित कार्रवाई से आतंकवादियों के विरूद्ध काफी सफलता मिली । इन प्रयासों के फलस्वरूप 334 उल्फा और 51 एन डी एफ बी/बी एल टी एफ कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण किया और जो पात्र पाए गए उन्हें अर्ध-सैनिक बलों में भर्ती किया गया ।

5.21 हालांकि, असम में हिंसा का स्तर, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहा, ऐसा सरकार द्वारा उग्रवाद को रोकने के लिए की गई समन्वित कार्रवाई और आतंकवादियों द्वारा की गयी प्रतिरोधी कार्रवाई के कारण हुआ । घटते हुए जन समर्थन को ध्यान में रखते हुए, विद्रोही ग्रुप आम जनता को आतंकित करने के मकसद से महिलाओं और बच्चों सहित अधिकतर निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे है ।

5.22 बोडो संथाल जातीय हिंसा में विस्थापित व्यक्तियों के लिए राहत उपाय किए गए हैं । 2.25 लाख व्यक्तियों को राहत शिविरों में रखा गया है । शरणार्थियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का आंकलन करने के लिए एक केन्द्रीय स्वास्थ्य टीम ने कोकराझार और बोगईगांव का दौरा किया । जातीय हिंसा के पीड़ितों के पुर्नवास के लिए कुल 6.74 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई । गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (एन.इ.) के नेतृत्व में एक टीम ने सितम्बर, 1998 में राहत शिविरों का दौरा किया ।

सिक्किम

5.23 दंत-चिकित्सक अधिनियम, 1948, भेषजी अधिनियम, 1948, भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956, भारतीय विष अधिनियम, 1919 और सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 सिक्किम राज्य पर लागू किए गए है । सिक्किम, केन्द्र से धन प्राप्त करने वाले विशेष श्रेणी के राज्यों की सूची में है । संचार व्यवस्था बढ़ाने के लिए, बागडोगरा और गंगटोक के बीच 16 नवम्बर, 1998 से एक हैलीकोप्टर सेवा शुरू की गई जिसके लिए 75 प्रतिशत धन गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है । राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य है ।

व्यपगत न होने वाला केन्द्रीय संसाधन पूल

5.24 जैसाकि वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषित किया 1 करोड रु. के प्रावधान के साथ एक व्यपगत-न-होने वाला केन्द्रीय संसाधन पूल बनाया गया है । योजना आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों, जो 1998-99 के अपने बजट का 10 प्रतिशत भाग पूर्वोत्तर राज्यों में खर्च करने में असफल रहे, से लगभग 186 करोड़ का पता लगाया है । योजना आयोग द्वारा गठित समिति ने, इन संसाधनों से वित्त पोषण के लिए 118 करोड़ रु. लागत की परियोजनाओं/ स्कीमों की पहले ही शिनाख्त कर ली गई है । पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 93.10 करोड़ रुपये रिलीज करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा 15 फरवरी, 1999 को औपचारिक स्वीकृति जारी की गई है ।

पड़ोसी देशों के साथ सहयोग

5.25 म्यांमार और भारत के बीच आपसी आतंरिक सुरक्षा प्रबंध के मामलों में सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से केन्द्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में एक अन्तर मंत्रालयीय प्रतिनिधि मंडल ने 26-29 अप्रैल, 1998 को म्यांमार का दौरा किया । भूतपूर्व गृह सचिव के स्तर पर म्यांमार के साथ बातचीत नवम्बर, 1998 में हुई थी ।

5.26 केन्द्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में अन्तर-मंत्रालयीय प्रतिनिधि मंडल ने नवम्बर, 1998 में बंगलादेश का दौरा किया । इससे पहले, फरवरी, 1997 में बंगलादेश के साथ गृह सचिव स्तर की बातचीत हुई थी जब बंगलादेश के गृह सचिव, नई दिल्ली आए थे । अगस्त, 1998 में नई दिल्ली में बंगलादेश के साथ एक संयुक्त वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई । इन बैठकों से दोनों देशों के बीच सहयोग और सुदृढ़ करने में मदद मिली । बंगलादेश सरकार द्वारा अनूप चेतियां, जनरल सेकेट्री, उल्फा की गिरफ्तारी ऐसे सहयोग का एक उदाहरण है ।

मणिपुर में पांचवें राष्ट्रीय खेल

5.27 पांचवें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 14 से 25 फरवरी, 1999 तक मणिपुर में किया गया । राष्ट्रपति ने 14 फरवरी, 1999 को खेलों का उद्घाटन किया । ऐसा पहली बार हुआ कि इस स्तर के राष्ट्रीय खेल किसी पूर्वोत्तर राज्य में आयोजित किए गए । खेलों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध किए गए थे और राष्ट्रीय खेलों के दौरान अचूक सुरक्षा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की अतिरिक्त टुकडियां, तोड़फोड़ विरोधी दल, स्नीफर कुत्ते और अन्य विशिष्ट उपकरण उपलब्ध कराए ।

अध्याय-6

संघ राज्य क्षेत्र

6.1 संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956 के द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग ग में राज्यों तथा भाग घ में राज्य क्षेत्रों के स्थान पर ''संघ राज्य क्षेत्र'' प्रतिस्थापित किया गया है, जो प्रथम अनुसूची (यथा संशोधित) के भाग - II के तहत संख्या में तब छः थे । अनुवर्ती संशोधन अधिनियमों के बाद अब सात संघ राज्य क्षेत्र हैं, अर्थात्:--

(1) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
(2) चण्डीगढ़
(3) दादरा और नगर हवेली
(4) दमन एवं दीव
(5) लक्षद्वीप
(6) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
(7) पांडिचेरी

6.2 संघ राज्य क्षेत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 तक के उपबंधों के अनुसार प्रशासित होते हैं । सात संघ राज्य क्षेत्रों में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पांडिचेरी का विधानमण्डल एवं मंत्रिपरिषद है । शेष संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल रहित हैं ।

6.3 सातों संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या 1,14,42,875 है तथा इनका कुल क्षेत्रफल 10,973 वर्ग कि.मी. है । प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या इस अध्याय के अनुलग्नक - I में दी गई है ।

6.4 नौवीं पंचवीर्षीय योजना (1997-2002) के लिए संघ राज्य क्षेत्रों का कुल परिव्यय 19701.28 करोड़ रुपए है । आठवीं पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना और वर्ष 1997-98 और 1998-99 की वार्षिक योजनाओं के लिए अलग-अलग संघ राज्य क्षेत्रों के योजनागत परिव्यय इस अध्याय के अनुलग्नक-II में दिए गए हैं । वार्षिक योजना 1998-99 के लिए संघ राज्य क्षेत्रों की बुनियादी न्यूनतम सेवा तथा स्लम विकास के लिए किए गए प्रावधान इस अध्याय के अनुलग्नक - III में दर्शाए गए हैं।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

6.5 752 द्वीपों एवं उप द्वीपों वाला अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में 6° और 14° उत्तरी अक्षांश एवं 92° और 94° पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है । इसका कुल क्षेत्रफल 824 वर्ग कि.मी. है जिसमें से लगभग 87% अथवा 7171 वर्ग कि.मी. क्षेत्र वनाच्छादित है । 36 द्वीपों की कुल जनसंख्या 2,80,661 (1991 की जनगणना के अनुसार) है । कुल जनजातीय आबादी, जारवाओं एवं सेंटिनलियों को छोड़कर जिनकी गणना नहीं की जा सकी, 26770 है ।

कृषि

6.6 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कृषि उत्पादन में सुधार दिखाई दिया जिसमें खाद्य फसलों में वृद्धि दर पंजीकृत की गई । कुल खाद्य उत्पादन 1997-98 के 1,04,654 टन की तुलना में नवम्बर, 1998 तक 1,03,928 टन हुआ । मृदा संरक्षण योजना के तहत नवम्बर, 1998 तक 94 हैक्टेअर भूमि को शामिल किया गया है । वर्ष 1998-99 के लिए 4000 हैक्टेअर के लक्ष्य की तुलना में नवम्बर, 1998 तक 2527 हैक्टेअर भूमि में ट्रेक्टर का उपयोग किया जाने लगा है ।

पशुपालन एवं मत्स्य पालन

6.7 1998-99 के दौरान, पशुधन विकास कार्यक्रम के तहत अक्तूबर 1998 तक 6,67,353 पशुओं का उपचार किया गाया । इसके अतिरिक्त, 488 पशु-चिकित्सा-स्वास्थ्य-शिविर लगाए गए हैं एवं 2644 सचल दौरे किए गए हैं । विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत 50% सबसिडी के आधार पर जनजातियों को 55 बैकयार्ड मुर्गीपालन इकाइयां वितरित की गयीं । 50% सबसिडी आधार पर जनजातियों में सुअर पालन की 20 इकाइयां वितरित की गईं ।

6.8 संघ राज्य क्षेत्र में इस समय मत्स्य पालन के विकास की 10 योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं मछुआरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त उनके फार्मों के जीर्णोद्धार के लिए 30 मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी । वर्ष 1998-99 के दौरान 27,700 टन के लक्ष्य की तुलना में नवम्बर, 1998 तक 16,440 टन उत्पादन दर्ज किया गया ।

सड़कें एवं पुल

6.9 10 कि.मी. ग्रामीण सड़कों, 9 कि.मी. अण्डमान ट्रन्क रोड, पोर्ट ब्लेयर मुख्यालय में 1 कि.मी. न्यू लिंक रोड, 15 कि.मी. फेयर वेदर रोड तथा 5 स्थायी पुलों के निर्माण के लिए 1998-99 में 2736 लाख रु

का परिव्यय रखा गया था । नवम्बर, 1998 तक 1320.59 लाख रुपए का व्यय किया गया है तथा सभी कार्य प्रगति पर हैं ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

6.10 अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र में फैली 407 उचित दर दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित की जाती है ।

शिक्षा

6.11 यहां के लोगों की शैक्षणिक आवश्यकताएं 368 विद्यालयों 368 विद्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से पूरी की जाती हैं । शैक्षिक सुविधाएं सभी आवासीय क्षेत्रों के 1 कि.मी. के दायरे में उपलब्ध हैं । इस समय इस संघ राज्य क्षेत्र में 43 सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, 2 नवोदय विद्यालय, 37 सेकेण्डरी स्कूल, 54 मिडल स्कूल, 210 प्राइमरी स्कूल और 23 प्री-प्राईमरी स्कूल एवं 1 आश्रम विद्यालय हैं । विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान के तहत समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1760 व्यक्यिों को साक्षर बनाया गया ।

वन

6.12 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 217 हैक्टेयर क्षेत्र में घने पेड़ लगाए गए तथा 230 हेक्टेयर क्षेत्र में केन एवं बांस के पेड़ लगाए गए । सामाजिक वानिकी के तहत सड़क के किनारे-किनारे 22 कि.मी. में पेड़ लगाए गए । वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए 972 लाख रुपये के योजनागत परिव्यय में से नवम्बर, 1998 तक 405.39 लाख रुपये का व्यय किया गया है ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

6.13 वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के लिए किए गए 1895 लाख रुपए के आवंटन में से नवम्बर, 1998 तक 1093 लाख रुपये खर्च किए गए हैं । 125 स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बनाए रखी गईं ।

पर्यटन

6.14 क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए । जल क्रीड़ा पर्यटन परिसर बनाया गया

है जिसमें साहसिक जल क्रीड़ाओं के लिए उपयुक्त विभिन्न प्रकार की नावें उपलब्ध हैं । इस वर्ष मायाबन्दर एवं दिगलीपुर में अतिथिगृह का भी उद्घाटन किया गया ।

विद्युत

6.15 वर्तमान में विभिन्न द्वीपों में छितरे हुए 36 विद्युत-गृह हैं जिनकी कुल उत्पान क्षमता 32.81 मैगावाट है । कुल 547 गावों में से 501 गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है । चालू वर्ष के दौरान दो बायोगैस संयंत्र भी लगाए गए है । हैं । दक्षिण अण्डमान के बम्बूफ्लैट में 20 मैगावाट का विद्युत स्टेशन तथा कलपोंग नदी पर 2.25 मैगावाट क्षमता की पनबिजली परियोजना का काम प्रगति पर है ।

नौवहन

6.16 मरीन डाकयार्ड में जलपोतों की मशीनरी की मरम्मत एवं रख-रखाव, जलपोत सर्वेक्षण एवं छोटी नावें बनाने का काम चल रहा है । नवम्बर, 1998 तक 16 जलपोत निर्जल गोदी में उतारे गए तथा 22 जलपोत मरम्मत के लिए जलावतरण मंच पर उतारे गए । इसके अलावा 1371 मरम्मत कार्य किए गए । द्वीपों के बीच परिवहन के लिए 59 मध्यम एवं छोटे आकार के जलपोत चलाए गए । मुख्य भूमि एवं द्वीपों के बीच प्रचालन के लिए 3 बड़े जलपोत उपलब्ध कराए गए ।

आदिवासी कल्याण

6.17 चालू वर्ष के दौरान मुख्य उपलब्धियों में 67.7 हैक्टेअर भूमि में केन एवं बांस के पौधारोपण, आदिवासी विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण, आदिवासी परिवारों में बैकयार्ड पोल्टरी तथा पालतू पक्षी वितरण तथा मलक्का में कारगोशेड एवं यात्री हाल का निर्माण इत्यादि शामिल है । आदिमजाति गुटों के विकास एवं कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया गया तथा उन्हें नि:शुल्क राशन, खाद्य वस्तुएं, कपड़े एवं चिकित्सा सहायता दी गई ।

चण्डीगढ़ :

6.18 संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ एक अनुपम महानगरीय प्रकृति वाला शहर है । इसका क्षेत्रफल 114 वर्ग कि.मी. है तथा इसकी जनसंख्या 6.42 लाख हैं जिसमें से 86% आबादी शहरी क्षेत्र में तथा 14% आबादी चण्डीगढ़ के 22 गांवों में रहती है ।

संस्कृति एवं शिक्षा

6.19 संघ क्षेत्र प्रशासन ने हमारी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक नगर संग्रहालय बनाकर राष्ट्र के प्रति सम्मान अर्पित किया है । चण्डीगढ़ में कला तथा विज्ञान के चार राजकीय महाविद्यालय हैं, एक गृह विज्ञान महाविद्यालय, एक शिक्षा महाविद्यालय, एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, एक क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान, एक शिक्षा संस्थान है । सभी गाँवों तथा मजदूर कालोनियों में एक किलोमीटर की दूरी के अन्दर कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय है । इसके अलावा 105 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र हैं जो स्कूल न जा सकने वालों को शिक्षा देते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें मुफ्त वर्दी, स्टेशनरी तथा पाठ्यपुस्तकें आदि दी जाती हैं ।

स्वास्थ्य

6.20 चण्डीगढ़ की सम्पूर्ण आबादी को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं । वहां 4 बड़े अस्पताल हैं जहां विशेष एवं अति विशेष स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि पीजीआई जनरल अस्पताल, गवर्नमेंट मेडकल कॉलेज अस्पताल एवं पुलिस अस्पताल । इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र में 22 एलोपैथिक डिस्पेंसरियां, 7 ग्रामीण एलोपैथिक डिस्पेंसरियां, एक चैस्ट क्लीनिक, एवं एक पोली क्लीनिक है जो कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 10 डिस्पेंसरियों के अलावा हैं । विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा 8 छोटे परिवार कल्याण केन्द्र भी चलाए जा रहे हैं ।

कल्याण

6.21 समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं एकीकृत बाल विकास सेवाएं आयोजित करता है । यह विभाग वृद्धों, अपंगों, निराश्रितों तथा विधवाओं को पेंशन भी देता है । अन्य योजनाओं में कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए शिशुकेन्द्र, विकलांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, पैट्रोल/ डीजल पर सबसिडी तथा अन्तरजातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन देना शामिल है । अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों, लड़कियों तथा महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं हैं ।

दादरा व नगर हवेली

6.22 संघ राज्य क्षेत्र दादरा व नगर हवेली में अधिकांश आबादी अनुसूचित जनजातियों की है । यहां की आबादी 1,38,477 (जनगणना: 1991) जिसमें से 80% आबादी अनुसूचित जनजातियों की है । संघ राज्य क्षेत्र

का कुल क्षेत्रफल 491 वर्ग कि.मी. है और इसमें 72 गांव हैं । यद्यपि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन केन्द्र सरकार द्वारा सीधे एक प्रशासक के माध्यम से चलाया जाता है परन्तु आम आदमी के स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 11 ग्राम पंचायतें तथा एक जिला पंचायत स्थापित की गई है ।

शिक्षा

6.23 रिपोर्ट वाले वर्ष के दौरान प्रशासन द्वारा बुनियादी शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर जोर दिया गया । इसमें कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क आवास एवं भोजन, दोपहर का भोजन एवं वर्दी तथा पाठ्यपुस्तकों की नि:शुल्क आपूर्ति शामिल है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान की प्रवेश क्षमता 99 से बढ़ाकर 130 कर दी गई । इसके अलावा विभिन्न शिक्षण संस्थानों में 48 टीजीटी शिक्षकों सहित 94 शिक्षकों की नियुक्ति की गई ।

उद्योग

6.24 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संघ राज्य क्षेत्र में 184 औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत की गईं । इनसे 4860 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है ।

परिवहन

6.25 सतत औद्योगीकरण के कारण अच्छी एवं बेहतर परिवहन व्यवस्था की मांग बढ़ी है । इस मांग को पूरी करने के लिए नई सड़कों का जाल बिछाने तथा वर्तमान सड़कों को चौड़ा करने के लिए एक मास्टरप्लान तैयार किया गया है । सुरंगी, बेलुगांव में एक उच्चस्तरीय पुल बनाया जा रहा है । पिपरिया नदी पर बने वर्तमान पुल, जो इस क्षेत्र को गुजरात से जोड़ता है, के स्थान पर एक नया पुल बनाया जा रहा है । यह पुल पूरा होने वाला है ।

कल्याण

6.26 गरीबी कम करने के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जाती रही । चालू वर्ष के दौरान 90 परिवारों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) के अन्तर्गत सहायता दी गई और जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) के अन्तर्गत 14000 श्रम दिवस सृजित किए गए ।

विद्युत

6.27 नौंवी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक विद्युत की मांग मौजूदा 80 मेगावाट से बढ़कर 150

मेगावाट होने की आशा है । वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता को उचित रूप से बढ़ाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मास्टर प्लान तैयार किया है । इसमें खरगपाड़ा में 66/11 कि.वा. और 220/66 कि.वा. सब स्टेशन तथा रखोली में 66/11 कि.वा. सब-स्टेशन स्थापित करना सम्मिलित हैं । इन परियोजनाओं का कार्य, जो पिछले वर्ष शुरू हुआ, प्रगति पर है ।

पर्यटन

6.28 संघ राज्य क्षेत्र में पर्यटकों की बढ़ती हुई रूचि को ध्यान में रखते हुए दुधनी में वाटर स्पोर्ट्स और लुहारी में खांडीव वन के विकास का कार्य पूरा किया जा रहा है । चुने हुए स्थानों पर पर्यटकों को अन्य सुविधाएं जैसे पर्यटक काटेज और तम्बू आवास उपलब्ध कराई गई हैं । सिलवासा में यात्री निवास के भवन का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है ।

दमण और दीव

6.29 संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव में दो अलग-अलग भू-खण्ड हैं जो एक दूसरे से लगभग 800 कि.मी. की दूरी पर हैं । दमण और दीव में अलग-अलग नगर पालिका परिषद् और एक साझा जिला पंचायत है ।

उद्योग

6.30 वर्ष 1998-99 के दौरान, 227 नई औद्योगिक यूनिट स्थापित की गई जिससे लगभग 10,000 व्यक्तियों को और रोजगार मिला । अन्तिम तिमाही में अन्य 17 औद्योगिक यूनिट (15 एस.एस.आई. और दो एम.एस.आई.) स्थापित किए जाने की संभावना है जिससे अन्य 2,000 व्यक्तियों को और रोजगार मिलेगा ।

पर्यटन

6.31 जिला दमण में तीन झीलों का विकास किया गया है जहां द्वीप, बाग, बृहत जेनेवा फव्वारे, नौका विहार की सुविधा और अल्पागार-गृह हैं । जिला दीव में गांधीपाड़ा फव्वारे का विकास उचित रूप से किया गया है । इन पर्यटक सुविधाओं में से कुछ की व्यवस्था का कार्य पट्टे पर गैर सरकारी उद्यमियों को दिया गया है जिससे वे स्वास्थ्य क्लब, जीमखाना, तरणताल आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था कर सकें।

तकनीकी प्रशिक्षण

6.32 संघ राज्य क्षेत्र के दोनों जिलों में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों ने कक्षा viii से x के विद्यार्थियों को इंजीनियरी, ड्राइंग, कर्मशाला प्रौद्योगिकी तथा यांत्रिक इंजीनियरी के प्रारंभिक ज्ञान का व्यावसायिक प्रशिक्षण देना जारी रखा । चालू वर्ष के दौरान इन संस्थानों के 176 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए जिनमें से 138 को रोजगार मिल गया । 238 विद्यार्थियों के नए बैच को चालू वर्ष में प्रवेश दिया गया ।

स्वास्थ्य

6.33 चालू वर्ष के दौरान, अक्तूबर, 1998 तक 2536 बच्चों को प्रतिसंक्रमण टीके लगाए गए । वर्ष के दौरान निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में आटो एनलाइजर, सोनोग्राफी आदि जैसे आधुनिक उपस्करों की व्यवस्था की गई । रिपोर्ट वाले वर्ष के दौरान स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

कल्याण

6.34 जनजाति लोगों के चहुंमुखी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन्हें उपयुक्त सहायता प्रदान की जाती है । जनजाति-विद्यार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाता है । दिहाड़ी के आधार पर नौकरी के अधिक अवसर सृजित कर और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को आर्थिक सहायता देकर गरीबी कम करने के कार्यक्रम पर अपेक्षित जोर दिया गया । इसमें गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 34 परिवारों को सहायता देना और जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजित करना सम्मिलित है ।

लक्षद्वीप

6.35 लक्षद्वीप देश में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है । जिसमें अरब सागर में छितराए हुए 36 द्वीप हैं । इन द्वीपसमूह में से केवल 10 द्वीपों में ही आबादी है और 1991 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 51,707 है । आबादी के लगभग 93% व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के हैं । साक्षरता दर 66.81% हैं । इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग कि.मी. है और यहां 4 लाख वर्ग कि.मी. अनन्य आर्थिक क्षेत्र है । सारा लक्षद्वीप द्वीपसमूह एक जिला है और यह 4 तहसीलों में बंटा है ।

पंचायती राज

6.36 लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 के अन्तर्गत ग्राम (द्वीप) पंचायत और जिला पंचायत स्थापित की गई है । एक जिला योजना समिति भी गठित की गई है । डी.आर.डी.ए. और प्राईमरी शिक्षा सहित अन्य कार्यक्रम जिला पंचायत को हस्तान्तरित कर दिए गए हैं ।

शिक्षा

6.37 अनेक स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान व्यक्तियों को प्राथमिक और उच्च शिक्षा नि:शुल्क देते हैं । भोजन और रहने की व्यवस्था भी मुफ्त की जाती है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

6.38 स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं प्रशासन द्वारा प्रदान की जाती हैं । चेचक, मलेरिया और फाइलेरिया का वस्तुत: उन्मूलन किया जा चुका है । विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 100% कवरेज प्राप्त किया गया है ।

उद्योग

6.39 क्षेत्र का प्रमुख उत्पादन नारियल है और उद्योगों के विकास के लिए नारियल की भूसी प्रमुख उपलब्ध कच्चा माल है । लगभग 14 फैक्टरियां नारियल की भूसी के सहारे चल रही हैं । द्वीपसमूह में एक हस्तशिल्प प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है । एक पृथक खादी और ग्रमोद्योग बोर्ड स्थापित किया गया है उद्योग विभाग की वित्तीय सहायता से निजी क्षेत्र में लगभग 435 लघु उद्योग इकाइयां चल रही हैं ।

परिवहन

6.40 लक्षद्वीप समुद्र एवं हवाई रास्ते से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है । दो हर मौसम में चलने वाले समुद्री जहाज, एक अच्छे मौसम में चलनेवाला जहाज, दो केटमरन, एक तेल का टेंकर और चार माल जहाज संघ राज्य क्षेत्र में नौ-वहन सेवाएं मुहैया करवाते हैं ।

ग्रामीण विकास

6.41 समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) के अन्तर्गत, जिसके तहत गरीबी की सीमारेखा

से नीचे रह रही 45% आबादी को लक्ष्य बनाया गया है । 4085 परिवारों को 31 अक्तूबर, 1998 तक सहायता प्रदान की गई । ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.), ग्रामीण युवकों के लिए शिल्पकार बनने हेतु स्व-रोजगार प्रशिक्षण डी.आर.डी.ए. के अन्तर्गत कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य स्व-रोजगार कार्यक्रम है ।

मत्स्य पालन

6.42 यह क्षेत्र समुद्री संसाधन से समृद्ध है । मछली पकड़ने के आधुनिक यंत्रीकृत तरीके ने पारम्परिक तरीके का स्थान ले लिया है । द्वीपवासियों ने टूना मछली पकड़ने के लिए अब यंत्रीकृत पाबलों नावों का प्रयोग करके पोल तथा लाइन फिशिंग को अपनाया है । प्रशासन ने सबसिडी पर यंत्रीकृत नावें मुहैया करवाने की योजना शुरू की है । मछुआरों को अधिक आर्थिक सहायता देकर एच.एस.डी. तेल भी उपलब्ध कराया जाता है ।

पर्यटन

6.43 द्वीपसमूह में पर्यटन एक विकासशील गतिविधि है तथा मनोरंजनात्मक पर्यटन तथा खेलकूद संवर्द्धन सोसाइटी द्वारा विभिन्न प्रकार के पैकेज आयोजित किए जाते हैं । पिट्टी द्वीप में स्थित पक्षी विहार के वन्य प्राणी अधिनियम के तहत औपचारिक रूप से संरक्षित पक्षी विहार घोषित किया गया है । कदमत द्वीप स्थित जल क्रीड़ा संस्थान द्वारा स्कूबा डाइविंग कोर्स और मैरीनहैल्थ अवेयरनैस प्रोग्राम चलाए जाते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

6.44 संघ की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अपनी खास विशेषताएं हैं जिनपर गर्व किया जा सकता है और साथ ही कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे निराशा झलकती है । दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग कि.मी. है । तथापि इसके 50% से भी कम क्षेत्रफल में जो कि शहरी स्वरूप का है, कुल जनसंख्या 94,20,644 (1991 की जनगणना के अनुसार) के लगभग 90% लोग रह रहे हैं तब से यहां की जनसंख्या में भारी वृद्धि हो रही है क्योंकि देश के अनेक भागों से आकर लोग यहां बस रहे हैं । कुछ सालों से दिल्ली का शहरीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है । इन दो कारणों से इसकी मूलभूत संरचना, नागरिक सुविधाएं और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा है । इन दबावों के बावजूद, दिल्ली का प्रति व्यक्ति निविल राज्य घरेलू उत्पाद देश के सर्वाधिक उत्पादों में से एक हैं ।

6.45 संविधान (69 वां संशोधन) अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत दिल्ली को अपनी विधान सभा और समेकित निधि उपलब्ध करायी गई है । उप राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद है । विधान सभा को, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर, राज्यों पर लागू किसी भी ऐसे मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त है । इन तीन विषयों को केन्द्र सरकार द्वारा अपने पास रखा गया है और ये सीधे उप राज्यपाल के माध्यम से प्रशासित होते हैं ।

6.46 जनसंख्या, प्रदूषण, भीड़-भाड़, बिजली, पानी, आवास की कमी, सफाई और इन सबसे बढ़कर कानून एवं व्यवस्था की समस्या से निपटना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं ।

शिक्षा

6.47 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जन-साक्षरता, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाए जाने पर ज्यादा जोर देता है । महिलाओं, ग्रामीण लोगों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को शिक्षा देने में उच्च प्राथमिकताप्रदान की गई है । प्राथमिक पूर्व और प्राथमिक शिक्षा मुख्यत: स्थानीय निकायों की जिम्मेवारी है । कुल 2002 मिडिल, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक सरकारी स्कूल है । सात मिडिल स्कूल खोले गए और 15 मिडिल स्कूलों का स्तर बढ़ाकर इन्हें माध्यमिक स्तर का किया गया ।

6.48 बुक बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं के लिए नि:शुल्क परिवहन सुविधा, नि:शुल्क वर्दी, पत्राचार विद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा और छात्रवृत्ति जैसी विभिन्न योजनाएं चल रही है । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 28 कॉलेज प्रायोजित किए गए हैं । इन कॉलेजों का वित्त पोषण संयुक्त रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है । तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से सुधार लाया गया है । प्रशिक्षित तकनीकी मानवशक्ति के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लिया गया है । कम्युनिटी पॉलटैक्निक योजनाओं और और निजी क्षेत्र के सहयोग से डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तरों पर तकनीकी कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार और क्षमता का विस्तार व क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग के उद्देश्य को प्राप्त किया गया है । इन कार्यक्रमों को तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु वर्ल्ड बैंक की सहायता के कारगर इस्तेमाल से कार्यान्वित किया गया है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

6.49 दिल्ली के सभी निवासियों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने की दृष्टि से, दिल्ली सरकार अनेक स्वास्थ्य केन्द्रों, डिस्पेंसरियों और पोली क्लीनिकों के अलावा 11 अस्पताल चला रही है । वर्ष 1998-

99 के दौरान मातृ-सुरक्षा अभियान, श्रवण शक्ति अभियान, बच्चों में थलीसेमिया स्क्रीनिंग, पल्स पोलियो प्रोग्राम, दिल्ली आरोग्य निधि और मोतिया बिन्द मुक्ति अभियान, सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध, सेन्ट्रलाइज्ड एक्सीडेंट ट्राउमा सर्विसेज और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सन्डे क्लीनिक इत्यादि जैसे अनेक अभियान और कार्यक्रम चलाए गए ताकि संघ राज्य क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य की पर्याप्त तथा उचित देखरेख की जा सके । मिलावट रोकने की दृष्टि से औषधि तथा खाद्य पदार्थों की जांच करने के लिए एक खाद्य एवं औषध प्रयोगशाला स्थापित की गई है ।

उद्योग

6.50 उद्योगों के कारगर विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को पांच क्षेत्रों में बांटा गया है ।

6.51 माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के फलस्वरूप कि प्रदूषण फैलाने वाली 168 औद्योगिक इकाईयों को बंद कर दिया जाए, इन इकाईयों को शहर से बाहर पुन: लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं । सरकार ने 10,265 आवेदकों को जिन्होंने गांव बवाना और होलम्बी कला में 935 एकड़ भूमि के लिए आवेदन किया था । अस्थायी पात्रता पत्र जारी करना अनुमोदित कर दिया है । अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त भूमि का भी पता लगा लिया गया है ।

6.52 पटपड़गंज, दिल्ली में 4 एकड़ भूमि पर ''उद्योग सदन'' के निर्माण के लिए नींव रखी जा चुकी है । झिलमिल और ताहिरपुर औद्योगिक एस्टेट पर 400 फ्लेटिड फैक्टरियों का निर्माण शुरू हो चुका है । वजीरपुर में औजार प्रशिक्षण केन्द्र पर कम्प्यूटर अनुप्रयोग और औजार डिजाइन में एक सूचना एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जा चुका है ताकि उद्योग औजार डिजाइन और कम्प्यूटर अनुप्रयोग के क्षेत्र में समकालीन प्रोद्योगिकी पर आधुनिकतम तकनीकी सूचना उपलब्ध कराई जा सके ।

6.53 उच्च तकनीक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र इलैक्ट्रानिक्स, ऑटोमोबाइल तथा इंजीनियरिंग उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकतम प्रोद्योगिक उपलब्ध करा रहा है ।

6.54 दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने मंगोलपुरी, कीर्ति नगर तथा ओखला में इंजीनियरिंग, पैकेजिंग और इलेक्ट्रानिक उद्योग को स्थापित करने के लिए औद्योगिक भूमि विकसित की है । निगम ने नरेला औद्योगिक परिसर में 3 सुविधा केन्द्रों का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया है ।

परिवहन

6.55 दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक सक्षम परिवहन प्रणाली बनाए रखना हमेशा से और अब भी हर

प्रकार से चुनौती रही है । पिछले चार वर्षों के दौरान ब्लू लाइन बसों और डीटीसी/कि.मी. योजना बसों सहित लगभग 524 बसें शहर के बस फ्लीट में शामिल हो चुकी हैं । ब्लू लाइन बस स्कीम को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया है और अब लगभग 5751 बसें दिल्ली परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही है जिनमें से 2645 बसें कि.मी. योजना के अन्तर्गत चल रही हैं । वाहन प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार कर ली गई है जिसके अंतर्गत दिल्ली में वाहन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक उपायों का पता लगाया गया है ।

कल्याण

6.56 बच्चों, महिलाओं, विकलांगों और समाज के अन्य कमजोर तथा अपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं । बच्चों के लिए 14 सांविधिक गृह/संस्थान (जिनमें 3 प्रेक्षण गृह तथा 11 किशोर गृह शामिल है), 10 गैर सांविधिक संस्थान तथा महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए 28 आईसीडीएस परियोजनाएं चलाई जा रही है । ऐसे संस्थान भी हैं जो मंद बुद्धि बच्चों को भी प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करते हैं ।

6.57 दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम धन प्रदान करता है और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के आर्थिक कार्य कलापों को बढ़ावा देता है ।

दिल्ली विद्युत बोर्ड

6.58 दिल्ली विद्युत बोर्ड ने दिल्ली में बिजली की आपूर्ति को युक्तिसंगत बनाने के लिए कदम उठाए हैं । 1993 से पहले जो अनधिकृत कालोनियां बन गई थी अब उन्हें वैध कनेक्शन दे दिए गए हैं ताकि चोरी को कम किया जा सके । सभी ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी परिसरों में सिंगल पाइंट आपूर्ति की अनुमति दे दी गई है और औद्योगिक परिसरों में बिजली के मीटर लगा दिए गए हैं । इसी प्रकार उत्पादन बढ़ाने के लिए इंद्रप्रस्थ एस्टेट में 300 मेगावाट प्लांट को अनुमोदित कर दिया गया है जिसे टर्नकी आधार पर चालू करने के लिए बी.एच.ई.एल. को सौंपा गया है । निजी क्षेत्र को दिल्ली में ऊर्जा के वितरण में भाग लेने की अनुमति देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

बिक्री कर

6.59 वित्त वर्ष 1998-99 के लिए 2450 करोड़ रुपए का बिक्री कर इकट्ठा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । 31 अक्तूबर, 1998 तक 982.03 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित कर ली गई है जो इसी अवधि के दौरान 7.97% की बढ़ौतरी दर्शाती है ।

पर्यटन

6.60 पर्यटन को प्रोत्साहित करने और दिल्ली की ऐतिहासिक और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पर्यटन क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करने संबंधी प्रयासों को सरकार ने उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा । अतिथेय उद्योग को तकनीकी और प्रबंधकीय प्रशिक्षित मानवशक्ति उपलब्ध कराने के लिए आईआईटीटीएम ने दिल्ली स्कन्ध के जरिए विमान यात्रा, फेयर एअर टिकटिंग कार्गो सर्विसिज मेनेजमेंट, विदेशी भाषाओं और कम्प्यूटर अनुप्रयोग आदि के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए । दिल्ली पर्यटन ने विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन उत्सव आयोजित किए हैं । राष्ट्रीय राजपथ 10 पर टीकरी कलां स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेमोरियल टूरिस्ट काम्पलेक्स पर कार्य शुरू हो चुका है और इसका नाम ''आजाद हिंद ग्राम'' रखा गया है ।

6.61 फूडक्राफ्ट संस्थान ने विभिन्न जैसे पाककला बेकरी, रिसेप्शन, रेस्तरां काउंटर सर्विस, हाउस कीपिंग इत्यादि में प्रशिक्षण प्रदान करना जारी रखा ।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद

6.62 नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विशेष स्थान प्राप्त हैं । 42.74 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में स्थित नई दिल्ली नगर पालिका परिषद संघ सरकार कीनगर संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है । नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के तहत 3.5 लाख जनसंख्या आती है और यह लगभग 12 लाख की घटती बढ़ती आबादी को नगर सेवाएं प्रदान करती हैं । परिषद ने विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल कूद के कार्यकलाप भी शुरू किए हैं ताकि अच्छे रहन-सहन की सुविधा प्रदान हो सके । उन्नत सेवाएं प्रदान करने के लिए 50 वर्ष पुराने सीवर और जल लाइनों को बदलने का काम किया जा रहा है । अपने 122 स्कूलों के माध्यम से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद निम्न और मध्य आय वर्ग के लोगों के बच्चों को नर्सरी से सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की शिक्षा प्रदान कर रही है ।

दिल्ली पुलिस

6.63 दिल्ली में पुलिस व्यवस्था निरूत्साह जनक कार्य है, विशेष रूप से दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए जो प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख की दर से बढ़ रही है जिसमें से लगभग 40% जनता अनगिनत झुग्गी-झोंपड़ियों में रहती हैं । तथापि, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस ने व्यवस्था कायम करने और अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सामर्थ्य से बढ़कर प्रयास किया । इसकी मुख्य उपलब्धियों में निम्नलिखित कार्य शामिल है:-

- दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में बम-विस्फोट करने के लिए उत्तरदायी 14 लोगों की गिरफ्तारी (इनकी गिरफ्तारी के साथ दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों में बम विस्फोट के 41 मामले सुलझा लिए गए) ।

- दुर्दांत आतंकवादी सलीम जुनैद उर्फ अबू शहिद तथा उसके गुट के सदस्यों को, जिन्होंने फरवरी, 1998 के कोयम्बतूर विस्फोट को हैदराबाद में दोहराने की योजना बनाई थी, गिरफ्तार कर एक बड़े आतंकवादी अभियान पर काबू पाना ।

- 7 विदेशी राष्ट्रिकों और 36 भारतीयों समेत 43 आतंकवादियों की गिरफ्तारी तथा उनसे आर.डी.एक्स. की भारी मात्रा, विस्फोटक पाउडर, भिन्न-भिन्न आग्नेयास्त्र, हथगोले तथा डेटोनेटर आदि की बरामदगी ।

- 22 सितम्बर, 1998 को शिवप्रकाश शुक्ल, अनुजप्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी, 11 सितम्बर, 1998 को उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश योगिन्दर कुमार और 15 नवम्बर, 1998 को बिजेन्द्र उर्फ बिरजू जैसे दुर्दांत अपराधियों और जबरन धन वसूलने वालों की मुठभेडों में हत्या ।

- अनेक अपहृत व्यक्तियों की उनके अपहरणकर्ताओं से सफलतापूर्वक रिहाई ।

- राजधानी में बढ़ती डकैती की भयंकर स्थिति में डाकुओं पर जबरदस्त कहर जिसके फलस्वरूप 1169 डाकू गिरफ्तार किए गए और 2.25 करोड़ रूपए की लूटी हुई सामग्री बरामद हुई ।

6.64 दिल्ली पुलिस के क्षेत्रीय गठन को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने 17 अतिरिक्त पुलिस थानों की स्थापना को मंजूरी दी जिसमें विभिन्न स्तरों पर 3100 पदों के सृजन, 126 वाहनों, 140 वायरलैस सेटों, हथियारों और गोलाबारूदों पर प्रतिवर्ष 25.01 करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय और 4.95 करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय किया जाएगी । यह भी निर्णय लिया गया है कि 14.21 करोड़ रुपए व्यय कर सीमिति प्रचालन क्षमतावाली वी.एच.एफ. प्रणाली के स्थान पर यू.एस.एफ. डिजीटल ट्रैकिंग रेडियों प्रणाली की स्थापना कर संचार प्रणाली को आधुनिक बनाया जाए ।

6.65 दिल्ली पुलिस कर्मियों की प्रशिक्षण सुविधा की गुणवता में सुधार लाने की दृष्टि से झड़ोदा कलां स्थित दिल्ली प्रशिक्षण स्कूल का स्तर बढ़ाकर कॉलेज करने का निर्णय लिया गया है जिसमें संगणक प्रयोगशाला, फायरिंग सिमुलेटर, मल्टी मीडिया टीचिंग प्रोजेक्टर और ड्राइविंग सिमुलेटर जैसे अत्याधुनिक प्रशिक्षण उपस्कर उपलब्ध होंगे ।

6.66 जबरन धनवसूलने से संबंधित मामलों को कारगर ढंग से निपटाने के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के अंतर्गत एक अलग एंटी-एक्टोर्शन सेल स्थापित किया गया है ।

पांडिचेरी

6.67 संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी 492 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या 8.07 लाख (जनगणना : 1991) है । इसमें चार क्षेत्र शामिल हैं अर्थात् पांडिचेरी, कराइकाल, माहे और यनम जिनमें 5 नगरपालिकाएं और 10 कम्यून पंचायतें हैं । संघ राज्य क्षेत्र में केवल एक राजस्व जिला है जो 6 सामुदायिक विकास खण्डों में विभाजित है जिनमें 264 जनगणना गांव शामिल हैं ।

कृषि

6.68 उत्पादकता में वृद्धि, फसल उगाने की पद्धति में विविधता और बागवानी पर बल देकर संघ राज्य क्षेत्र के कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की रणनीति अपनाई गई । 1998-99 के दौरान 40000 कृषि श्रमिकों को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई । धान का उत्पादन करने वालों को प्रापण बोनस दिया गया और किसानों को रियायती मूल्य पर जैव खाद उपलब्ध कराई गई ।

खाद्य आपूर्ति

6.69 उचित दर की 392 दुकानों के नेटवर्क के जरिए 2.51 लाख राशनकार्ड धारक परिवारों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से चावल, गेहूं, चीनी, पाम तेल, मिट्टी का तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुएं वितरित की जा रही है ।

6.70 गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की पहचान के लिए कारगर कदम उठाए गए और जुलाई 1998 तक 88851 कार्डों पर लाल मोहर लगाई गई जिससे वे अपनी कुल हकदारी में से 10 किलो चावल विशेष रियायती दर पर प्राप्त कर सकें ।

उद्योग

6.71 वर्ष 1998-99 के दौरान, अक्तूबर, 1998 तक इस संघ राज्य क्षेत्र में 10 मध्यम स्तर की और 3 बड़े स्तर की इकाइयों समेत 93 नई औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत की गई । औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई क्योंकि कुल उत्पादन अक्तूबर, 1998 में 4,90,565 लाख रुपए हो गया जबकि 1997-98 के पूरे वर्ष

के दौरान कुल उत्पादन 3,27,917 लाख रुपए का था । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 3000 व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार की गारंटी दी गई है ।

6.72 जिला उद्योग केन्द्रों ने बेरोजगार युवाओं और संभावित उद्यमियों को प्रशिक्षण देना जारी रखा । पांडिचेरी औद्योगिक संवर्धन विकास और निवेश निगम (पीआईपीडीआईसी) को 450 लाख रुपए की धनराशि संवितरित की गई है ताकि 25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कराडफल क्षेत्र के पोलागाम नामक स्थान पर वृद्धि केन्द्र स्थापति किया-जा सके ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

6.73 8 अस्पतालों, 43 प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों, 12 औषाधालयों और 3 छाती संबंधी निदानालयों के नेटवर्क द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती रहीं । अक्तूबर, 1998 के अंत तक 9350 बच्चों को पोलियो का और 16620 बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया गया । आलोच्य अवधि के दौरान 9350 बच्चों को डीटीपी दिया गया ।

जल आपूर्ति और सफाई

6.74 जल आपूर्ति में सुधार के लिए वर्ष 1998-99 में 22 गांवों/बस्तियों को आवर्धन कार्य के लिए चुना गया । शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों के 9 जोनों में से 3 जोनों में आवर्धन कार्य पूरा हो गया है और जोन 111 (नीलीथोप) में कार्य प्रगति पर है ।

शिक्षा

6.75 आलोच्य अवधि के दौरान दो कॉलेज और 11 सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थापित किए गए हैं प्राथमिक स्कूलों में 87,525 छात्रों को दोपहर का भोजन नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया ।

कल्याण

6.76 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और महिलाओं को विभिन्न कल्याण स्कीमों के तहत सहायता प्रदान की गई । आलोच्य अवधि में अक्तूबर, 1998 तक 33,410 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की गई ।

अनुलग्नक-I

संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्रफल और जनसंख्या

क्रम संख्या	संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	जनसंख्या (1991 की जनगणना) (अनंतिम)
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	8,249	2,80,661
2.	चंडीगढ़	114	6,42,015
3.	दादरा व नगर हवेली	491	1,38,477
4.	दमन एवं दीव	112	1,01,586
5.	लक्षद्वीप	32	51,707
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,483	94,20,644
7.	पांडिचेरी	492	8,07,784
	योग	10,973	1,14,42,875

(अध्याय 6 पैरा 6.3 देखें)

अनुलग्नक-II

आठवीं और नवीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना 1997-98 और 1998-99 के लिए संघ राज्य क्षेत्रों का योजना परिव्यय

क्रम सं.	संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 का परिव्यय	नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2000 के प्रस्ताव	वार्षिक योजना 1997-98 (संशोधित अनुमान) का परिव्यय	वार्षिक योजना 1998-99 (बजट अनुमान) का परिव्यय
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	685.00	1535.00	257.35	291.83
2.	चंडीगढ़	400.00	685.00	121.50	130.85
3.	दादरा व नगर हवेली	80.00	205.00	37.71	38.78
4.	दमन एवं दीव	65.00	165.00	27.42	30.96
5.	लक्षद्वीप	120.00	270.00	44.13	51.15
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4500.00	15541.28	2073.00	2700.00
7.	पांडिचेरी	400.00	1300.00	219.85	261.00
	योग	6250.00	19701.28	2777.96	3504.30

(अध्याय 6 पैरा 6.4 देखें)

अनुलग्नक-III

1998-99 के लिए संघ राज्य क्षेत्रों में मूलभूत न्यूनतम सेवाओं और स्लम विकास के लिए प्रावधान

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मूलभूत न्यूनतम सेवाएं (बी.एम.एस.)	स्लम विकास (एस.डी.)	कुल
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	17.17	1.00	18.17
2.	चंडीगढ़	6.18	1.00	7.18
3.	दादरा व नगर हवेली	1.80	1.00	2.80
4.	दमन एवं दीव	1.43	1.00	2.43
5.	लक्षद्वीप	2.39	1.00	3.39
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	14.95	18.19	33.14
7.	पांडिचेरी	7.45	1.00	8.45
	योग	51.37	24.19	75.56

(अध्याय 6 पैरा 6.4 देखें)

अध्याय-7

मानवाधिकार

7.1 मानवाधिकार वह आधार है जिस पर कोई सिविल और लोकतांत्रिक समाज टिका होता है । भारतीय संविधान इस बात को स्वीकार करता है और इसीलिए मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए इसमें व्यापक प्रावधान निहित हैं । इसके अलावा, संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धान्त है जो जन-कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किसी राज्य को सामाजिक व्यवस्था हेतु अधिकार प्रदान करता है । इसे ध्यान में रखते हुए सरकार कानून और व्यवस्था को लागू करते समय तथा विद्रोह और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करते हुए, मानवाधिकरों के संरक्षण और संवर्धन को सर्वाधिक महत्व देती है ।

राज्य मानवाधिकार आयोग

7.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान मानवाधिकारों को बढ़ावा और संरक्षण देने के लिए मौजूदा संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के प्रयास जारी रखे गए । इसके अतिरिक्त, पिछले वर्षों के दौरान किए गए विभिन्न उपायों को जारी रखते और तेज करते हुए लोगों के मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण हेतु चालू वर्ष के दौरान नये कदम भी उठाए गए । सरकार ने उन राज्य सरकारों के साथ मानवाधिकार आयोग स्थापित करने के प्रश्न पर भी बातचीत जारी रखी जिन्होंने अपने यहां मानवाधिकार आयोग का गठन अभी तक नहीं किया है । असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों, जिन्होंने मानवाधिकार आयोग पहले ही गठित कर लिए हैं, के अलावा वर्ष के दौरान दो और राज्यों, नामत: केरल और मणिपुर ने भी किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, राज्य आयोग गठित करने का निर्णय लिया है । मानवाधिकारों के उल्लंघन से प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालय अधिसूचित करने और सरकारी अभियोजक/अधिवक्ताओं की नियुक्ति संबंधी मामले को भी राज्य सरकारों के साथ उठाया गया ।

अन्तर्राष्ट्रीय रैड-क्रास के साथ समझौता ज्ञापन

7.3 पारदर्शिता की नीति के एक भाग के रूप में, भारत सरकार ने जून, 1995 में अन्तर्राष्ट्रीय रैड-क्रास

समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और अन्तर्राष्ट्रीय रैड-क्रास समिति को पूरी तरह मानवीय आधार पर राज्य की सभी जेलों/बंदी गृहों तथा जम्मू व कश्मीर में उन जेलों जिनमें विद्यमान स्थिति के मद्दे नजर गिरफ्तार अथवा निरूद्ध किए गए व्यक्तियों को रखा गया है, में जाने की अनुमति प्रदान की गई। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय रैड-क्रास समिति ने अब तक 44 बंदी गृहों का 252 बार दौरा किया और 5621 निरूद्ध व्यक्तियों से मुलाकात की। इसमें से अधिकांश के साथ एक से अधिक बार मुलाकात की गई।

7.4 अन्तर्राष्ट्रीय रैड-क्रास समिति के सामने समझौता ज्ञापन में आ रही कुछ कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से 15 अक्तूबर, 1998 को एक बैठक की गई थी तथा यह फैसला किया गया था कि जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार निरूद्ध व्यक्तियों की रिहाई, स्थानातंरण, इत्यादि के संबंध में सभी संगत सूचना गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराएगी, जो आगे उपयुक्त सूचना अन्तर्राष्ट्रीय रैड-क्रास समिति को भेजेगा ताकि ये समिति निरूद्ध व्यक्तियों की दशा का प्रभावकारी ढंग से प्रबोधन कर सके।

7.5 समझौता ज्ञापन की भावना के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय रैड-क्रास समिति को गिरफ्तार/निरूद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य रक्षा और चिकित्सा सुविधाओं पर 8 और 9 दिसम्बर, 1998 को जम्मू में एक सेमिनार आयोजित करने की अनुमति दी गई थी ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा और उचित इलाज के मुद्दों पर प्रकाश डाला जा सके।

मानवाधिकारों के प्रति पारदर्शिता और वचनबद्धता: कुछ अभिव्यक्तियां

7.6 मानवाधिकारों के मामलों में खुलेपन की अपनी नीति का पालन करते हुए, सरकार ने देश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से जम्मू व कश्मीर में, संसदविज्ञों और राजनैयिकों समेत विदेशियों द्वारा दौरा करने में उनकी मदद की। वर्ष 1998 के दौरान, करीब 80 विदेशी राजनैयिकों, 122 विदेशी पत्रकारों और 6039 विदेशी पर्यटकों ने जम्मू व कश्मीर राज्य का दौरा किया।

7.7 संयुक्त राष्ट्र की पद्धति के प्रति अपनी बचनबद्धता की अभिपुष्टि करते हुए सरकार अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के अंतर्गत अपनी वचनबद्धता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठनों, द थीमेटिक स्पेशल रिपोर्टियर्स एवं वर्किंग ग्रुप को पूर्ण सहयोग प्रदान करती रही। सरकार ने मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों के विशिष्ट मामलों के बारे में इन संगठनों को तत्काल सूचना उपलब्ध कराई। संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ पूर्ण सहयोग की नीति के कारण संयुक्त राष्ट्र मंच पर कतिपय मानवाधिकार संगठनों के कुप्रचार का पर्याप्त रूप से खण्डन करने में काफी सहायता मिली।

7.8 1995 से 2004 तक मानवाधिकार शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक मनाने के लिए विभिन्न

मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजा गया है ताकि इस दशक के दौरान क्रियान्वयन हेतु समेकित कार्य योजना तैयार की जा सके ।

7.9 मानवाधिकारों के संबंध में विश्वव्यापी घोषणा की 50 वीं वर्षगांठ की घोषणा के एक भाग के रूप में, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय विधायन की पुनरीक्षा करें ताकि इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों/मानकों के अनुरूप बनाया जा सके । इस मंत्रालय के अनुरोध पर मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के लोगों को कम्प्यूटरीकृत रेलवे रिजर्वेशन टिकटों पर मुद्रित किया गया ताकि ''आल ह्यूमन राईट्स फार आल'' का संदेश जनता तक पहुंच सके ।

7.10 विज्ञान भवन में ''प्रतिकूल स्थिति में अर्ध-सैनिक बलों द्वारा मानवाधिकारों का सम्मान'' विषय पर केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मानवाधिकारों पर एक सेमिनार भी आयोजित किया गया । इस अवसर पर राज्य मंत्री (संचार) ने संपूर्ण भारत में बिक्री हेतु डाक सामग्री रिलीज की जिस पर ''आल ह्यूमन राईट्स फार आल'' का संदेश था । इस सप्ताह को 04 दिसम्बर, 1998 से पूरे देश में मानवाधिकार सप्ताह के रूप में मनाने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया ।

7.11 मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की 50 वीं वर्षगांठ के समापन समारोह पर सीरी फोर्ट आडिटोरियम में 10 दिसम्बर, 1998 को एक समारोह आयोजित किया गया था जिसमें मानवाधिकार विषय पर एक नृत्य नाटिका शामिल की गई थी । इसमें भाग लेने वाले कलाकारों में तिहाड़ जेल के कैदी भी शामिल थे । प्रधानमंत्री इस समारोह में मुख्य अतिथि थे । इस समारोह के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में ''मानवाधिकारों का 50 वां वर्ष'' शीर्षक से एक पुस्तिका का विमोचन प्रधान मंत्री द्वारा इस समारोह के दौरान किया गया । मानवाधिकार विषय पर पुस्तकों और सामग्री की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी ।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

7.12 अक्तूबर, 1993 में गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने कार्य को जोश और अर्थपूर्ण ढंग से जारी रखा । अप्रैल-नवम्बर, 1998 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 23,319 शिकायतों (पिछले वर्ष की शिकायतों समेत) पर विचार किया । इनमें से 8023 शिकायतों को रद्द कर दिया गया तथा 6,722 शिकायतों को निपटाने के लिए उचित निर्देशों के साथ केन्द्रीय/राज्य सरकारों के संबंधित विभागों को भेज दिया गया था । आयोग ने पूछताछ करने के प्रयोजनार्थ 6,724 मामलों को संज्ञान में लिया । विभिन्न प्राधिकरणों से प्राप्त रिपोर्टों तथा उसकी अपनी जांच-पड़ताल शाखा द्वारा की गई पूछताछ के आधार पर इस आयोग ने उचित सिफारिशें करके 1850 मामलों को निपटाया ।

7.13 वर्ष 1997-98 के दौरान इस जांच-पड़ताल शाखा के कार्यभार में काफी वृद्धि हुई है । कुल 755 शिकायतें मिली, जिनमें से 503 मामले तथ्य एकत्र करने और 252 मामले फील्ड जांच-पड़ताल के थे । 1998-99 के दौरान (20 नवम्बर, 1998 तक) आयोग को 1977 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 1874 तथ्य एकत्र करने और 103 फील्ड जांच-पड़ताल की थीं ।

7.14 मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इस क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने नेशनल ला स्कूल ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी, बंगलूर, में मानवाधिकारों पर एक पद सृजित करने संबंधी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है । 25 सितम्बर, 1998 को आयोग ने नेशनल लॉ स्कूल आफ इण्डिया यूनिवर्सिटी, बंगलूर, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । इस प्रयोजनार्थ इसने राष्ट्रीय लॉ स्कूल को समग्र निधि के रूप में 30 लाख रूपये की राशि उपलब्ध कराई ।

7.15 शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग (एन.एच.आर.सी.) के सहयोग से दिल्ली में 30 मई, 1998 को ''मानवाधिकारों पर शरणार्थी कानून'' विषय पर एक एक-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विदेशी नागरिक पंजीकरण कार्यालय (एफ.आर.ओ.) तथा देश भर में विदेशी नागरिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफ.एफ.आर.ओ.) के अधिकारियों ने भाग लिया । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा जापान की एक गैर-सरकारी संस्था, एशिया पैसिफिक ह्यूमन राईटस इन्फोर्मेशन सेंटर (ह्यूराईट्स, ओसाका) के साथ मिलकर स्कूलों में मानवाधिकारों की शिक्षा पर दक्षिण एशियाई देशों की एक उप-क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया । यह कार्यशाला 15-18 अक्तूबर, 1998 को नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें श्री लंका, बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान और भारत के शिष्टमंडलों ने भाग लिया । आयोग द्वारा 13-14 नवम्बर, 1998 को भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से ''मानवाधिकारों का संरक्षण : एक समीक्षा'' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया ।

7.16 देश में बाल वैश्यावृत्ति का मुकाबला करने और इसके उन्मूलन के लिए रणनीति और एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए दो सदस्यों की सह-अध्यक्षता में बाल वेश्यावृत्ति पर एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है । इस क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों, विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ अनेक चर्चाओं के आधार पर एक कार्य-योजना बनाई गई है । इसके पहले चरण में, आयोग द्वारा यू.एन.आई.सी.ए.एफ. के सहयोग से दिल्ली में सितम्बर-अक्तूबर, 1998 के दौरान एक द्वि-मासिक मीडिया अभियान चलाया गया । प्रमुख स्थानों जैसे कि रेलवे स्टेशनों, बस स्टापों और खोखों पर पोस्टर, इश्तहार आदि लगाए गए तथा आम जनता में जागरूकता लाने में इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जैसाकि हाल में किए गए एक सर्वेक्षण से प्रतीत होता है ।

7.17 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इंटरनेशनल कोआर्डिनटिंग कमेटी ऑफ नेशनल इंस्टीयूशन्स की

अप्रैल, 1996 में अध्यक्षता प्राप्त की है तथा वह अभी भी यह पद ग्रहण किए हुए है । आयोग द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण मान्यता है ।

7.18 10 दिसम्बर, 1998 को मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के 50 वें वर्ष के समापन समारोह के अवसर पर, आयोग द्वारा इस घोषणा की प्रस्तावना और अनुच्छेदों को अंग्रेजी और हिन्दी में इस्तेमाल तथा 13 भाषाओं में पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित किया गया ।

7.19 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने कालीन उद्योग में बाल श्रम का उन्मूलन करने तथा हाथ में मैला साफ करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं । उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर बन्धुआ मजदूर सरकारी कर्मचारियों द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरेलू नौकर रखने आगरा प्रोटेक्टिव होम और 3-मानसिक चिकित्सालयों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण, जैसे मुद्दों को भी आयोग ने अपने हाथ में लिया ।

अध्याय-8

भारतीय पुलिस सेवा

8.1 गृह मंत्रालय भारतीय पुलिस सेवा (भा.पु.से.) का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी होने के कारण भारतीय पुलिस सेवा (भा.पु.से.) के सेवा संबंधी मामलों को जैसे नियुक्ति, केन्द्र में प्रतिनियुक्ति, भारत और विदेश में विशेष प्रशिक्षण, वरीयता, वेतनमान इत्यादि को देखता है ।

8.2 31 जनवरी, 1999 के अनुसार भा.पु.से. की कुल प्राधिकृत संख्या 3442 थी ।

सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

8.3 सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी भारत का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है जो अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप ''क'' अधिकारियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करने के अलावा भा.पु.से. अधिकारियों और अन्य देशों से पुलिस अधिकारियों के लिए सेवाकालीन और परिचय स्तर के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है । वर्ष 1998 के दौरान अकादमी ने अनुशासन, सत्यनिष्ठा, चरित्र, व्यावसायिक नीतिशास्त्र और सेवा मानकों पर विशेष बल देने के साथ प्रशिक्षण की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किया । अकादमी

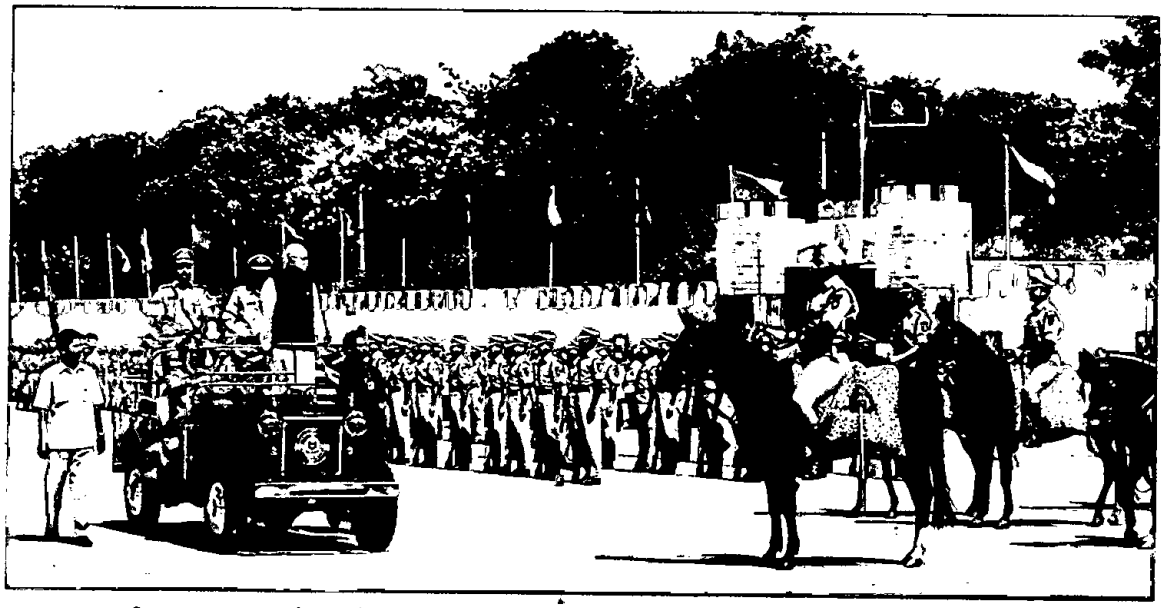

15 सितम्बर, 1998 को स्वर्ण जयन्ति परेड का निरीक्षण करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री एल. के. अडवाणी

हमेशा अपने नजरिए में प्रगतिशील बनने के प्रति प्रयासरत रही है । प्रशिक्षण के आंतरिक और बाह्य विषयों की लगातार समीक्षा की जाती है और बदलती हुई वास्तविक परिस्थितियों के साथ नई सामग्री को समावेश किया जाता है । मामले के अध्ययन, सामूहिक चर्चा, रोल प्ले, अनुरूपण इत्यादि वाली प्रतिभागी पद्धति अपनाते हुए ''चाक एवं टॉक'' पद्धति से अध्यापन पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं । विषयों को मोडयूल से पढ़ाकर, परीक्षाओं का अलग-अलग समय रखकर, कम्प्यूटर विद्रोह और आतंकवाद, क्षेत्रीय कौशल और रणनीति जैसे नए विषयों को लाकर, अव्यवसायी रेडियो प्रचालन, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, जांच में अनुरूपण कार्रवाई, वैज्ञानिक सहायक उपकरण, चिकित्सा न्यायशास्त्र इत्यादि ने अकादमी द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण को वास्तविक रूप से क्षेत्रीय परिस्थितयों के अनुकूल बनाने में काफी सहायता की है । जनवरी, 1998 से 31 जनवरी, 1999 की अवधि के दौरान अकादमी द्वारा चलाए गए पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	कालवधि	समय अवधि	भाग लेने वाले अधिकारियों की संख्या
	बुनियादी पाठ्यक्रम			
1.	भा.पु.से. परिवीक्षार्थी 50 आर.आर. फेज - I	44 सप्ताह	28.12.1998-30.10.1999	95
2.	भा.पु.से. परिवीक्षार्थी 49 आर.आर. फेज - II	1 सप्ताह	06.09.1999-11.09.1999	114
	सेवाकालीन पाठ्यक्रम			
3.	स्तर - I प्रबंधन पाठ्यक्रम	3 सप्ताह	12.1.1998-31.1.1998	13
4.	स्तर - II प्रबंधन पाठ्यक्रम	3 सप्ताह	25.5.1998-12.6.1998	16
5.	स्तर - III प्रबंधन पाठ्यक्रम,	2 सप्ताह	6.7.1998-18.7.1998	19
6.	स्तर - I प्रबंधन पाठ्यक्रम	4 सप्ताह	18.1.1999-12.2.1999	19
	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण			
7.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	6 सप्ताह	23.3.1998-2.4.1998	24
8.	प्रशिक्षण प्रशासकों का पाठ्यक्रम	10 दिन	20.7.1998-30.7.1998	15
9.	प्रशिक्षण का प्रबंधन	9 दिन	12.12.1998-23.12.1998	17
	विशेष पाठ्यक्रम			
10.	राज्य पुलिस अधिकारियों (एस.पी.एस.) के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	6 सप्ताह	13.4.1998-23.5.1998	9
11.	बुनियादी प्रबंधन पाठ्यक्रम	4 सप्ताह	3.8.1998-29.8.1998	11
12.	एस.पी.एस. के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का अधिष्ठान	6 सप्ताह	4.1.1999-12.2.1999	13
	सेमिनार/कार्यशालाएं/अल्पावधि पाठ्यक्रम			
13.	आर्थिक अपराधों में हाल की प्रवृत्तियां	5 दिन	2.4.1998-7.4.1998	19
14.	आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रति समन्वित दृष्टिकोण	6 दिन	22.6.1998-27.6.1998	23
15.	यातायात प्रबंधन	5 दिन	30.6.1998-4.7.1998	18
16.	पुलिस में मानव संसाधन प्रबंधन	5 दिन	5.10.1998-9.10.1998	26
17.	वेकफील्ड कमांड कोर्स का इन-इंडिया मोड्यूल	2 सप्ताह	6.7.1998-15.7.1998	13
18.	पुलिस के उपयोग के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग	5 दिन	16.11.1998-20.11.1998	21
19.	1973 आर.आर. का रीयूनियन सैमिनार	3 दिन	3.12.1998-05.12.1998	34
20.	लिंग मामलों पर सैमिनार	5 दिन	23.11.1998-27.11.1998	26
21.	आई.ए.एस. आधिकारियों के लिए वी.आई.टी.पी.	5 दिन	7.12.1998-11.12.1998	19

अध्याय-9

केन्द्रीय-अर्द्ध सैनिक बल

9.1 भारत के संविधान के अन्तर्गत, संघ और फैडरेटिंग इकाइयों, अर्थात राज्यों के उत्तरदायित्व के क्षेत्रों को सु-परिभाषित किया गया है । ''सार्वजनिक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य सरकारों के यथार्थत: उत्तरदायित्व है । तथापि, केन्द्र सरकार जब कभी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल उपलब्ध कराती है । गृह मंत्रालय के नियंत्रण में असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन.एस.जी.) नामक छ: अर्ध सैनिक बल हैं । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने वाला एक मुख्य बल है । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का रैपिड एक्शन फोर्स (आर.ए.एफ.) नामक एक विशेष विंग साम्प्रदायिक स्थितियों से निपटने के लिए गठित किया गया है । असम राइफल्स मुख्यत: सीमा पर चौकसी रखने, विद्रोही गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाने और कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बनाई गई है । असम राइफल्स का आपरेशनल नियंत्रण सेना के पास है । सीमा सुरक्षा बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का उत्तरदायित्व सीमा की चौकसी करना है । केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए है । राष्ट्रीय सुरक्षा गारद आतंकवाद का मुकाबला और अपहरण विरोधी अभियानों के लिए गठित एक विशेष बल है ।

9.2 गृह मंत्रालय का यह सतत प्रयास रहा है कि केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को समग्र संसाधनों की सीमा के अंदर अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों, परिवहन इत्यादि से सुसज्जित किया जाए ताकि आतंकवादियों, उग्रवादियों और समाज विरोधी तत्वों द्वारा उत्पन्न खतरे से कारगर रूप से निपटा जा सके । गृह मंत्रालय के सुरक्षा प्रभाग के अंतर्गत एक पृथक प्रोक्यूरमेंट विंग गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के लिए अपेक्षित उपकरणों, स्टोर और उपभोज्य सामग्री, जो डी.जी.एस.एंड डी. दरों पर उपलब्ध नहीं है, की खरीद संबंधी कार्यों की देखरेख करता है ।

9.3 केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के शस्त्रागार का उन्नयन करने की दृष्टि से, स्नाइपर राइफल्स, भारी मशीन गन, ऑटोमैटिक ग्रेनेड लांचर्स और हाल ही में 5.56 एम. एम. राइफल जैसे अनेक नए हथियार समाविष्ट किए गए हैं । कुल संसाधनों की उपलब्धता के भीतर विभिन्न राज्यों/संघ शासित पुलिस बलों को अत्याधुनिक हथियारों की पर्याप्त मात्रा भी आवंटित की गई है । राज्य/संघ शासित क्षेत्र के पुलिस बलों के शस्त्रागार का उन्नयन करने की दृष्टि से, पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. एंड डी.) ने एक व्यापक अध्ययन शुरू किया है ।

9.4 वर्ष 1998-99 के दौरान, 31.10.1998 तक इस मंत्रालय के प्रोक्युरमेंट विंग ने 2183.29 लाख रुपये के हथियारों और उपकरणों की खरीद का ठेका लिया था जिसमें कुल 90 मांग पत्र शामिल किए गए ।

असम राइफल्स

9.5 असम राइफल्स सर्वप्रथम 1835 में कछार लेवी के रूप में स्थापित किया गया था और यह देश का सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल है । पूर्वोत्तर में इसे प्यार से ''पर्वतीय लोगों का मित्र'' कहा जाता है । इस बल में 31 बटालियनें, एक प्रशिक्षण केन्द्र और स्कूल, 3 अनुरक्षण ग्रुप, 3 कार्यशालाएं, एक सिगनल यूनिट, एक निर्माण कंपनी और कुछ सहायक यूनिटें हैं और यह 7 रैंजों में आयोजित की जाती हैं । लेकिन 2 कंपनियों के लिए यह सम्पूर्ण बल नागलैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विद्रोह विरोधी अभियानों और अरूणाचल प्रदेश व सिक्किम में सीमा की चौकसी के लिए मुख्यत: नागालैंड में सेना के आपरेशनल नियंत्रण के अंतर्गत तैनात किया गया है ।

9.6 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, विद्रोहियों के साथ सशस्त्र मुठभेड़ों में इस बल के 11 कार्मिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और 25 घायल हुए । इस बल ने भारी मात्रा में शस्त्र व गोला-बारूद पकड़ा, 547 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया और 17 विद्रोही मारे गए । इसके अलावा, 15 विद्रोहियों ने बल के समक्ष आत्मसमर्पण किया ।

9.7 असम राइफल्स को वर्ष 1998-99 (31 जनवरी, 1999 तक) के दौरान 8 शौर्य चक्र, 7 सेवा मैडल, 3 विशिष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के दो पुलिस पदक, जीवन रक्षा के लिए प्रधान मंत्री का एक पुलिस पदक, सराहनीय सेवा के लिए 13 पुलिस पदक, राज्यपाल के 9 स्वर्ण पदक और राज्यपाल के 23 रजत पदक प्रदान किए गए ।

9.8 पूर्वोत्तर के प्रहरी अर्थात् असम राइफल्स को मुख्यत: जनजातीय क्षेत्रो में और पूर्वी क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा कायम करने के लिए गठित किया गया था । तथापि, बल ने इन सीमाओं को लांघते हुए सेना के सहयोग से जम्मू व कश्मीर और श्रीलंका में उत्कृष्ट कार्य किया है ।

असम राइफल का तलाशी अभियान

सीमा सुरक्षा बल

9.9 सीमाओं की रक्षा कर रहे असंख्य राज्य पुलिस बलों की जिम्मेदारी को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में 25.5 बटालियनों की संख्या शक्ति से सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) का गठन किया गया था । तब

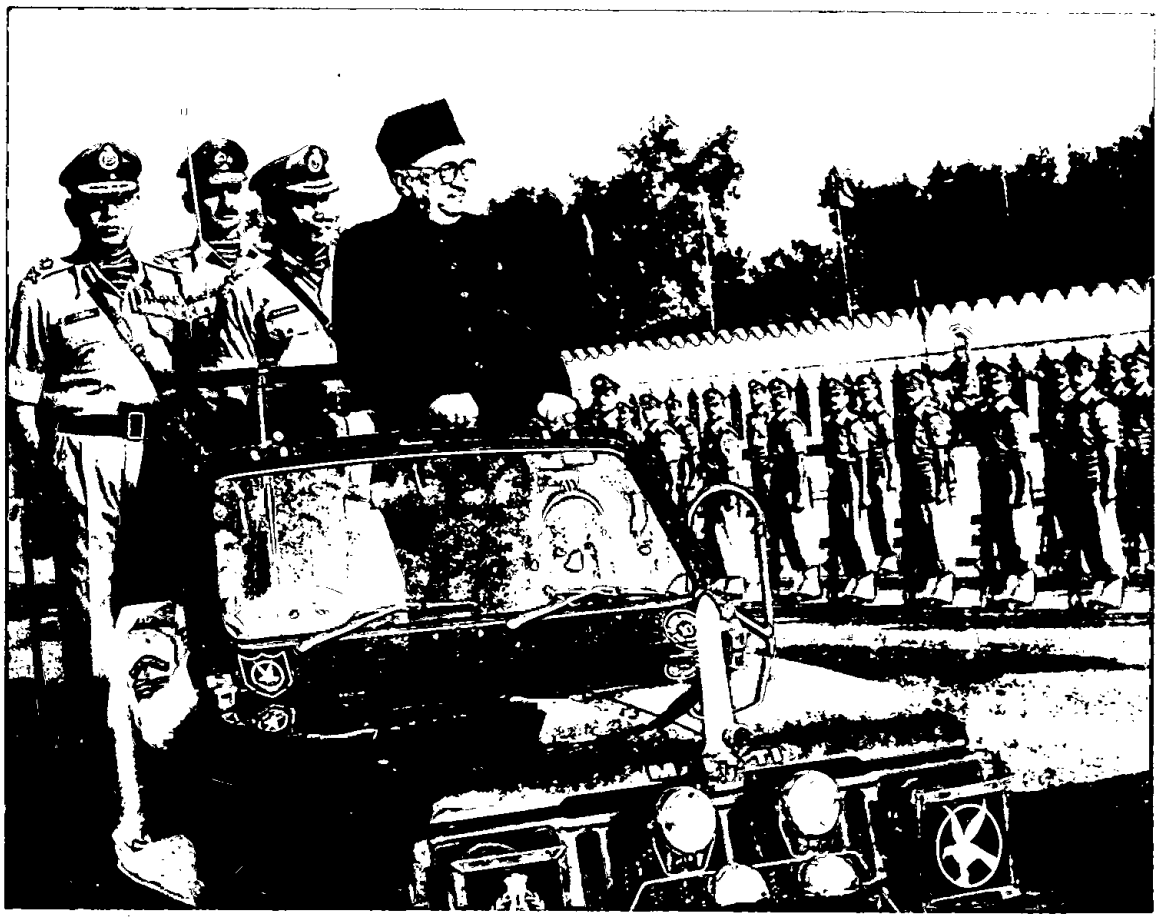

श्री बी.पी. सिंह, केन्द्रीय गृह सचिव परेड का निरीक्षण करते हुए

से सीमा सुरक्षा बल यह कार्य कर रहा है । सीमा सुरक्षा बल की मौजूदा संख्या 157 बटालियनें, 20 पोस्ट ग्रुप आर्टिलरी, 3 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान, 2 सिगनल प्रशिक्षण स्कूल, एक सेन्ट्रल स्कूल ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट (सी.एस.एम.टी.), 9 सहायक प्रशिक्षण केन्द्र/बी.टी.सी., काम्वेट प्रशिक्षण स्कूल, एक वाटर विंग, एक एयर विंग, एक सिगनल रेजीमेंट और 7,411 कि.मी. लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकसी के लिए 9 विशेष यूनिटें हैं । इसका मुख्यालय दिल्ली में है तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ-साथ इसके 8 सीमांत मुख्यालय और 28 सेक्टर मुख्यालय, 3 आई.एस. ड्यूटी सेक्टर मुख्यालय और 2 तदर्थ आई.एस.ड्यूटी मुख्यालय हैं । सीमा सुरक्षा बल को सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने और तस्करी, घुसपैठ/बाहर जाने और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने का अत्यन्त कठिन उत्तरदायित्व सौंपा गया है । सीमा सुरक्षा बल को जम्मू व कश्मीर राज्य में उग्रवाद और पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह से लड़ने के लिए भी तैनात किया गया है ।

9.10 जम्मू व कश्मीर में उग्रवाद का मुकाबला करते हुए, सीमा सुरक्षा बल ने अप्रैल, 1998 से 31 जनवरी, 1999 तक की अवधि के दौरान 33 उग्रवादियों को मार डाला और 94 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया । 19 उग्रवादियों ने बल के समक्ष आत्म समर्पण किया । इसके अलावा, भारी मात्रा में शस्त्र एवं गोला-

बारूद पकड़ा गया जिसमें 202 ए.के. सीरीज राइफल, 276 एसोर्टिड आर्म्स, 40164 ए.के. सीरीज एम्यूनिशन, 4314 एसोर्टिड एम्यूनिशन, 611 हैंड ग्रेनेड और 93 राकेट लांचर शामिल हैं । सीमा पर अपराधों को रोकने के अपने प्रयासों में, सीमा सुरक्षा बल ने इस अवधि के दौरान 37 करोड़ रु. मूल्य का निषिद्ध माल और शस्त्र इत्यादि जब्त किए । सीमा सुरक्षा बल सतत आधार पर अपने शस्त्रागार और उपकरणों को अपग्रेड कर रहा है । यह 7.62 एम.एम.एस.एल.आर. राइफलों को आई.एन.एस.ए.एस. 5.56 एम.एम. राइफलों में बदलने पर विचार कर रहा है । इसके प्रशिक्षण संस्थानों ने बल के कार्मिकों को प्रयोगात्मक आधार पर नई राइफलों के प्रयोग में प्रशिक्षण देना पहले ही शुरू कर दिया है । राकेट लांचरों/टैंक निरोधी हथियारों, तापीय इमेजर्स आदि जैसी नवीनतम निगरानी योजनाओं का प्रशिक्षण देना शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है । इसके अलावा, खतरनाक परिदृश्य तथा पाकिस्तान की सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियों की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए नौका रूपी सीमा चौकियां तथा जल के अंदर तैरने वाली नावें प्राप्त करने आदि का भी प्रस्ताव किया गया है ।

9.11 सीमा सुरक्षा बल ने सीमा पर बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाया है । राजस्थान सीमा पर 930 कि.मी. सीमा क्षेत्र में बाड़ लगायी गई है और 940 कि.मी. सीमा क्षेत्र में तेज रोशनी की व्यवस्था की गई है । इस सीमा क्षेत्र में 112 कि.मी. क्षेत्र में बाड़ लगाने और 121 कि.मी. क्षेत्र में तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य प्रगति पर है ।

9.12 पूर्वी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा पर बाड़ लगाने तथा सड़कें बुनाने के कार्य की स्थिति निम्वत है :-

		स्वीकृत (कि.मी. में)	पूर्ण (कि.मी. में)
असम			
(क)	सीमा पर बाड़ लगाना	158.00	134.258
(ख)	सीमा पर सड़क बनाना	192.00	119.087
मेघालय			
(क)	सीमा पर बाड़ लगाना	231.00	198.060
(ख)	सीमा पर सड़क बनाना (80 कि.मी. अतिरिक्त प्रस्तावित)	208.00	211.290
त्रिपुरा			
(क)	सीमा पर बाड़ लगाना	494.00 (प्रस्तावित)	
(ख)	सीमा पर सड़क बनाना	514.00	414.350
पश्चिम बंगाल			
(क)	सीमा पर बाड़ लगाना (896 कि.मी. अतिरिक्त प्रस्तावित)	507.00	458.570
(ख)	सीमा पर सड़क बनाना	1770.00	1298.805
मिजोरम			
(क)	सीमा पर सड़क बनाना (250 कि.मी. अतिरिक्त प्रस्तावित)	100.00	90.190

9.13 वर्ष 1998-99 के दौरान (31 जनवरी, 1999 तक) सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को उनकी असाधारण और समर्पित सेवाओं के मान्यतास्वरूप, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के 7 पुलिस पदक, वीरता के लिए राष्ट्पति के दो पुलिस पदक, वीरता के लिए 41 पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 59 पदक प्रदान किये गए ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

9.14 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई, 1939 में ''क्राउन रिप्रेजेन्टेविट पुलिस'' के रूप में की गई थी । स्वतंत्रता के बाद, इस बल का नाम बदलकर ''केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल'' रखा गया । इस समय इस बल की संख्या 1,67,369 है, इसमें 137 बटालियनें (119 एक्जीक्यूटिव बटालियनें, 10 त्वरित कार्य बल बटालियनें, 2 महिला बटालियनें, 5 सिगनल बटालियनें, 1 स्पेशल ड्यूटी ग्रुप), 30 ग्रुप सेन्टर, 8 प्रशिक्षण संस्थान, 3 बेस अस्पताल, 7 शस्त्र कार्यशालाएं और एक केन्द्रीय शस्त्र भंडार सहित है ।

9.15 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक, आतंकवाद एवं विद्रोह से लड़ने के लिए भारी संख्या में जम्मू एवं कश्मीर में तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात रहे । यह बल पूरे वर्ष देश के विभिन्न भागों में आंतरिक सुरक्षा कार्यों के प्रति बचनबद्ध रहा । सख्त प्रशिक्षण, सम्पूर्ण तैयारी और तत्काल सक्रियता इस बल के प्रमाणांक हैं । माउंट आबू में इसकी अपनी अकादमी है जिसे आतंरिक सुरक्षा अकादमी कहा जाता है । इस अकादमी में न केवल बल के सीधी भर्ती वाले राजपत्रित अधिकारियों को बल्कि देश और विदेश के पुलिस बलों के अधिकारियों और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों को भी आधारभूत सेवाकालीन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है । बल के पास तीन केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं जो नीमच, अवाडी और नान्देड में स्थित है । ये प्रशिक्षण संस्थान बल के कार्मिकों की मूलभूत सेवाकालीन और पदोन्नति पाठ्यक्रम प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं । ये राज्य पुलिस बलों, सीमा शुल्क एवं आबकारी मंत्रिमंडल सचिवालय के अधिकारियों और अन्य कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित करते हैं । चार भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो नीमच, अवाडी पल्लीपुरम और श्रीनगर में हैं । इन भर्ती प्रशिक्षण केन्द्रों का मुख्य कार्य नये भर्ती हुए कांस्टेबलों को प्रशिक्षण देना है ।

9.16 वर्ष 1992 में के.रि.पु. बल की 10 बटालियनों को परिवर्तित करके उन्हें दुत कार्य बल (आर.ए.एफ.) के नाम से पुनर्गठित किया गया । इस विशिष्ट बल का गठन सर्वाधिक तात्कालिकता से दंगों, विशेषकर सांप्रदायिक दंगों एवं दंगों जैसी स्थितियों से निपटने तथा सताये गये एवं असहाय लोगों की मदद करने के प्रयोजनार्थ किया गया था । ये बटालियनें साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील 10 स्थानों पर अवस्थित की गई हैं ताकि बल की तैनाती की मांग की तत्काल पूर्ति की जा सके । अपने जन्म के अल्पकाल में ही इस बल ने

जनता का विश्वास जीता है और समाज के सभी वर्गों की सद्भावना प्राप्त है, इसकी उपस्थिति मात्र से दंगों जैसी स्थिति पैदा होने से रूक जाती है ।

9.17 बल के पास अपनी मान्यताओं का स्पृहणीय रिकार्ड है । अपनी असाधारण एवं समर्पित सेवाओं के लिए बल के कार्मिकों ने वीरता के लिए राष्ट्रपति का एक पुलिस पदक, वीरता के लिए 11 पुलिस पदक, ज़ीवन रक्षा के लिए एक प्रधान मंत्री का पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए 5 राष्ट्रपति के पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 49 पुलिस पदक वर्ष 1998-99 के दौरान (31 जनवरी, 1999 तक) जीते हैं ।

9.18 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान के.रि.पु.बल ने खेलकूद एवं एथलेटिक्स के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है । इंस्पेक्टर एन. लक्ष्मी को भारोत्तोलन में उनके अपने निजी योगदान के लिए वर्ष 1998 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया । पुलिस दल ने जिसमें के.रि.पु.बल के अधिकतम तैराक शामिल थे, राष्ट्रीय तैराकी चैम्पियनशिप, 1998 जीती । इसके अलावा पुलिस वाटर पोलो टीम ने, जिसमें के.रि.पु.बल की ही सारी महिला वाटर पोलो खिलाड़ी थी, राष्ट्रीय महिला वाटर पोलो चैम्पियनशिप, 1998 जीती ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

9.19 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए 1968 में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया गया था । केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इस समय 233 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है और इसकी स्वीकृत संख्या 95,000 है । 31.1.99 तक वर्ष 1998-99 के दौरान चोरी के 2839 मामले उपक्रमों द्वारा सूचित किए गए जिनका के.औ.सु. बल ने पता लगाया जिनमें 1,96,91,373 रु. मूल्य की सम्पत्ति अन्र्ग्रस्त थी । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्मिकों द्वारा 1382 व्यक्ति पकड़े गए और 1,43,47,919/- रु. मूल्य की चुराई गई सम्पत्ति बरामद की गयी ।

9.20 संघ का सशस्त्र बल होने के नाते के.औ.सु. बल का प्रयोग आवश्यक होने पर नागरिक प्रशासन को मदद देने के लिए किया गया है ।

9.21 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अपने कार्मिकों के प्रशिक्षण पर जोर देता रहा है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 5168 कार्मिकों को मूलभूत प्रशिक्षण दिया गया जबकि 11198 को विशेष प्रशिक्षण दिया गया जिसमें अधुनातन वैज्ञानिक गैजट्स, अत्याधुनिक हथियारों तथा औद्योगिक सुरक्षा संबंधी विभिन्न कानूनों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया ।

9.22 सराहनीय कार्य के सम्मान में वर्ष 1998-99 के दौरान (जनवरी 1999 तक) सी.आई.एस.एफ.

कार्मिकों को विशिष्ट सेवा के लिए 5 राष्ट्रपति के पुलिस पदक, शौर्य के लिए 2 राष्ट्रपति के पुलिस पदक, शौर्य के लिए 4 पुलिस पदक तथा सराहनीय कार्य के लिए 43 पुलिस पदक प्रदान किए गए ।

9.23 सी.आई.एस.एफ. ने खेलों में भी नाम कमाया है । बल के सदस्यों ने वर्ष के दौरान एक अर्जुन पुरस्कार जीतने के अलावा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 85 स्वर्ण पदक, 78 रजत पदक तथा 83 कांस्य पदक जीते हैं ।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

9.24 1962 में मात्र 4 बटालियनों से गठित भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.) ने काफी अधिक वृद्धि देखी है और अब बल के पास 4 विशेषीकृत बटालियनों तथा 3 प्रशिक्षण संस्थानों सहित 29 बटालियनें हैं । बल की अब कुल संख्या 30,367 है । आई.टी.बी.पी. कार्मिकों को विश्व के सबसे कठिन और असर भूभागों में से एक समुद्र तल से 9000 से लेकर 18000 फीट तक की ऊंचाई पर तैनात किया जाता है, जो लद्दाख में कराकोरम दर्रे से भारत तिब्बत नेपाल सीमा के तिराहे पर लिपुलेख दर्रे तक फैली 2115 कि.मी. की उस भारत-तिब्बत सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, जहां तापमान - 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कश्मीर घाटी की पीर पांजाल ऋखलाओं में उग्रवाद विरोधी आप्रेशन तथा जवाहर

सीमा की चौकसी करते हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान

सुरंग की सुरक्षा करने के लिए आई.टी.बी.पी. की 6 बटालियनों को तैनात किया गया । इसके अतिरिक्त आई.टी.बी.पी. की एक यूनिट को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में उस क्षेत्र में आतंकवाद से निपटने के लिए तैनात किया गया । निर्धारित भूमिका के अलावा, आई.टी.बी.पी. ने अपारम्परिक युद्ध, विद्रोह का सामना करने, आतंकवाद-रोधी अभियान चलाने तथा पहाड़ों में युद्ध करने की उच्च स्तर की विशेषज्ञता हासिल की है । इस बल को दिल्ली में अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी, विद्रोह-रोधी अभियान चलाने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा बैंक सुरक्षा का कार्य भी सौंपा गया है । यह बल राष्ट्रपति भवन, नॉर्थब्लाक तथा निर्वाचन सदन की सुरक्षा व्यवस्था करने के अलावा श्रीलंका में भारत के उच्च आयोग की भी सुरक्षा कर रहा है ।

9.25 आई.टी.बी.पी. को चालू वर्ष के दौरान आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में सुरक्षा/ चिकित्सीय व्यवस्था, दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी । इस बल के कार्मिकों द्वारा माल्पा में भूस्खलन के पीड़ितों की मुसीबत के समय की गई राहत और बचाव कार्य की सेवा आई.टी.बी.पी. कार्मिकों के साहस और निष्ठा का प्रमाण है । इस त्रासदी में आई.टी.बी.पी. के 8 जवान शहीद हुए ।

9.26 आई.टी.बी.पी. कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं के सम्मान में वर्ष 1998-99 (जनवरी, 1999 तक) के दौरान इसे शौर्य के लिए 3 पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए 7 राष्ट्पति के पुलिस पदक तथा सराहनीय सेवाओं के लिए 19 पुलिस पदक प्रदान किए गए । आई.टी.बी.पी. का प्रथम सेना पदक, सब-इंस्पेक्टर (जी.डी.) स्वर्गीय श्री राजकुमार को तथा आई.टी.बी.पी. में प्रथम शौर्य चक्र स्व. श्री अशोक कुमार राणा, सहायक कमांडेंट (जी.डी.) को कश्मीर घाटी में उनके शौर्य तथा अपूर्व आत्म बलिदान के लिए दिया गया ।

राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

9.27 देश में आतंकवाद के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए 1984 में फैडरल कन्टिनजेंसी फोर्स के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद का गठन किया गया था । वर्तमान में इसकी संख्या 7,360 है ।

9.28 राष्ट्रीय सुरक्षा गारद अत्यधिक खतरे से निपटने, हाईजैक विरोधी और आतंकवादी-विरोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित और बनाया गया एक अद्वितीय बल है । राष्ट्रीय सुरक्षा गारद को जेड प्लस श्रेणी के अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए चल सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी दिया गया है । राष्ट्रीय सुरक्षा गारद संसद भवन और अन्य अतिविशिष्ट व्यक्तियों के सभा स्थलों पर तोड़फोड़ विरोधी निरीक्षण भी करता है । राष्ट्रीय सुरक्षा गारद का मानेसर में एक प्रशिक्षण केन्द्र है । अप्रैल से अक्तूबर, 1998 के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गारद ने इस बल में इण्डक्ट किए गए कार्मिकों के अलावा सेना, अर्ध सैनिक बलों और राज्य पुलिस के 193 कार्मिकों को आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण दिया ।

9.29 राष्ट्रीय सुरक्षा गारद द्वारा की गयी समर्पित सेवा के लिए रिपोर्टाधीन वर्ष 1998-99 (दिसम्बर, 1998 तक) के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के कार्मिकों को सराहनीय सेवाओं के लिए 3 पुलिस पदक प्रदान किए गए ।

विभिन्न पुलिस संगठनों की जनशक्ति में संवृद्धि

9.30 वर्ष 1988-89 से 1998-99 के दौरान केन्द्रीय पुलिस संगठनों की जनशक्ति में संवृद्धि निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गई है :--

विभिन्न पुलिस संगठनों की जनशक्ति में संवृद्धि

वर्ष	एन.एस.जी.	आई.टी.बी.पी.	सी.आर.पी.एफ.	बी.एस.एफ	अ.रा.	सी.आई.एस.एफ
1988	7482	23419	120979	135544	52067	66102
1989	7482	25482	121206	149568	52460	71818
1990	7482	29488	131260	171168	52460	74334
1991	7482	29504	159091	171363	52460	79620
1992	7485	29504	158907	171501	52482	84611
1993	7485	29504	158693	171735	52504	87337
1994	7512	30297	165334	171735	52504	88603
1995	7360	30293	165408	181269	52223	91212
1996	7360	30369	166198	181403	52223	96567
1997	7360	29275	167383	182675	52269	96534
1998	7360	30367	167329	182732	52223	95863

9.31 वर्ष 1988-89 से 1998-99 तक (सितम्बर, 1998 तक) प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों पर किया गया वास्तविक व्यय निम्न प्रकार हैं :--

वर्ष	बी.एस.एफ.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आई.एस.एफ.	आई.टी.बीपी	अ.रा.	एन.एस.जी.
1988-89	43214.00	30888.00	11955.00	7690.00	13959.00	2615.00
1989-90	51366.00	42259.21	14200.00	9166.00	16501.00	3719.00
1990-91	66110.00	43398.65	17196.00	10157.00	17911.00	5274.00
1991-92	72198.00	58547.00	10157.00	12707.00	20029.00	4558.00
1992-93	80832.00	69964.00	25232.00	16020.00	24618.00	5682.00
1993-94	94809.92	75373.03	30057.15	18242.12	28871.46	5258.00
1994-95	*100649.40	88090.28	33388.87	18554.47	29544.76	5163.58
1995-96	52716.44	93226.29	17777.38	7091.61	31751.00	1757.09
1996-97	126100.96	112102.00	44395.23	22564.22	34015.00	6804.85
1997-98	153392.05	133025.81	57795.06		50116.42	7050.81
1998-99 (सितम्बर 1998 तक)	99631.14	75339.07	29457.85		16694.87	2265.33

* इसमें भारत-पाक सीमा पर फ्लड समूह और बाड़ के रख-रखाव पर हुआ 943.21 लाख रुपए का व्यय शामिल है ।

अध्याय-10

अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठन

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

10.1 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो वास्तव में उत्कृष्टता के एक केन्द्र के रूप में देश में पुलिस और जेल सुधारों पर अध्ययन करने, पुलिस के कार्यों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लागू करने में बढ़ावा देने, पुलिस तथा जेल प्रशिक्षण प्रबंधों का पुनरीक्षण करने, प्रशिक्षण नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करने तथा उनका समन्वय करने, पुलिस कार्य एवं जेल सुधार मामलों के तकनीकी पहलुओं के बारे में गृह मंत्रालय को और उसके माध्यम से राज्यों को सलाह देने तथा विधि विज्ञान के विकास को बढ़ावा देने का काम देखता है ।

विकास प्रभाग

10.2 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण एवं विधि विज्ञान प्रभाग वर्ष भर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में लगे रहे । अनुसंधान प्रभाग ने अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) और भीवाडी (महाराष्ट्र) में साम्प्रदायिक अमन-चैन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त पुलिस पर अपनी अनुसंधान परियोजनाएं/अध्ययन पूरे किए । इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से ''अपराध एवं समाज पर मास मीडिया के प्रभाव'' पर कार्यशाला एवं सेमीनार आयोजित किए । चंडीगढ़, बंगलौर और हैदराबाद में चंडीगढ़ पुलिस, कर्नाटक पुलिस और आंध्र प्रदेश पुलिस के सहयोग से ''स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद भारतीय पुलिस : एक आत्म निरीक्षण'' आयोजित किया, चेन्नई में तमिलनाडु पुलिस के सहयोग से 30वां अखिल भारतीय विज्ञान सम्मेलन और नई दिल्ली में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने पर भी सम्मेलन आयोजित किया । वर्ष के दौरान अनुसंधान प्रभाग ने इंडियन पुलिस जनरल (त्रैमासिक), पुलिस विज्ञान (त्रैमासिक) जैसे जनरल/प्रकाशन तथा भारत में 1 जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार पुलिस संगठन संबंधी आंकड़े प्रकाशित किए ।

10.3 वर्ष के दौरान विकास प्रभाग द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां पूरी की गई हैं :

(i) टी.एस.यू., टेकनपुर द्वारा विनिर्मित टी.एस.एम. का आवंटन

(ii) गैस बंदूकों एवं मल्टी बैरल लांचरों का आवंटन

(iii) बुलेट प्रूफ टाटा सूमो की डिजाइन को अंतिम रूप देना

(iv) बुलेट प्रूफ ट्रक टाटा 709 एस.एफ.सी. की विस्तृत डिजाइन को अंतिम रूप देना

(v) 37/38 एम. एम. मल्टी रायट गन का विकास

(vi) 12 बोर पम्प एक्शन गन एवं नान लेथल गोला बारूद का विकास

(vii) बुलेट प्रूफ उपकरणों का परीक्षण

(viii) प्रदर्शन और परीक्षण

(ix) सभी थल वाहन

(x) केन्द्रीय पुलिस संगठनों के लिए उचित हल्के वाहनों का चयन

(xi) सुरक्षा उपकरणों का मूल्यांकन

(xii) बी.पी.आर. एंड डी. मुख्यालय कार्यालय में कम्प्यूटर नेटवर्किंग (एल.ए.एन.)

प्रशिक्षण प्रभाग

10.4 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी.पी.आर.एंड डी.) का प्रशिक्षण प्रभाग और बदलती हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में पुलिस प्रशिक्षण के लिए की गई व्यवस्थाओं और इस क्षेत्र में देश की आवश्यकता तथा पुलिस के कार्यों में वैज्ञानिक तकनीकों को शुरू करने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करता है और प्रशिक्षण नीतियों को समन्वित करता है । यह प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी मूल्यांकन करता है ताकि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के विभिन्न पदों के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या सहित, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं में यथावांछित मानकीकरण और एकरूपता प्राप्त की जा सके । यह उन संशोधनों और सुधारों का भी सुझाव देता है जिन पर समय-समय पर विचार किया जा सके ताकि नई चुनौतियों और समस्याओं का सामना किया जा सके । वर्ष के दौरान प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा पूरी की गई परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल है :

1. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी, उत्तर प्रदेश का स्तरोन्नयन
2. आंतरिक सुरक्षा अकादमी (के.रि.पु.बल), माउंट आबू का स्तरोन्नयन
3. राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी (के.औ.सु.बल) का स्तरोन्नयन
4. राष्ट्रीय राजपथ गश्त पुलिस की प्रशिक्षण आवश्यकता का विश्लेषण और प्रशिक्षण डिजाइन

विधि विज्ञान प्रभाग

10.5 विधि विज्ञान प्रभाग में बी.पी.आर. एंड डी., नई दिल्ली स्थित निदेशालय, कलकत्ता, चंडीगढ़ और हैदराबाद स्थित तीन केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं तथा शिमला, कलकत्ता और हैदराबाद स्थित संदेहास्पद दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक की तीन प्रयोगशालाएं एवं ट्राम्बे, मुंबई स्थित न्यूट्रॉन एक्टीवेशन एनालिसिस यूनिट शामिल हैं । विधि विज्ञान प्रभाग का उद्देश्य जांच पड़ताल और अपराध का पता लगाने संबंधी वैज्ञानिक उपकरणों की गुणवत्ता में संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना तथा विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं विकास सहायता, गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण प्रदान करना, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को परामर्श सेवाएं प्रदान करना और कानून प्रवर्तक एजेंसियों को जहां आधुनिक उपकरण और विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं है रेफरल आधार पर आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना । विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर, विधि विज्ञान प्रभाग ने अक्तूबर, 1998 में भूटान सरकार के पुलिस, न्यायिक और अन्य कानून लागू करने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का अन्तर्राष्ट्रीय कार्यभार संभाला । अपराध जांच प्रक्रिया में विधि विज्ञान के प्रयोग में हाल ही में हुई प्रगति पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन इस वर्ष के अन्त से पहले किए जाने का प्रस्ताव है ।

केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सी.बी.आई., नई दिल्ली)

10.6 केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सी.बी.आई. नई दिल्ली ने सी.बी.आई. दिल्ली पुलिस, सतर्कता, राज्य केन्द्रीय सरकार के विभागों, न्यायिक अदालतों और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा भेजे गए वास्तविक अपराध के मामलों में वैज्ञानिक सहायता सेवा और अपराध विश्लेषण प्रदान किया । यह प्रयोगशाला अपराध के मामलों में निरपेक्ष विशेषज्ञ राय, वास्तविक मामलों में वैज्ञानिक सहायता सेवाएं, अपराध स्थल पर वास्तविक सुराग एकत्र करने में वैज्ञानिक सहायता, विधि न्यायालयों में विशेष सबूत और जांच अधिकारियों और वैज्ञानिकों को अदालती प्रशिक्षण प्रदान करती है । यह प्रयोगशाला अनुसंधान तथा विकास संबंधी कार्य भी करती है ताकि सी.बी.आई. मामले की जांच में वैज्ञानिक सहायता की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

10.7 वर्ष 1998 के दौरान, अक्तूबर, 1998 तक प्रयोगशाला में 161385 प्रदर्शों की वैज्ञानिक जांच की गई । वर्ष 1998 के दौरान प्रयोगशाला में 2968 नए मामले आए । प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने भारत के अनेक भागों में 568 न्यायालयों में सबूत किए और वैज्ञानिक जांच के लिए अपराध के 103 स्थलों की जांच की ।

10.8 सी.एफ.एस.एल./सी.बी.आई. ने सी.बी.आई. अकादमी, राष्ट्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क संस्थान, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय अपराध शास्त्र तथा विधि विज्ञान संस्थान, आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग,

विश्वविद्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित अनेक संस्थानों के 1307 प्रशिक्षार्थियों/पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों को वैज्ञानिक कार्य में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया ।

10.9 निम्नलिखित आंकडे वर्ष 1998 (अक्तूबर, 1998) के दौरान सी.एफ.एस.एल./सी.बी.आई. के कार्य को विहंगम दृष्टि से दर्शाते हैं :-

	जीव विज्ञान	अस्त्र विज्ञान	रसायन विज्ञान	डी.ओ.सी. प्रभाग सी.एफ. एस.एल. नई दिल्ली	अंगुलि छाप	झूठ संसूचक	फोटो	भौतिक विज्ञान	सीरम विज्ञान	जोड़
1.1.98 को लंबित मामलों की संख्या	77	14	813	50	5	13	8	13	20	1013
अक्तूबर, 98 तक प्राप्त मामले	120	44	164	138	79	72	2190	95	66	2968
30.10.98 को लंबित मामले	99	54	304	141	70	61	2173	78	85	3065
अक्तूबर, 98 तक प्रदर्शों की जांच	98	4	673	45	12	14	18	17	शून्य	909
अक्तूबर, 98 तक न्यायालय में उपस्थित	250	9983	1341	21737	8829	200	74994	36031	8020	161385
अक्तूबर, 98 तक दौरा किए गए अपराध स्थल	33	72	50	269	16	2	40	68	18	568
रिपोर्ट किए गए मामले	6	17	2	शून्य	12	शून्य	40	25	1	103
1. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	21	20	85	103	39	94	126	42	19	567
2. दिल्ली पुलिस	76	30	204	3	12	24	-	29	66	24[2]
3. अन्य एजेंसियां	2	4	15	35	19	8	2046	7	शून्य	2156

राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान (एन.आई.सी.एफ.एस.)

10.10 राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान (एन.आई.सी.एफ.सी.) की स्थापना 1972 में हुई थी । स्थापना काल से ही यह संस्थान, अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान के क्षेत्र का उत्कृष्ट केन्द्र बनने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील है । एन.आई.सी.एफ.एस. का अध्यक्ष पुलिस महानिरीक्षक रैंक का एक

निदेशक होता है और यह संस्थान अपराध शास्त्र और विधि विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध करवाता है । समय के साथ-साथ एन.आई.सी.एफ.एस. ने अपराध शास्त्र और विधि विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट संदर्भ केन्द्र होने की ख्याति प्राप्त की है और यहां ऐसा पुस्तकालय स्थापित किया गया है जहां इस विषय पर नवीनतम पुस्तकों और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पत्रों का अद्‌भुत संग्रह है । एन.आई.सी.एफ. अपनी ओर से तथा प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ मिलकर अनुसंधान करता है । एन.आई.सी.एफ.एस.एस. की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसे बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों ने डाक्टरेट डिग्री प्रदान करने के केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है . अब तक यहां के प्राध्यापक वर्ग के मार्गदर्शन में 7 अध्वेताओं को डाक्टरेट डिग्री प्रदान की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त एन.आई.सी. एफ.एस. ने सातवीं और आठवीं योजना में शुरू की गई 3 अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा किया है और नौंवी योजना में 7 नई परियोजनाएं शुरू की जानी हैं । एन.आई.सी.एफ.एस. अपनी तरह की एक अनूठी संस्था है जहां एक ही छत के नीचे अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान कराया जाता है । साथ ही, एन.आई.सी.एफ.एस.सी. मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए अपेक्षित उपायों को सामने लाने तथा आपराधिक न्याय प्रणाली को नेक कार्य के रूप में सुग्राही बनाने के लिए उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है ।

10.11 वर्ष 1998-99 के दौरान एन.आई.सी.एफ.एस.एस. में प्रशिक्षण देने और शिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रम चलाने की दृष्टि से उल्लेखनीय वृद्धि हुई । कुल 66 पाठ्यक्रम चलाए गए जिनमें आपराधिक न्याय प्रशासन और रक्षा सेवाओं के 1450 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए । एन.आई.सी.एफ.एस. ने जनवरी, 1998 के अंत में संयुक्त राष्ट्र अपराध निवारण और आपराधिक न्याय प्रभाग के तत्वाधान में आग्नेय आयुधों के विनियमन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक कार्यशाला की मेजबानी भी की । एन.आई.सी.एफ.एस. ने अपने संकायों, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालय का स्तर बढ़ाने तथा आपराधिक न्याय प्रणाली, सामाजिक परिवर्तन, विधि विज्ञानी विस्फोटकों आदि के उभरते क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है । अपराध शास्त्र में मानव संसाधन विकसित करने के लिए एक विस्तृत और सुव्यवस्थित सतत शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया जाने वाला है ।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

10.12 राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की स्थापना सरकार के दिनांक 11 मार्च, 1986 के संकल्प के तहत की गई थी । इस ब्यूरो का मुख्यालय दिल्ली में रखा गया है । समन्वय निदेशालय पुलिस कम्प्यूटर्स, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के समन्वय प्रभाग के डाटा अनुभाग, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के सांख्यिकी अनुभाग और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के केन्द्रीय अंगुलि छाप ब्यूरो का भी राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में विलय कर दिया गया था ।

10.13 राज्यों के बीच अपराध एवं अपराधियों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी राज्यों में केन्द्र द्वारा वित्त पोषित 27 करोड़ की राशि से अपराध एवं अपराधी सूचना प्रणाली की (सी.सी.आई.एस.) परियोजना शुरू हो चुकी है । राज्यों/संघ क्षेत्रों में प्रत्येक पुलिस जिले को पी.सी. ए.टी./486 कम्प्यूटर प्रणाली प्रदान की गई है तथा यह राज्य/संघ क्षेत्र स्तर पर कार्य करती है । अपेक्षित सी.सी.आई.एस. एप्लीकेशन साफ्टवेयर वर्जन 3.0 लागू किया गया है जो कि एस.सी.ओ., यूनिक्स आर.डी.बी.एम.एस. में कार्य कर रहा है ताकि नेटवर्क के अंतर्गत कम्प्यूटर आधारित सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा हो सके ।

10.14 तमिलनाडु एवं पांडिचेरी में पोर्टरेट बिल्डिंग प्रणाली (पी.बी.एस.) की स्थापना तथा प्रचालन का काम पूरा हो चुका है । इस साफ्टवेयर के लगाने एवं प्रचालन में राज्यों/मुख्यालयों/जिलों के 15 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है । कुछ अन्य प्रणालियां विकासाधीन हैं जिनमें सांस्कृतिक सम्पत्ति प्रणाली, सुरक्षा कार्रवाई प्रणाली, राष्ट्रीय आग्नेय अस्त्र लाइसेंस प्रणाली, एवं जेल आंकड़े (सारणीकरण योजना) शामिल हैं । राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में विकसित जाली मुद्रा प्रणाली भी वर्तमान में प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन की अंतिम अवस्था में है ।

10.15 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में, निम्नलिखित पर क्रिटीकल आप्रेश डाटाबेस सृजित किए गए हैं । अक्तूबर, 98 तक डाटा बैंक की स्थिति निम्न प्रकार है :

क्रम सं.	ब्यौरे	कुल रिकार्ड
1.	आटोमोबाइल्स (चुराए गए/बरामद किए गए)	297672
2.	अपराधी (वांछित/गिरफ्तार)	165530
3.	आग्नेयअस्त्र (चुराए गए/बरामद किए गए)	87732
4.	इण्टरपोल अपराधी (वांछित)	10399
5.	आतंकवादी/उग्रवादी	7862
6.	सांस्कृतिक सम्पत्ति	36249
7.	जाली मुद्रा	127573
8.	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा रखे गए डोजिय	1212

10.16 अक्तूबर, 98 तक वर्षवार सफल मिलानों (पता लगाए गए) की संख्या नीचे दी गई है :-

प्रणाली	वर्तमान डाटा वाल्यूम	1991 तक	1992	1993	1994	1995	1996	1997	अक्तूबर 98 तक	कुल मिलान
गिरफ्तार किए गए/ वांछित	165530	1444	864	375	189	1122	720	766	830	6310
आटोमोबाइल	297672	2333	977	3266	1908	2792	2814	2112	1350	17552
आग्नेयास्त्र	87732	2061	387	386	336	288	189	151	174	3972

10.17 अक्तूबर, 1998 तक आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में रा.अ.रि. ब्यूरो की सफलताओं का निष्कर्ष निम्नानुसार निकाला जा सकता है :--

क्रम सं.	ब्यौरे	कुल रिकार्ड
1.	संदिग्ध एवं गिरफ्तार अपराधियों की पहचान के लिए जांच अधिकारियों से पूछताछ	20391
2.	पहचान किए गए मामलों की कुल संख्या	421
3.	डाटाबेस के लिए प्राप्त इन्टरपोल संदर्भ	947
4.	अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के सत्यापन के लिए इंटरपोल की पूछताछ	187
5.	विधि के न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत अंगुलिछाप विशेषज्ञों की राय	4
6.	धोखा धड़ी सुलझाने संबंधी विभिन्न दस्तावेजों पर जांची गई कुल छाप	632

10.18 केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो अंगुली छापों के क्षेत्र में देश का शीर्ष संगठन है । अंगुली छाप विज्ञान के क्षेत्र में समान स्तर बनाए रखने के लिए सी.एफ.पी.बी. प्रतिवर्ष अंगुली छाप विशेषज्ञों के लिए अखिल भारतीय बोर्ड परीक्षा आयोजित करता है । संदिग्ध व्यक्तियों/अपराधियों की वास्तविक पहचान और उनके पूर्ववृत्त का पता लगाने में अंगुलि छाप विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिए नवीनतम एवं परिष्कृत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है । सी.एफ.पी.बी. इंटरपोल तथा अंतर्राज्यीय एजेंसियों से अपराध संबंधी जांच पड़ताल भी करता है तथा 1.09 लाख से अधिक फिंगर प्रिंट स्लिपों के डाटाबेस का सृजन किया है ।

पुलिस बेतार समन्वय निदेशालय (डी.सी.पी.डब्ल्यू.)

10.19 समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) राज्य एवं राष्ट्रीय दोनों स्तर पर पुलिस दूर संचार के लिए एक नोडल समन्वय एजेंसी है ।

10.20 देश के लिए 137.91 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर उपग्रह आधारित पुलिस दूरसंचार नेट (पोलनेट) के प्रस्ताव का सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है । पोलनेट को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न समितियां अधिसूचित की गई हैं तथा निविदा मांगने के लिए तकनीकी विनिर्देशनों आदि को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

10.21 वर्ष 1998 के दौरान डी.सी.पी.डब्ल्यू. के केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थान ने विभिन्न केन्द्रीय पुलिस रेडियो संगठनों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ग्रेडेशन/विशेष पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न क्षेत्रों में 35 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा इंस्पेक्टरों, वरिष्ठ तकनीकी सहायकों एवं वरिष्ठ पर्यवेक्षी अधिकारियों के लिए नए उपकरणों की जानकारी संबंधी पाठ्यक्रमों की योजना तैयार की ।

10.22 डी.सी.पी.डब्ल्यू ने विभिन्न केन्द्रीय पुलिस रेडियो संगठनों के लिए 18 साइफर पाठ्यक्रम भी आयोजित किए हैं । डी.सी.पी.डब्ल्यू. का साइफर विंग शुरू करने में नए क्रिप्टोसेन्टर, नार्थ ब्लाक तथा सी.जी.ओ. काम्पलैक्स में कंट्रोल क्रिप्टोसेन्टर के बीच सीक्योर फैक्स मशीन साइफर प्रणाली स्थापित करके मैन्यूअल क्रिप्टो सिस्टम को अनुपूरित करने के लिए मशीन क्रिप्टो सिस्टम प्राप्त कर रहा है । यह प्रणाली वर्गीकृत संदेशों के प्रेषण में त्वरित गति, यथार्थता एवं सुरक्षा प्रदान करेगी । टेलीफोन संपर्कों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए डी.सी.पी.डब्ल्यू. ने वी.वी.आई.पी./वी.आई.पी. के निवास स्थानों तथा कार्यालयों के सैक्टेल उपकरण भी लगाए हैं ।

अध्याय-11

केन्द्र राज्य संबंध

अन्तर्राज्यीय परिषद

11.1 अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना 28 मई, 1990 को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा की गयी थी । इस परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में दिसम्बर, 1996 में गृह मंत्री की अध्यक्षता में इस परिषद् की स्थायी समिति का गठन किया गया जो परिषद् के समक्ष विचार-विमर्श हेतु आने वाले विभिन्न मुद्दों का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक कोर ग्रुप के रूप में कार्य करेंगी ।

11.2 अन्तर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन 28 अक्तूबर, 1998 को किया गया था । प्रधान मंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री, रक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री को अन्तराज्यीय परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है । प्रधानमंत्री ने यह भी अनुमोदित किया है कि केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और इस्पात तथा खान मंत्री परिषद में स्थायी रूप से आमंत्रित किए जाएंगे ।

11.3 अन्तर्राज्यीय परिषद की पांचवीं बैठक 22 जनवरी, 1999 को आयोजित की गई थी । इस बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था ।

11.4 अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का भी पुर्नगठन किया गया है । स्थायी समिति की छठीं बैठक 19 दिसम्बर, 1998 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 से संबंधित मुद्दों, अन्तर्राज्यीय परिषद के कार्यसंचालन के लिए दिशा-निर्देशों तथा पहले ही अनुमोदित की गई सिफारिशों की कार्यान्वयन रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए की गई थी ।

सरकारिया आयोग की सिफारिशें

11.5 सरकारिया आयोग ने केन्द्र राज्य संबंधों पर अपनी रिपोर्ट में 247 सिफारिशें की हैं । अन्तर्राज्यीय परिषद 124 सिफारिशों पर पहले ही निर्णय ले चुकी है जोकि अध्याय-III - प्रशासनिक संबंध (I), अध्याय-I/II - केन्द्रीय सशस्त्र बलो की तैनाती (4), अध्याय-I/III - अखिल भारत सेवाएं (7), अध्याय - IX -

अन्तर शासकीय परिषद् (7), अध्याय-X - वित्तीय संबंध (29), अध्याय-XIII - खानें और खनिज (2), अध्याय-XIV - कृषि (5), अध्याय-XV - वन (4), अध्याय-XVI - खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति (4), अध्याय-XVII - अन्तर राज्य नदी जल विवाद (5), अध्याय-XVIII - व्यापार, वाणिज्य आदि (4), अध्याय-XIX - मास मीडिया (8), अध्याय-XX - विविध भाषा, संघ शासित क्षेत्र और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (11), और अध्याय-XI - आर्थिक और सामाजिक योजना (33) से संबंधित हैं ।

क्षेत्रीय परिषदें

11.6 पांच क्षेत्रीय परिषदें, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के द्वारा बनाई गई हैं । इन उच्च स्तरीय परामर्शी निकायों के गठन का उद्देश्य अन्तर-राज्य समस्याओं का हल करने, क्षेत्र का संतुलित विकास करने और केन्द्र राज्य संबंध सौहादपूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक जोन में एक सामूहिक बैठक आधार की व्यवस्था करना है । इन परिषदों की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती हैं । उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की 24 वीं बैठक सूरज कुण्ड हरियाणा में 28 फरवरी, 1999 को हुई थी ।

नए राज्यों का सृजन

11.7 25 मार्च, 1998 को राष्ट्पति ने संसद को सम्बोधित करते हुए कहा था कि सरकार उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल, बिहार में वनांचल तथा मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ बनाने की कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है । तद्नुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए विधेयकों का प्रारूप तैयार किया गया । 20 अगस्त 1998 को राष्ट्रपति महोदय ने उक्त विधेयकों को भारत के संविधान के अनुच्छेद-3 की अपेक्षा अनुसार अपने विचार व्यक्त करने के लिए संबंधित विधान मण्डलों को भेजा था । राज्य विधान मण्डलों के विचार प्राप्त हो जाने के पश्चात् लोक सभा में दिसम्बर, 1998 में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998, बिहार पुनर्गठन विधेयक और मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 पेश किए गए ।

लाटरी व्यवसाय का विनियमन

11.8 समाज में आम तौर पर और गरीब लोगों पर विशेष रूप से लाटरियों के विनाशक प्रभाव के कारण लाटरी व्यवसाय, के विनियमन/प्रतिबंध के बारे में व्यापक मांग हुई है । भारत सरकार ने लाटरी (विनियमन) अध्यादेश, 1997 प्राख्यापित करके 2 अक्तूबर, 1997 से एक अंकवाली/इंस्टेन्ट लाटरियों पर प्रतिबंध लगा दिया था । इस अध्यादेश को एक लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1998 की संख्या 17) के द्वारा बदल दिया गया है । एक अंकवाली और इंस्टेंट और लाटरियों को प्रतिबन्धित करने के अलावा, इस अधिनियम में

अन्य प्रकार की सभी राज्य लाटरियों के संचालन को विनियमित करने का प्रावधान है । इस अधिनियम के अंतर्गत, राज्य सरकारों को उनके राज्यों के भीतर अन्य राज्यों की लाटरियों को आयोजित करने, संचालित करने अथवा अन्य किसी राज्य द्वारा लाटरी के टिकटों की बिक्री को प्रतिबन्धित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं । मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में, लाटरियों पर प्रतिबंध के विषय पर विचार-विमर्श हुआ था । मुख्यमंत्रियों ने सभी प्रकार की लाटरियों पर व्यापक प्रतिबन्ध लगाने का समर्थन किया । सम्मेलन में इस विषय पर हुए विचार-विमर्श के आधार पर प्रधानमंत्री ने उन्हें आशसन दिया कि सरकार इस बारे में कानून बनाने पर विचार करेगी । तदनुसार, कार्रवाई की जा रही है ।

11.9 यह उल्लेख किया जाता है कि विभाग-संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय समिति, जिसने लाटरी (विनियमन) विधेयक, 1998 पर विचार किया था, ने इस पक्ष में भारी मत को देखते हुए लाटरियों पर सम्पूर्ण प्रतिबंध लगाने का विचार व्यक्त किया था । इसी प्रकार 27 नवम्बर, 1998 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अधिकांश मंत्रियों ने सभी प्रकार की लाटरियों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने का पक्ष लिया था । मामले पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

जेल

11.10 भारत के संविधान के अनुसार ''जेल'' राज्य का विषय है । इस प्रकार जेलों का प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । तथापि, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को वित्त आयोग के निर्णयों के द्वारा तथा जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण नामक केन्द्रीय योजना के तहत उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है ताकि वे जेलों का आधारभूत ढांचा मजबूत कर सकें । वर्ष 1998-99 के दौरान इस योजना के तहत 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है ।

11.11 केन्द्र सरकार समय-समय पर जेलों और कैदियों की स्थिति सुधारने की दृष्टि से जेल प्रबंधन और सुधारात्मक प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकारों को भी लिखती रहती है । राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जेल प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर उनकी सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और सुधारात्मक प्रशासन क्षेत्रीय संस्थान, वैलोर तथा सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चण्डीगढ़ से सम्पर्क बनाए रखें ।

राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण

11.12 पुलिस को, आस-पास हो रहे सभी प्रकार के परिवर्तनों को ध्यान में रखना पड़ता है । अन्य किसी संस्थान की तरह ही, पुलिस को भी सतत् आधार पर अपनी दक्षता का उन्नयन और आधार भूत संरचना का आधुनिकीकरण करना होता है । राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने हेतु गृह मंत्रालय 1969-70 से

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की एक योजना को क्रियान्वित करता आ रहा है । इस योजना के तहत वाहनों, हल्के हथियारों, जांच-पड़ताल के उपकरणों की खरीद और विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के विकास और विस्तार के लिए सहायता दी जाती है । इस योजना के लिए वर्ष 1998-99 में आवंटित राशि 50 करोड़ रु. है । इस योजना के अंतर्गत सहायता का स्वरूप 50 प्रतिशत ऋण तथा 50 प्रतिशत सहायता अनुदान होगा ।

राज्य विधायन

11.13 भारतीय संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि राज्य सरकारों के निम्नलिखित श्रेणियों के विधायी प्रस्ताव लागू करने से पूर्व केन्द्र सरकार से अनुमोदित होने चाहिए अथवा राष्ट्रपति से स्वीकृत होने चाहिए :-

(i) संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन विधेयक,

(ii) अनुच्छेद 213 के खण्ड-1 के परन्तुक के अधीन अध्यादेश;

(iii) संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के परन्तुक के अधीन पूर्व स्वीकृति हेतु विधेयक, और

(iv) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विनियमन (संविधान की पांचवीं अनुसूची)

11.14 इसके अलावा, विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने से पहले राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार के प्रशासनिक अनुमोदन के लिए भेजे जाते हैं । हालांकि, यह संवैधानिक जरूरत नहीं है, लेकिन इससे राज्य विधानमंडल को इस बात के अलावा कि इन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने में समय नष्ट न हो, केन्द्रीय सरकार की नीति को ध्यान में रखने में भी मदद मिलती है ।

11.15 अप्रैल, 1998 फरवरी, 1999 के दौरान भारत सरकार को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 62 विधायी प्रस्ताव प्राप्त हुए ।

11.16 अप्रैल, 1998 - फरवरी, 1999 तक की अवधि के दौरान निपटाए/अंतिम रूप दिए गए प्रस्तावों की संख्या नीचे दी गई है :--

क्रमांक	विवरण	विधेयकों की संख्या
1.	सहमति हेतु विधेयक	47
2.	पूर्व स्वीकृति हेतु विधेयक	04
3.	प्रशासनिक अनुमोदन हेतु विधेयक	30
4.	अध्यादेश	13
	कुल	94

राष्ट्रपति को दया याचिकाएं

11.17 अप्रैल, 1998 - फरवरी, 1999 तक की अवधि के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अधीन मृत्युदण्ड को बदलने हेतु गृह मंत्रालय में 9 दया याचिकाएं प्राप्त हुई और उन्हें निपटाया गया ।

11.18 मंत्रालय में विभिन्न केन्द्रीय कानूनों के अधीन कैदियों को सजा में छूट/क्षमादान दिए जाने से संबंधित पांच मामलों पर विचार किया गया । राष्ट्रपति द्वारा भारतीय जेलों में कैद एक आस्ट्रियन राष्ट्रिक और एक डच राष्ट्रिक के मामले में सजा में सहर्ष छूट प्रदान की गई ।

भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता

11.19 अपराधों के प्रोफाइल में समसामयिक परिवर्तनों और देश में वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिदृष्य को देखते हुए, सरकार ने भारत के विधायी आयोग को भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता का व्यापक पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया है । तदनुसार, विधायी आयोग ने इन संहिताओं का व्यापक पुनरीक्षण पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है । चूंकि दण्ड प्रक्रिया और दण्डिक विधि संविधान की समवर्ती सूची में आती है और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाती है इसलिए विधायी आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचार मांगे गए हैं ।

11.20 बलात्कार के लिए दी जाने वाली सजाओं में से एक दण्ड के रूप में मृत्यु की सजा दिए जाने के उद्देश्य से भारतीय दण्ड संहिता के संशोधन पर भी राज्य सरकारों से अलग से विचार मांगे गए हैं ।

अध्याय-12

नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड्स और अग्निशमन सेवा

नागरिक सुरक्षा

12.1 नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य दुश्मन के हमले के समय जीवन की रक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि सम्पत्ति का नुकसान कम से कम हो और औद्योगिक उत्पादन अनवरत बना रहे ।

12.2 1962 में आपातकाल की घोषणा तक भारत सरकार की नागरिक सुरक्षा नीति, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को नागरिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के प्रति जागरूक करने और उन्हें तत्कालीन राहत व्यवस्था (ई आर ओ) योजना के अन्तर्गत प्रमुख शहरों और कस्बों के लिए नागरिक सुरक्षा दस्तावेजी योजना तैयार करने के लिए कहने तक सीमित थी । 1962 में चीनी आक्रमण और 1965 में भारत-पाक संघर्ष के कारण नागरिक सुरक्षा नीति और इसके कार्यक्षेत्र के बारे में पर्याप्त चिंतन हुआ । इसके परिणामस्वरूप मौजूदा नाहिक सुरक्षा नीति तैयार हुई और 1968 में नागरिक सुरक्षा विधायन संसद द्वारा अधिनियमित किया गया ।

12.3 नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 हालांकि पूरे देश में लागू होता है लेकिन यह संगठन केवल उन्हीं क्षेत्रों और जोनो में खड़ा किया जाता है जो दुश्मन द्वारा हमले की दृष्टि से सामरिक रूप से संवेदनशील माने जाते हैं । इस समय नागरिक सुरक्षा गतिविधियां 32 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में फैले 162 वर्गीकृत शहरों तक सीमित हैं ।

12.4 थोड़े से वेतन भोगी स्टाफ और स्थापना, जिसे कि आपातकाल के दौरान बढ़ा दिया जाता है, को छोड़कर नागरिक सुरक्षा मुख्यत: स्वैच्छिक आधार पर संगठित की जाती है । नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का वर्तमान लक्ष्य 9.14 लाख का है, जिसमें से 4.88 लाख पहले ही तैयार किए जा चुके हैं और 4.53 लाख को प्रशिक्षित कर दिया गया है । इन स्वयंसेवकों को 68 उप नियंत्रकों, 17 चिकित्सा अधिकारियों और 503 सी डी प्रशिक्षकों, जो पूर्णकालिक वैतनिक पद हैं, के द्वारा प्रशासित और प्रशिक्षित किया जाता है ।

12.5 दुश्मन का हमला होने पर द्रुतगामी चेतावनी संचार व्यवस्था की जरूरत को पूरा करने के लिए

टेलीफोन लाइनों और रेडियो/बेतार, दोनों पर, एक विश्वसनीय और लचीला नेटवर्क तैयार करने की योजना बनाई गई है और वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा नगरों में इसे स्थापित किया गया है । कमान और नियंत्रण, समन्वय और सम्पर्क आपसी सहायता और सहयोग के उद्देश्य से भी अधिकांश वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा शहरों में संचार सुविधाएं, टेलीफोन लाइनों व रेडियों पर भी नियोजित एवं स्थापित की गई हैं ।

12.6 शांति काल में नागरिक सुरक्षा उपायों का प्रशिक्षण देने और प्रदर्शन आयोजित करने के अलावा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को विभिन्न संरचनात्मक क्रियाकलापों में स्वैच्छिक आधार पर तैनात किया जाता है जिसमें प्रशासन की सहायता, बाढ़, भूकंप, चक्रवात और सूखा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान दी जाने वाली राहत और बचाव कार्य में मदद करना भी शामिल है ।

12.7 देश में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण, त्रिस्तरीय अवधारणा पर अर्थात् स्थानीय/शहरी स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है । राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर, जो इस मंत्रालय का अधीनस्थ प्रशिक्षण संस्थान है, नागरिक सुरक्षा और आपदा राहत प्रबंधन पर विभिन्न पाठ्यक्रम आयोजित करता है । वर्ष 1998 में कालेज में 23 पाठ्यक्रम चलाने की योजना थी, जिनमें से 30 जून, 1998 तक 10 पाठ्यक्रम चलाए गए जिनमें 513 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया । 1957 में इस महाविद्यालय के प्रारम्भ होने से लेकर जून, 1998 तक यहां 30,334 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं जिनमें से 8 विदेशी छात्र हैं ।

12.8 नागरिक सुरक्षा कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता केवल वर्गीकृत शहरों तक ही सीमित है । वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान राज्यों को 5.50 करोड़ रु. दिए गए थे । वित्त वर्ष 1998-99 के लिए 5.50 करोड़ रु. के आबंटित बजट का पूरी तरह उपयोग कर लिया जाएगा ।

होमगार्ड्स

12.9 होमगार्ड्स एक स्वैच्छिक संगठन है जिसकी स्थापना सामाजिक अव्यवस्था और साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता करने के लिए भारत में पहले-पहल दिसम्बर, 1946 में की गई थी । बाद में स्वैच्छिक नागरिक बल की अवधारणा को अनेक राज्यों ने अपना लिया । 1962 में चीनी हमले के कारण केन्द्र ने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी कि वे अपने मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों को होमगार्ड्स नामक एक समान स्वैच्छिक बल में मिला दें । होमगार्ड्स का कार्य, आन्तरिक सुरक्षा में पुलिस के सहायक बल के रूप में मदद करना, किसी भी प्रकार की संकटावस्था जैसे-हवाई हमला, आग, चक्रवात, भूकम्प, महामारी आदि में समाज की सेवा करना, आवश्यक सेवाएं बनाए रखने में मदद करना, साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना और कमजोर वर्गों की संरक्षा में प्रशासन की मदद करना, सामाजिक-आर्थिक एवं

कल्याणकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना और नागरिक सुरक्षा की ड्यूटी निभाना है । देश में होमगार्ड्स की प्राधिकृत संख्या 5,73,793 है और इसकी तुलना में 3,99,785 होमगार्ड्स कार्यरत हैं । अरूणाचल प्रदेश और केरल को छोड़कर यह संगठन सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में फैला हुआ है ।

12.10 होमगार्ड्स का गठन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के होमगार्ड्स अधिनियमों एवं नियमों के अधीन किया जाता है । 18-50 के आयु वर्ग वाले भारत के सभी नागरिक, होमगार्ड्स के सदस्य बनने के पात्र होते हैं । होमगार्ड्स में सदस्यता का सामान्य कार्यकाल 3 से 5 वर्ष तक होता है । होमगार्डों को दी जाने वाली सुविधाओं और सुख-साधनों में शामिल है-निशुल्क वर्दी और धुलाई भत्ता, प्रशिक्षण के दौरान मुफ्त आवास और खाना, वीरता और विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए नकद पुरस्कार और पदक । जब भी होमगार्ड्स को ड्यूटी/प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें जेब खर्च के लिए निधारित दरों पर ड्यूटी/प्रशिक्षण भत्ता अदा किया जाता है ।

12.11 गृह मंत्रालय, होमगार्डों की भूमिका, लक्ष्य, गठन, प्रशिक्षण, उपस्कर, संस्थापना और अन्य महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में नीति तैयार करता है । होमगार्डों पर होने वाला व्यय आमतौर पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बांट लिया जाता है । वर्ष 1996-97 के दौरान, होमगार्डों की भर्ती और प्रशिक्षण तथा लोक सभा/विधान सभा चुनावों सहित विभिन्न उद्देश्यों हेतु उनकी तैनाती पर राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए राज्यों में 28 करोड़ रुपए वितरित किए गए । वित्त वर्ष 1997-98 के लिए आबंटित 28 करोड़ के बजट का पूरा उपयोग कर लिया गया था । चालू वित्त वर्ष 1998-99 के लिए आबंटित 28 करोड़ रु. को पूर्ण रूप से उपयोग में लाया जाएगा ।

अग्निशमन सेवाएँ

12.12 अग्नि रोकथाम और अग्नि शमन सेवाएं राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा आयोजित की जाती हैं । गृह मंत्रालय अग्नि से बचाव, रोकथाम और अग्नि शमन विधायन के बारे में राज्यों/संघ शाति क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों को तकनीकी सलाह प्रदान करता है ।

12.13 राज्यों में अग्नि शमन सेवाओं के उन्नयन की दृष्टि से अग्नि शमन उपकरणों की खरीद और दमकल भवनों के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग) के माध्यम से जी.आई.सी. ऋण की व्यवस्था करता है । राज्यों में अग्नि शमन सेवाओं के विकास के लिए गृह मंत्रालय ने 1980-81 से आज तक की अवधि के दौरान कुल 253.30 करोड़ रु. के जी आई सी ऋण की व्यवस्था की । 1995 से 2000 तक की अवधि के लिए राज्यों में अग्नि शमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए दसवें वित्त आयोग ने भी 80 करोड़ रु. आबंटित किए थे ।

12.14 कनिष्ठ स्तर से अग्नि शमन कार्मिकों को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा राज्य अग्नि शमन प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षित किया जाता है । इस समय विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस प्रकार के 14 राज्य अग्नि शमन प्रशिक्षण स्कूल चल रहे हैं । अग्नि शमन सेवाओं के अधिकारियों को राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा कालेज में प्रशिक्षण दिया जाता है जिसकी स्थापना 1956 में इस मंत्रालय के अधीनस्थ प्रशिक्षण संस्थान के रूप में नागपुर में की गयी थी । चालू कलेण्डर वर्ष के दौरान सितम्बर, 1998 तक 6 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं । यह कालेज बी.ई. (फायर) प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम जो हमेशा चलने वाले पाठ्यक्रम हैं, के अलावा 213 प्रशिक्षार्थी अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है । 1956 में इसकी स्थापना से लेकर अब तक यह कालेज 11,513 अग्नि शमन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित कर चुका है जिनमें 12 देशों के 71 विदेशी प्रशिक्षार्थी सम्मिलित हैं ।

अध्याय-13

राष्ट्रीय एकता

13.1 विभिन्नता में एकता देश की बहुत बड़ी ताकत है । यह वह सुदृढ़ आधार है जिस पर अनेक जातियों, अनेक धर्मों और अनेक संस्कृतियों वाला हमारा यह राष्ट्र गौरव के साथ खड़ा है । गृह मंत्रालय में एक पृथक प्रभाग, राष्टीय एकता के संरक्षण और संवर्धन का कार्य देखता है । इन उद्देश्यों के अनुसरण में, यह प्रभाग राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द के बारे में बहु-आयामी कार्य करता है जिसमें नीति योजना, प्रशासन, कानूनी और प्रोत्साहन प्रयास सम्मिलित हैं । यह प्रभाग महत्वपूर्ण सूचना का पहले से ही आदान-प्रदान करके, सतर्कता सन्देश भेजकर, साम्प्रदायिक समस्याओं आदि से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करके शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाएं रखने के लिए लगातार राजय सरकारों के साथ सम्पर्क में रहता है । इस प्रभाग द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों में सम्मिलित है :- राष्ट्रीय एकता परिषद और इसकी समितियों से संबंधित मामले, जिनमें समय-समय पर खड़ी होने वाली विभिन्न साम्प्रदायिक समस्याओं को विचार-विमर्श करने और किसी सर्व सम्मत निर्णय पर पहुंचने के लिए उठाया जाता है । सद्भाव संवर्धन संबंधी पहलुओं में सम्मिलित है :-- ''संकल्प दिवस'' और ''कौमी एकता दिवस'' मनाना, राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देना, राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा की गई सेवाओं की मान्यता में पुरस्कार अर्थात् साम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार और कबीर पुरस्कार प्रदान करना ।

साम्प्रदायिक स्थिति

13.2 हिन्दुओं और मुस्लमानों के बीच साम्प्रदायिक दंगों की घटनाओं में प्रत्यक्ष कमी आई है । तथापि, कुछ राज्यों से ईसाईयों और उनके संस्थानों पर हमले की कुछ घटनाएं की गई है । सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा के कृत्यों, चाहे वे कहीं भी और किसी भी रूप में क्यों न हो, से सख्ती से निपटने और साम्प्रदायिक हिंसा करने वालों को उदाहरणीय दण्ड देने के लिए दृढ़संकल्प है ।

संकल्प दिवस और कौमी एकता सप्ताह

13.3 सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को 31 अक्तूबर, 1998 को ''संकल्प दिवस'' और 19 नवम्बर से 25 नवम्बर, 1998 तक ''कौमी एकता सप्ताह'' मानने के निर्देश जारी किए गए थे ।

कबीर पुरस्कार

13.4 1990 के दौरान स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार ''कबीर पुरस्कार'' के लिए पात्रता की परिधि 1998 में बढ़ाई गई थी ताकि साम्प्रदायिक दंगों के दौरान साहस और मानवीयता के कार्यों के अलावा जातीय झगड़ों के मामलों में प्रदिर्शित किए गए साहस और मानवीयता के कार्यों को शामिल किया जा सके । 3 नवम्बर, 1998 को गृह मंत्री द्वारा श्रीमती सनतना देब वर्मा को कबीर पुरस्कार ग्रेड-III से सम्मानित किया गया था ।

साम्प्रदायिक सद्भावना के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन

13.5 राष्ट्रीय एकता प्रभाग के अन्तर्गत साम्प्रदायिक सद्भावना प्रकोष्ठ, साम्प्रदायिकता की गहरी पैठ वाली समस्या से निपटने के लिए साम्प्रदायिक सद्भावना से संबंधित उपाय सुझाने हेतु बहु आयामी उपाय निकालने की दिशा में कार्य करता है । साम्प्रदायिक सद्भावना के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन की शासी परिषद् की बैठक 4 सितम्बर, 1998 को गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई । फाउंडेशन उन परिवारों के बच्चों को सहायता देता है जिनके जीविकोपार्जन करने वाले माता-पिता की जान साम्प्रदायिक दंगों में चली गयी । अभी तक इस फाउन्डेशन ने 1198 बच्चों की सहायता की है ।

साम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार

13.6 साम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार - एक पुरस्कार उस व्यक्ति के लिए जिसने साम्प्रदायिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में कम से कम पिछले 10 वर्षों तक उल्लेखनीय योगदान किया हो तथा दूसरा पुरस्कार उस संगठन के लिए जिसने इसी क्षेत्र में 5 वर्षों तक उल्लेखनीय कार्य किया हो, की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1997 में की गई थी । पुरस्कार का निर्णय जूरी द्वारा किया जाता है जिसकी अध्यक्षता भारत के उप राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें व्यक्ति विशेष के लिए एक प्रशस्ति पत्र और एक लाख रु. की राशि दी जाती है और संगठन के लिए 2 लाख रु. की राशि दी जाती है । 1997 के लिए ये पुरस्कार 3 नवम्बर, 1998 को दिए गए । व्यक्ति विशेष श्रेणी का यह पुरस्कार समाज और धर्मनिरपेक्षता अध्ययन केन्द्र, मुम्बई के अध्यक्ष श्री असगर अली इंजीनियर को और संगठन श्रेणी का पुरस्कार कौमी एकता ट्रस्ट, नई दिल्ली को प्रदान किया गया । दिल्ली में रहने वाले इस्लामी विद्वान मौलाना वाहिद-उद-दीन खान को वर्ष 1998 के लिए नामित किया गया है ।

सहायतानुदान

13.7 स्वयं सेवी संगठनों को राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भावना के निमित्त कार्य जैसे राष्ट्रीय दिवसों और त्योहारों जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबन्ध और चित्रकला प्रतियोगिताएं, अन्तक्षेत्रीय शिविर, एक दूसरे के क्षेत्रों के दौरे, जन सभाएं, प्रदर्शनियां इत्यादि आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । वर्ष 1998-99 के दौरान 3.16 लाख रु. की राशि के 13 गैर सरकारी संगठनों और 1 विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर कार्य किया गया ।

अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ

13.8 देश में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कानून और व्यवस्था और सुरक्षा पहलुओं से संबंधित समस्याओं और शिकायतों की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय एकता प्रभाग में 21 नवम्बर, 1996 से एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाया गया है । यह प्रकोष्ठ अल्पसंख्यक समुदायों से प्राप्त अभ्यावेदनों/शिकायतों की जांच करता है और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करता है ।

अध्याय-14

शरणार्थियों का पुनर्वास

14.1 गृह मंत्रालय का पुनर्वास प्रभाग, अन्य देशों से विस्थापित भारतीय मूल के लोगों को राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास हेतु नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं तैयार करता है । राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से पुनर्वास प्रभाग द्वारा राहत और पुनर्वास की अनेकों योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है ।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

14.2. शेष बची कुछ योजनाओं, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में अनधिवासी कालोनियों को नियमित करने संबंधी योजनाओं को छोड़कर, पुराने प्रवासियों (पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित वे व्यक्ति जो 1 अप्रैल, 1958 से पहले भारत में आ गए थे) के पुनर्वास का काम कुल मिला कर पूरा हो चुका है । इसमें प्राईवेट/केन्द्र सरकार की भूमि का अधिग्रहण/हस्तांतरण शामिल है ।

14.3 इस समय, 607 अनुमोदित अनधिवासी कालोनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है । 67.459 एकड़ भूमि को छोड़कर, केन्द्र सरकार की 730.567 एकड़ भूमि राज्य सरकार को अन्तरित कर दी गई है । इसी प्रकार, 14.110 एकड़ भूमि को छोड़ कर 2334.418 एकड़ प्राईवेट भूमि का अधिग्रहण कर राज्य सरकार को अंतरण कर दिया गया है । इस तरह, सरकारी भूमि के अंतरण और प्राईवेट भूमि के अधिग्रहण का क्रमश: 91.55 प्रतिशत और 99.40 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है । चालू वित्त वर्ष, अर्थात् 1998-99 के दौरान इस प्रयोजनार्थ 1.66 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है ।

म्यांमार से आए प्रत्यावासी

14.4 म्यांमार की सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण 31 नवम्बर, 1998 तक भारतीय मूल के 2,10,329 व्यक्ति (लगभग 70,189 परिवार) भारत लौटे । इनमें से, अब तक 70,068 परिवारों को पुनर्वास सहायता प्रदान की जा चुकी है ।

श्रीलंका से आए प्रत्यावासी

14.5 1964, 1974 और 1986 के भारत-श्रीलंका समझौतों के तहत भारत सरकार, श्रीलंका में भारतीय मूल के 5.06 लाख लोगों को उनकी संख्या में होने वाली स्वाभाविक वृद्धि सहित, भारतीय नागरिकता प्रदान करने तथा उनके प्रत्यार्पण के लिए सहमत थी । इनमें से अगस्त, 1998 तक 1.26 लाख की स्वाभाविक वृद्धि सहित 1,16,114 परिवारों ने, 3.35 लाख का प्रत्यावर्तन किया गया । इन सभी प्रत्यावर्तित परिवारों को पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई गई है । वहां पर व्याप्त अशांत स्थिति के कारण 1984 के बाद से किसी प्रकार का सामूहिक प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है । तथापि, भारत में स्वयं आने वाले प्रत्यावासियों का पुनर्वास विभिन्न योजनाओं के अधीन तमिलनाडु में किया जा रहा है ।

14.6 श्रीलंका से प्रत्यावर्तित होकर आए और अक्तूबर, 1998 तक बसाए गए परिवारों की संख्या के संक्षिप्त ब्यौरे निम्नप्रकार हैं :--

1.	वृक्षारोपण योजनाएं	2,852
2.	कृषि योजनाएं	3,275
3.	अन्य औद्योगिक योजनाएं	8,860
4.	व्यवसायिक ऋण	77,443
5.	अन्य योजनाएं :	
	(क) स्व: रोजगार योजना	526
	(ख) अन्य राज्यों में बसे	4,851
6.	अन्य अनुपूरक सहायता :	
	(क) रोजगार	10,962
	(ख) आवासीय ऋण	57,461

श्रीलंका के शरणार्थी

14.7 श्रीलंका में जारी विक्षुब्ध परिस्थितियों के कारण, चालू वर्ष के दौरान श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों का आना जारी रहा । शरणार्थियों के आने का तीसरा चरण 1996 में शुरू हुआ था । तबसे, 30 नवम्बर, 1998 तक 14,980 शरणार्थी आ चुके हैं । 1995 के बाद से किसी प्रकार का सामूहिक प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है । 30 नवम्बर, 1998 की स्थिति अनुसार, तमिलनाडु के 131 शिविरों में और उड़ीसा के एक शिविर में करीब 63,200 श्रीलंकाई शरणार्थियों को ठहराया गया है । कुछ शरणार्थी शिविरों के बाहर भी रह रहे हैं । तमिलनाडु सरकार द्वारा उनकी ठीक-ठीक संख्या का पता लगाया जा रहा है ।

तिब्बती शरणार्थी

14.8 उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत में इस समय लगभग 93.100 तिब्बती शरणार्थी हैं । इनमें से, 68,638 शरणार्थियों को स्वरोजगार और कृषि संबंधी और हस्तशिल्प योजनाओं के अधीन पुन: बसाया जा चुका है । शेष तिब्बती शरणार्थियों को बसाने की योजनाएं विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं तिब्बती शरणार्थियों को बसाने की योजनाएं विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं तिब्बती-शरणार्थियों का पुनर्वास भारत सरकार की योजनाओं और भारत में तिब्बत प्रशासन के अधीन राहत एजेन्सियों के माध्यम से किया जा रहा है ।

पुनर्वास वृक्षारोपण लिमिटिड (आर.पी.एल.) पुनालूर, केरल और प्रत्यावासी सहकारी वित्त तथा विकास (आर.ई.पी.सी.ओ.) बैंक, चेन्नई

14.9 श्रीलंका से आए प्रत्यावासियों के पुनर्वास में मदद करने हेतु गठित सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों, नामत: आर.पी.एल. और आर.ई.पी.सी.ओ. ने चालू वर्ष के दौरान अच्छा कार्य किया और क्रमश: 20 प्रतिशत और 15 प्रतिशत अधिकतम स्वीकार्य लाभांष की घोषणा की है । भारत सरकार द्वारा आर.पी.एल. और आर.ई.पी.सी.ओ. से वर्ष के लिए प्राप्त लाभांश की राशि क्रमश: 26.68 लाख और 29.40 लाख रुपये है ।

बन्दोबस्त विंग

14.10 बन्दोबस्त विंग, पुनर्वास प्रभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करता है जो विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकार एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित अवशिष्ट मामलों को देखता है । यह विंग भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों और उनकी विधवाओं को अनुग्रह पेंशन एवं परिवार पेंशन प्राधिकृत करने के लिए जिम्मेदार है ।

14.11 बन्दोबस्त विंग भंग कर दी गई दण्डकारण्य (डी.एन.के.) परियोजना के शेष कार्य को भी देख रहा है । सेवा संबंधी विविध मामलों के अलावा, यह विंग इस समय 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके व्यक्तियों की पेंशन और भूतपूर्व डी.एन.के. परियोजना के पूर्व अध्यापकों के वेतन संशोधन से संबंधित उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रियान्वयन के मामलों को देख रहा है ।

14.12 वर्ष के दौरान पुनर्वास प्रभाग द्वारा निपटाए गए मामलों की आंकड़ेवार सूचना निम्न प्रकार है:--

		निपटाए गए मामलों की संख्या
1.	दावों और मुआवजों के संबंध में दावेदारों के अभ्यावेदन/आवेदन	789
2.	राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण मांगते हुए पत्र	182
3.	विस्थापित व्यक्तियों और उनकी विधवाओं को अनुग्रह पेंशन और पारिवारिक पेंशन मंजूर करना	13
4.	1986 से पूर्व सेवा-निवृत्त (बन्दोबस्त विंग के पूर्व कर्मचारियों) हुए कर्मचारियों के संबंध में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन	468
5.	1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों (भंग डी.एन.के. परियोजना के पूर्व कर्मचारियों के संबंध में पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधन ।	753
6.	डी.एन.के. परियोजना के करीब 500, भूतपूर्व अध्यापकों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैंसले का कार्यान्वयन ।	189

अध्याय-15

स्वतन्त्रता सेनानी

15.1 सरकार द्वारा ''पूर्व अण्डमान राजनैतिक कैदी पेंशन योजना'' नामक एक योजना, 1969 में शुरू की गई थी । स्वतन्त्रता की 25 वीं वर्षगांठ मानने के लिए स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने के लिए एक नियमित योजना वर्ष 1972 में शुरू की गई थी । इस योजना को उदार बनाया गया और वर्ष 1980 में इसका नाम बदल कर ''स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना'' रखा गया । इस योजना के अधीन स्वतन्त्रता सेनानियों को देय पेंशन, जो शुरू में 200/- रु. थी, को समय-समय पर बढ़ाया गया है और 2 अक्तूबर, 1994 को इसे 1500/- रु. प्रतिमाह निर्धारित किया गया स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर, पेंशन की राशि दोगुना कर दी गई । इसके अलावा, स्वतन्त्रता सेनानियों के नि:स्वार्थ बलिदान को देखते हुए विशेष राहत स्वरूप पेंशन को मूल्य वृद्धि से जोड़ने का निर्णय लिया गया । तद्नुसार, पेंशन भोगियों को 01 अगस्त, 1998 से 7% की दर से मंहगाई राहत प्रदान की गई है । इस समय, स्वतन्त्रता सेनानियों की विभिन्न श्रेणियों और उनके पात्र आश्रितों को देय पेंशन और महंगाई राहत निम्नप्रकार है :-

क्रम संख्या	श्रेणी	15 अगस्त 1997 से प्रभावी पेंशन की दर (प्रतिमाह)	1 अगस्त 1998 से प्रभावी मंहगाई राहत की दर (प्रतिमाह)
1	(क) पूर्व अण्डमान राजनैतिक कैदी	4,000/-रु.	280/- रु.
	(ख) स्वतन्त्रता सेनानी (वे जिन्होंने ब्रिटिश इण्डिया के बाहर यातना भोगी)	3,500/-	245/- रु.
2.	अन्य स्वतन्त्रता सेनानी	3,000/-रु.	210/- रु.
3.	उपर्युक्त श्रेणी के स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा/विधुर	3,000/- रु.	210/- रु.
4.	अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियां		
	(क) ज्येष्ठ पुत्री	600/- रु.	42/- रु.
	(ख) अन्य दो पुत्रियां	350/- रु.	25/- रु.
5.	माता और पिता	1000/- रु.	70/- रु. प्रत्येक

स्वतंत्रता सेनानियों को सुविधाएं

15.2 पेंशन और मंहगाई राहत के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं :--

(क) उन्हें अथवा एक परिचर समेत उनकी विधवाओं के लिए आजीवन नि:शुल्क रेलवे पास (ए.सी. स्लीपर/प्रथम श्रेणी)

(ख) केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं । स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को सी.जी.एच.एस. की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं ।

(ग) टेलीफोन स्थापना प्रभार के बिना और किराए की आधी राशि के भुगतान पर टेलीफोन की सुविधा ।

(घ) पूर्व अण्डमान राजनैतिक कैदियों और उनकी विधवाओं को एक परिचर समेत वर्ष में एक बार पोर्ट ब्लेयर जाने हेतु नि:शुल्क हवाई यात्रा का टिकट ।

(ङ) पूर्व अण्डमान राजनैतिक कैदियों को उनके एक परिचर समेत शताब्दी और राजधानी एक्सप्रैस ट्रेनों से यात्रा करने के लिए नि:शुल्क रेलवे पास ।

(च) गृह मंत्री के विवेकानुदान से स्वतन्त्रता सेनानियों की पुत्रियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता ।

(छ) नई दिल्ली में सरकारी आवास की सुविधा ।

(ज) जिन स्वतन्त्रता सेनानियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उन्हें बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली में बनाए गए स्वतन्त्रता सेनानी गृह में आवास ।

स्वतन्त्रता सेनानियों के कल्याण पर व्यय

15.3 वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान, पेंशन और नि:शुल्क रेलवे पासों की प्रतिपूर्ति पर 232 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, इस प्रयोजनार्थ 235 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है । इस योजना के शुरु होने से लेकर स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन और अन्य सुविधाओं पर केन्द्र सरकार द्वारा 2,500 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए हैं । इस योजना से अब तक करीब 1.64 लाख स्वतन्त्रता सेनानी और उनके पात्र आश्रित लाभान्वित हुए हैं ।

अध्याय-16

जनगणना

16.1 भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त देश की जनसंख्या की दशकीय जनगणना कराने और जनगणना आंकड़ों के संकलन तथा प्रसारण के प्रभारी हैं । यह कार्यालय राज्य सरकारों द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के कार्यान्वयन का समन्वय और समेकन करता है तथा जन्म और मृत्यु संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है ।

16.2 भारत में वर्ष 1971-72 से ही नियमित रूप से दशकीय जनगणना कराने की लम्बी परम्परा है जब प्रथम दशकीय जनगणना गैर सम्कालिक आधार पर की गई थी । भारत की पिछली दशकीय जनगणना फरवरी-मार्च, 1991 में हुई थी जिसका संदर्भकाल 1 मार्च, 1991 था । 1991 की जनगणना के आंकड़ों पर एक हजार से अधिक अखिल भारतीय, राज्य व जिला स्तरीय जनगणना प्रकाशन प्रकाशित किए गए हैं।

2001 की जनगणना के लिए योजना

16.3 2001 की जनगणना के लिए योजना बनाने का कार्य आरम्भ हो चुका है । राज्यों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों को 1991 की जनगणना के पश्चात् प्रशासनिक यूनिटों में हुए क्षेत्राधिकार संबंधी परिवर्तनों के विवरण

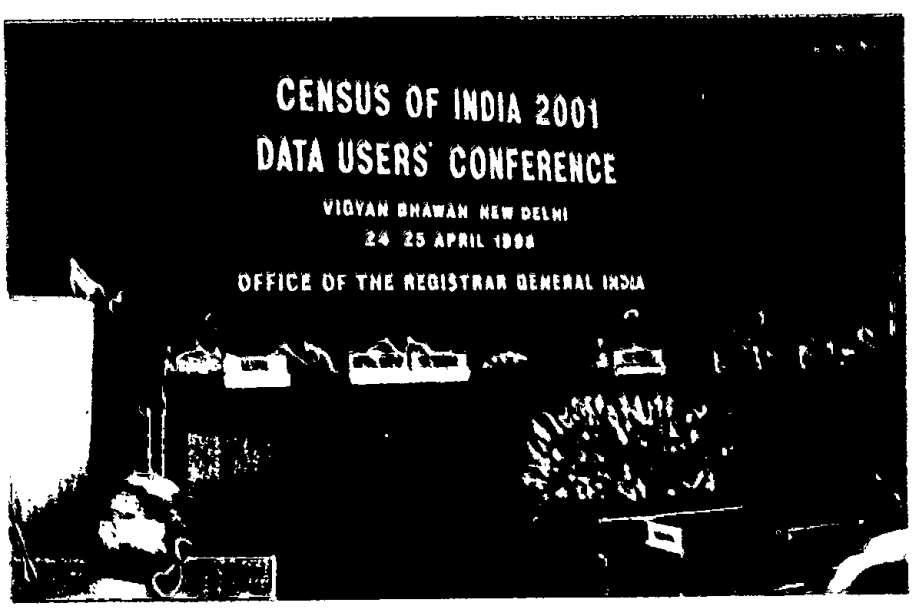

श्री एल. के. आडवाणी, केन्द्रीय गृह मंत्री, 24-25 अप्रैल, 1998 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित 2001 की भारत की जनगणना के आंकड़ा प्रयोगकर्ताओं के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए

एकत्र करने और जिलों/तहसीलों/तालुकों/पुलिस थानों, सी.डी. ब्लॉकों, ग्रामों और कस्बों की सूची तैयार करने के निदेश दिए गए हैं ।

16.4 तैयारियों के एक अंग के रूप में 24 तथा 25 अप्रैल, 1998 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में डाटा प्रयोक्ता सम्मेलन आयोजित किया गया । इस सम्मेलन में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों, सांख्यिकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, विख्यात जनसंख्याविद तथा सांख्यिकीविद उपस्थित थे । सम्मेलन में 2001 की जनगणना के लिए रणनीति पर विचार किया गया । घरों की सूची बनाते और जनगणना करते समय पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकारों पर डाटा प्रयोक्ताओं के विचार प्राप्त किए गए ।

सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली

16.5 एक केन्द्रीय कानून, जिसे जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के नाम से जाना जाता है, के पारित होते ही जन्म और मृत्यु की सूचना देना तथा उनका रजिस्ट्रीकरण कराना सम्पूर्ण देश में अनिवार्य बना दिया गया है । अपने-अपने राज्य में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं । पंजीकरण का कार्य हर राज्य में अलग-अलग तरह से होता है ।

16.6 भारत के महारजिस्ट्रार देश में सिविल रजिस्ट्रीकरण के कार्यकलापों का समन्वय करने और उन्हें एक समान बनाने के लिए केन्द्रीय प्राधिकारी हैं । विभिन्न उपायों के माध्यम से देश में रजिस्ट्रीकरण प्रणाली में सुधार लाने का भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय का प्रयास रहा है ।

16.7 जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण के महत्व के बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक पैमाने पर प्रचार उपायों का उपयोग किया गया है । प्रयुक्त विभिन्न प्रचार माध्यम थे-रेडियो, दूरदर्शन, डाक सामग्री, सिनेमा-स्लाईडें, पोस्टर और स्टिकर्स । विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में एक वृत्तचित्र बनाया गया है । दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार करने के लिए विभिन्न भाषाओं में दृश्य श्रव्य स्पॉट्स भी तैयार किए जा रहे हैं ।

16.8 भारत के महारजिस्ट्रार ने सितम्बर, 1998 में मुख्य रजिस्ट्रारों एवं सभी राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के सिविल रजिस्ट्रेशन के प्रभारी सचिवों की एक व्यापक संवीक्षा बैठक आयोजित की थी जिसमें प्रत्येक राज्य के कार्य निष्पादन की अलग-अलग संवीक्षा की गई और सुधार के लिए रणनीतियां बनाई गई ।

16.9 पंजीकरण के फार्मों एवं प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है ताकि पंजीकरण

को आसान बनाया जा सके और पंजीकरण केन्द्रों से राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर अभिलेखों का तेजी से पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके ।

16.10 प्रभारी एवं दक्ष समन्वय और मानिटरिंग सुनिश्चित करने और सूचनाओं के प्रवाह में सुधार लाने के लिए इस वर्ष ई-मेल और डाटा ट्रांसफर सर्विस के माध्यम से सभी मुख्य सचिवों के कार्यालयों को ई-मेल तथा डाटा अंतरण सेवा के जरिए एक नेटवर्क योजना से जोड़ने का कार्य इस वर्ष शुरू किया गया है ।

सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली

16.11 जन्म और मृत्यु का सैम्पल सर्वेक्षण जिसे आमतौर पर सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के नाम से जाना जाता है, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा सम्पूर्ण देश में नियमित रूप से किया जाता है । इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्युदरों के विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध कराना है । इससे एक करोड़ या अधिक की जनसंख्या वाले बड़े राज्यों और सम्पूर्ण देश के बारे में शिशु मृत्यु दरों सहित प्रजन्नता और मृत्युदर के अन्य अनुमान प्राप्त होते हैं । सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली विश्व का सबसे बड़ा जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है जिसके तहत 6671 के सैम्पल साईज के साथ 11 लाख घर और 60 लाख की सैम्पल जनसंख्या आती है ।

16.12 वर्ष के दौरान सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए या प्रकाशनाधीन हैं :--

1. सैम्पल रजिस्ट्रीकरण बुलेटिन, जनवरी, 1998
2. सैम्पल रजिस्ट्रीकरण बुलेटिन, अप्रैल, 1998
3. सैम्पल रजिस्ट्रीकरण बुलेटिन, अक्तूबर, 1998
4. सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट - 1995 (प्रकाशनाधीन)
5. सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली पर आधारित भारत में जन्म मृत्यु दर 1971 से 1996 तक ।
6. सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली पर आधारित संक्षिप्त लाइफ टेबल्स, 1990-94 और 1991-95 (प्रकाशनाधीन)

अध्याय-17

पुरस्कार और अलंकरण

भारत रत्न पुरस्कार

17.1 नागरिक सम्मान का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के लिए की गई विशिष्ट सेवा तथा उच्चकोटि की लोक सेवा के सम्मान स्वरूप दिया जाता है ।

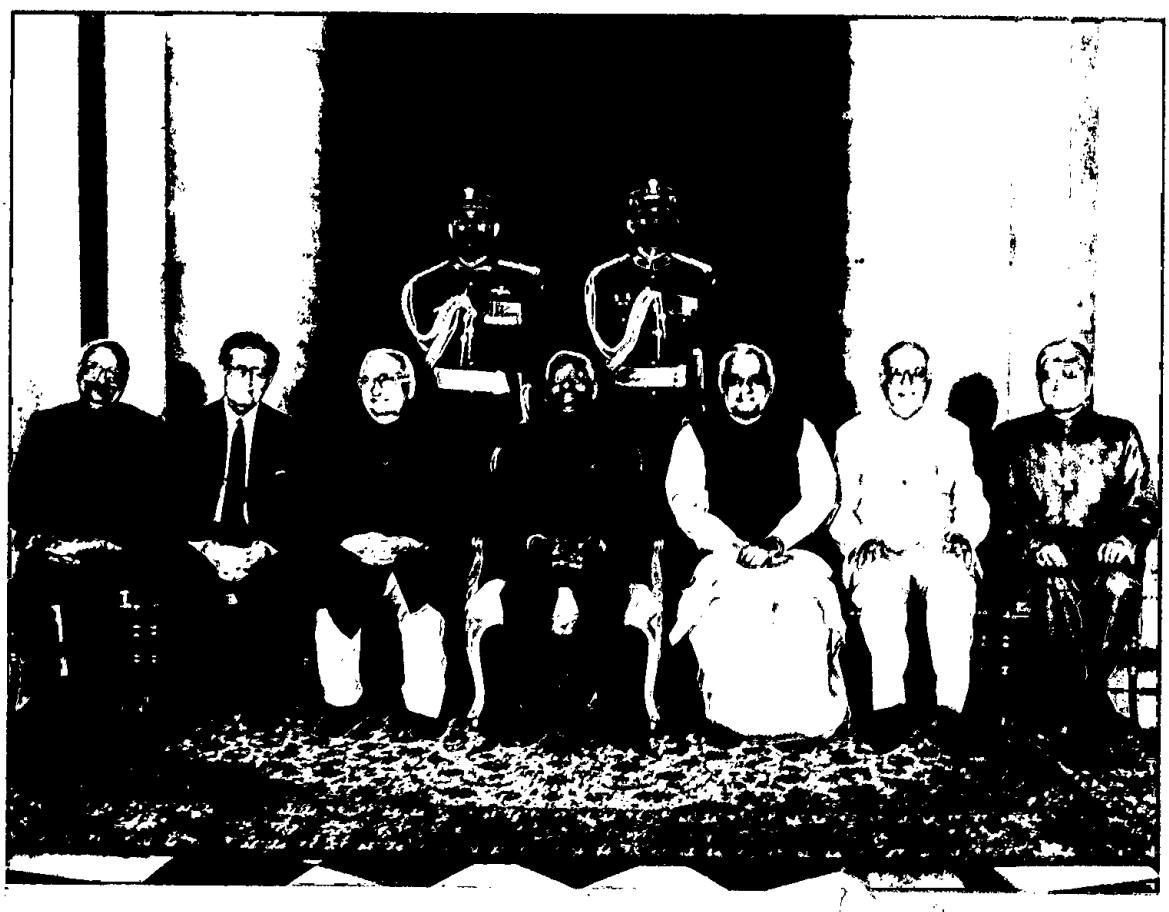

16 फरवरी, 1999 को भारत रत्न से सम्मानित होने के पश्चात प्रो. अमर्त्य सेन भारत के राष्ट्रपति के साथ

17.2 राष्ट्रपति ने, राष्ट्रपति भवन में दिनांक 12 अप्रैल, 1998 को हुए एक अलंकरण समारोह में श्री सी. सुब्रहमणियम को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया । राष्ट्रपति ने लोकनायक जय प्रकाश नारायण (मरणोपरांत), प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन, श्री रविशंकर और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई (मरणोपरांत) को 16 फरवरी, 1999 को राष्ट्रीपति भवन में आयोजित एक अलंकरण समारोह में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए ।

पद्म पुरस्कार

17.3 पद्म पुरस्कार अर्थात् पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, क्रमशः विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवा/ उच्चकोटि की विशिष्ट सेवा तथा सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा सहित, किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्टि सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं । पद्म पुरस्कार के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, उत्कृष्ट संस्थानों आदि से प्राप्त हुई सिफारिशों की घोषणा, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है ।

17.4 राष्ट्रपति भवन में 12 अप्रैल, 1998 को आयोजित एक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार इस अध्याय के परिशिष्ट में दिए गए विवरण के अनुसार 54 व्यक्तियों को प्रदान किए । इन पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस, 1998 की पूर्व संध्या पर की गई थी ।

17.5 पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस, 1999 की पूर्व संध्या पर 14 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 14 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 34 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार अनुमोदित किए ।

वीरता पुरस्कार

17.6 अशोक चक्र श्रृंखला के पुरस्कार सिविलियनों को भी दिए जाते हैं । सिविलयनों के संबंध में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सिफारिशें, रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रोसेस की जाती हैं और रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय सम्मान और पुरस्कार समिति को विचारार्थ भेजी जाती हैं । ये पुरस्कार अर्ध-वार्षिक हैं तथा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं ।

17.7 सरकार ने कीर्ति चक्र (मरणोपरान्त) के लिए एक सिविलियन तथा शौर्य चक्र (मरणोपरान्त) पुरस्कार हेतु चार सिविलियनों के नामों का अनुमोदन किया जिनकी घोषणा स्वतंत्रता दिवस, 1998 के अवसर पर की गई ।

17.8 शौर्य चक्र पुरस्कार (मरणोपरान्त) के लिए 2 सिविलियनों के नाम गणतंत्र दिवस, 1999 की पूर्व संध्या पर अनुमोदित किए गए ।

जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार

17.9 जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार; किसी व्यक्ति को डूबने से बचाने, आग से बचाने, खदानों में बचाव कार्यों आदि में, मानवीय प्रकृति के किसी कार्य या कार्यों में, रक्षक द्वारा अपने जीवन के प्रति गंभीर खतरे की परिस्थितियों में प्रदर्शित किए गए साहस एवं तत्परता या शारीरिक क्षति के लिए प्रदान किए जाते हैं । जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कारों के लिए सिफारिशें राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त की जाती हैं । वर्ष 1998-99 के लिए पुरस्कारों के लिए सिफारिशों का मूल्यांकन पुरस्कार समिति द्वारा किया गया है । पुरस्कारों की घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी ।

कबीर पुरस्कार

17.10 केन्द्र सरकार ने अप्रैल, 1990 में कबीर पुरस्कार की स्थापना एक समुदाय के सदस्यों द्वारा दूसरे समुदाय के सदस्यों की जान-माल की रक्षा करने में प्रदर्शित किए गए शारीरिक/नैतिक साहस एवं मानवीयता को मान्यता प्रदान करते हुए साम्प्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए की थी । ये पुरस्कार तीन श्रेणियों, नामत: श्रेणी-I, श्रेणी-II और श्रेणी-III में हैं ।

17.11 गृह मंत्री ने 03 नवम्बर, 1998 को कबीर पुरस्कार श्रेणी-III, श्रीमती शांतना देब वर्मा को प्रदान किया ।

साम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार

17.12 साम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार - एक पुरस्कार किसी व्यक्ति के लिए तथा दूसरा किसी ऐसे संगठन के लिए, जिसने साम्प्रदायिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो - राष्ट्रीय स्तर पर 1997 में स्थापित किया गया था ।

17.13 1997 के लिए ये पुरस्कार 03 नवम्बर, 1998 को सैन्टर फार स्टॅडी एण्ड सैकुलरिज्म, मुम्बई के अध्यक्ष श्री असगर अली, इंजीनियर को व्यक्ति श्रेणी में तथा संगठन की श्रेणी में कौमी एकता ट्रस्ट, नई दिल्ली को प्रदान किए गए ।

पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं के नाम

(12 अप्रैल, 1998 को आयोजित अलंकरण समारोह में)

क्रम सं.	नाम
	पद्म विभूषण
1.	डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी सहगल
2.	श्री नानी अर्देशिर पालखीवाला
3.	डॉ. (सुश्री) उषा एच. मेहता
4.	श्री वाल्टर सिसुलू
	पद्म भूषण
5.	डॉ. भीष्म साहनी
6.	प्रो. देबी प्रसाद चट्टोपाध्याय
7.	श्री जी. माधवन नायर
8.	कर्नल गुरबक्श सिंह ढिल्लन
9.	डॉ. गुरुकुमार भालचंद्र परूलकर
10.	श्री हरी कृष्ण दुआ
11.	डॉ. (सुश्री) हेमलता गुप्ता
12.	श्री के.एम. मात्यु
13.	डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी
14.	डॉ. मालीगइल रामकृष्णा गिरीनाथ
15.	डॉ. पनंगीपल्ली वेगूगोपाल
16.	डॉ. राजेन्द्र सिंह परोदा
17.	श्री सत्यपाल डाँग
18.	प्रो. शिवरामकृष्ण चन्द्रशेखर
19.	डॉ. उडुपि राजगोपालाचार अनंतमूर्ति
20.	प्रो. वैदीस्वरन् राजारामन्
21.	डा. वेम्पटि चिन्न सत्यम
22.	श्री विट्ठल महादेव तारकुण्डे
	पद्म श्री
23.	प्रो. आदित्य नारायण पुरोहित
24.	श्री अनिल काकोडकर
25.	आन्टणि कारडिनल पडियारा
26.	प्रो. ब्रजेन्द्रनाथ गोस्वामी
27.	श्री छेवांग फुंसाग

क्रम सं.	नाम
28.	श्रीमती दीपालि बरठाकुर
29.	प्रो. गुरदयाल सिंह
30.	सुश्री कांता त्यागी
31.	श्री कोंगब्राइलातपग इबोगचा शर्मा उर्फ अभिरामशाबा शर्मा
32.	श्री कृष्णराव गणपतराव साबले उर्फ शाहीर साबले
33.	श्री कुंज बिहारी मेहेर
34.	श्रीमती ललसाड ज्वाली साईलो
35.	सिस्टर लियोनार्दा आंजेला कासिराधि
36.	आनरेरी कैप्टन लीलाराम
37.	डा. मनमोहन अत्तावर
38.	श्री नारायण गंगाराम सुर्बे
39.	श्री नोशाद इस्माइल पदमसी
40.	श्री ओट्टाप्लावकल नीलकंठ वेलू कुरूप
41.	श्री पी.आई. मुहम्मद कुट्टी
42.	श्री परगट सिंह पवार
43.	श्री प्रधान शम्भू शरण
44.	प्रो. (श्रीमती) प्रियन्वदा महान्ति-हेजमाडी
45.	श्री रलते वानलोमा
46.	श्री रामेश कृष्णन
47.	प्रो. रणजीत रॉय चौधरी
48.	श्री शम्भु नाथ खजूरिया
49.	श्रीमती शान्ता सिन्हा
50.	श्रीमती शैनि विल्सन
51.	श्री सूर्यदेवरा रामचन्द्र राव
52.	श्री उप्पलपु श्रीनिवास
53.	श्री विजय कुमार सारस्वत
54.	श्रीमती जोहरा सैगल

(अध्याय 17 पैरा 17.4 देखें)

अध्याय-18

राजभाषा

18.1 हमारे संविधान में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है । वास्तव में हिन्दी इस प्रतिष्ठा की पूर्ण हकदार है । हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिनमें से कुछ भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं । इन सभी भाषाओं का अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास और समृद्ध साहित्य है । फिर भी हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो देश के विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न भाषा-भाषियों को आपस में जोड़ती है । भाषा की दृष्टि से हिन्दी का यह रूप विभिन्न धर्मों, विश्वासों और साम्प्रदायों के परस्पर आदान-प्रदान से बना है । हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने में अहिन्दी भाषी विद्वानों, विचारकों और सन्त कवियों का उतना ही योगदान है जितना कि हिन्दी भाषा के विद्वानों का । इसके अलावा हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारने और उसका प्रचार-प्रसार करने में व्यापार और वाणिज्य, तीर्थ, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि ने भी महत्वपूर्ण योगदान किया है ।

18.2 सरकार की राजभाषा नीति बहुत उदार है । देवनागरी में लिखे जाने वाले आम बोलचाल की भाषा के शब्दों को हिन्दी का शब्द स्वीकार किया जाता है । आम-बोलचाल के शब्दों को अपनाने के पीछे मुख्य कारण है - शब्दों की शुद्धता की अपेक्षा उनके प्रयोग में सुविधा और उनका प्रचलन में होना, चाहे उनकी उत्पत्ति किसी भी भाषा से हुई हो । इस उदार नीति को अपनाने से गैर-हिन्दी भाषी लोगों द्वारा हिन्दी को स्वेच्छा से स्वीकार करने पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है । सरकार जबरदस्ती करने की बजाय प्रेरणा और प्रोत्साहन देकर सरकारी कामकाज़ में हिन्दी के प्रयोग को जागरूकता से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है ।

18.3 गृह मंत्रालय में निदेशक (राजभाषा) को मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति तथा उससे संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का दायित्व सौंपा गया है । हिन्दी के प्रयोग के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगाकर हिन्दी एकक मंत्रालय (मुख्य) और उसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है और उस पर निगरानी रखता है । संयुक्त सचिव (प्रशा.)

की अध्यक्षता में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में इन रिपोर्टों की समीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है । मंत्रालय के अनुभागों और डैस्कों तथा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हिन्दी एकक के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उनका निरीक्षण भी किया जाता है । हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते समय-समय पर हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं जहां कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने में अपनी झिझक या कठिनाइयाँ दूर करने का अवसर प्राप्त होता है । यह एकक हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों, विशेषकर आशुलिपिकों तथा अवर श्रेणी लिपिकों को भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करता है । इसके अतिरिक्त यह एकक हिन्दी सीखने और हिन्दी में कार्य करने को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं लागू करता है ।

18.4 आलोच्य वर्ष के दौरान :-

- प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गई ।
- राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी में जारी किए गए और हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए । ''क'' और ''ख'' श्रेणी में आने वाले राज्यों में स्थित कार्यालयों के साथ मूल पत्राचार हिन्दी में बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए ।
- प्रत्येक अनुभाग को अनुदेश जारी किए गए कि वे कम से कम दो ऐसे विषय निर्धारित करे जिनमें संपूर्ण रूप से हिन्दी में काम किया जाए । अधिकांश अनुभागों ने इन अनुदेशों का अनुपालन शुरु कर दिया है ।
- हिन्दी एकक के अधिकारियों ने दिल्ली में संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों के 6 कार्यालयों और दिल्ली से बाहर 19 कार्यालयों का निरीक्षण किया ।
- 1-15 सितम्बर, 1998 के दौरान हिन्दी पखवाड़ा बड़े उत्साह के साथ मनाया गया । इस पखवाड़े के दौरान हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 118 अधिकारियों/कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया ।
- प्रतियोगिता के विजेताओं को दिए जाने वाले नकद पुरस्कारों को अधिक आकर्षक बनाया गया ।
- 3 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें करीब 49 लोगों ने भाग लिया ।

- हिन्दी शिक्षण योजना के तहत 19 टाइपिस्टों और 8 आशुलिपिकों ने हिन्दी टाइपिंग/ स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया । इस समय 27 अवर श्रेणी लिपिक और 8 आशुलिपिक हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण ले रहे हैं ।

- हिन्दी में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को केन्द्रीय गृह सचिव ने 17 जुलाई, 1998 को विज्ञान भवन में आयोजित एक शानदार समारोह में राजभाषा शील्डें वितरित की । इसके अलावा हिन्दी में नोटिंग-ड्राफ्टिंग करने के लिए 10 कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया ।

राजभाषा शील्ड विजेताओं के साथ केन्द्रीय गृह सचिव

अध्याय-19

अन्य मामले

विदेशी

19.1 विदेशी प्रभाग भारत में विदेशियों के प्रवेश, प्रवास, आगमन और प्रस्थान संबंधी मामलों, भारत में विदेशी अंशदान के अंतर्वाह के विनियमन और भारतीय नागरिकता प्रदान करने संबंधी मामलों को देखता है । विदेशियों से संबंधित सभी पहलू पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1935 तथा विदेशी अधिनियम, 1946 तथा उनके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होते हैं । इसी प्रकार विदेशी अंशदान का विनियमन और भारतीय नागरिकता प्रदान करना विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और उनके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों के तहत विनियमित होता है । विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को भारत आने के इच्छुक विदेशियों को विभिन्न श्रेणियों अर्थात् पर्यटन, छात्र, व्यापार, रोजगार, अनुसंधान, सम्मेलन आदि के वीजा प्रदान करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन

19.2 भारत में वर्ष 1996 के दौरान 1,14,69,102 के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन की तुलना में वर्ष 1997 के दौरान यह आवागमन 1,23,99,490 (आगमन और प्रस्थान) रहा । वर्ष 1996 में 23,63,773 विदेशों आगंतुकों की तुलना में वर्ष 1997 में कुल 24,91,946 विदेशी आगंतुक आए । 1998 के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं ।

पंजीकृत विदेशी

19.3 वर्ष 1996 में पंजीकृत किए गए 2,27,396 विदेशियों (शरणार्थियों को छोड़कर) की तुलना में 31 दिसम्बर, 1997 को कुल 2,16,759 विदेशी (शरणार्थियों को छोड़कर) पंजीकृत किए गए ।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएं/सहयोग अनुसंधान परियोजनाएं

19.4 1 अप्रैल, 1998 से 31 जनवरी, 1999 तक 353 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएं/सेमीनार तथा 162 सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जबकि 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 1998 तक 621 सम्मेलनों और 328 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी ।

नागरिकता

19.5 1 अप्रैल, 1998 से 31 जनवरी, 1999 तक 570 विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई जबकि 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 1998 के दौरान 533 विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी । इसी अवधि के दौरान 15 व्यक्तियों की, जो भारतीय होने का दावा करते थे, राष्ट्रिक स्थिति निर्धारित की गई, जबकि पिछले वर्ष 49 व्यक्तियों की राष्ट्रिक स्थिति निर्धारित की गई थी ।

विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम

19.6 विदेशी अभिदाय (विनियमन अधिनियम), 1976 के अंतर्गत 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 1998 तक पंजीकृत किए गए 766 संगठनों की तुलना में 1 अप्रैल, 1998 से 30 जनवरी, 1999 तक 1105 संगठनों को पंजीकृत किया गया । इसी अवधि के दौरान विदेशी अंशदान स्वीकार करने की पूर्व अनुमति 747 मामलों में दी गई जबकि पिछले वर्ष यह अनुमति 514 मामलों में दी गई थी । 1 अप्रैल, 1998 से 31 जनवरी, 1999 तक विदेशी अतिथेय स्वीकार करने की पूर्व अनुमति लेने वाले 1535 व्यक्तियों के आवेदन पत्र निपटाए गए जबकि 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 1998 तक की अवधि के दौरान ऐसे 1230 मामले ही निपटाए गए ।

सतर्कता तंत्र

19.7 गृह मंत्रालय का सतर्कता प्रकोष्ठ, मुख्य सतर्कता अधिकारी (संयुक्त सचिव के स्तर का अधिकारी) के अधीन कार्य कर रहा है तथा कार्य निष्पादन में उनकी सहायता एक उप सचिव और एक अवर सचिव करते हैं । मुख्य सतर्कता अधिकारी ने केवल मंत्रालय बल्कि इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी सतर्कता संबंधी गतिविधियों के विनियमन और समन्वय के लिए जिम्मेवार है । वह सभी सतर्कता संबंधी मामलों में सचिव के लिए महत्वपूर्ण सूचना स्त्रोत भी है । वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ मिलकर कार्य करता है ।

19.8 केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर सभी केन्द्रीय पुलिस संगठनों में अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ।

19.9 जनवरी से अक्तूबर, 1998 तक की अवधि के दौरान गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामलों के संबंध में आंकड़े, इस अध्याय के अनुलग्नक-I पर दिए गए हैं ।

लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

19.10 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग) द्वारा प्रतिपादित नीति के अनुसार, गृह मंत्रालय में आन्तरिक शिकायत निवारण तंत्र (आई.जी.आर.एम.) कार्य कर रहा है । मंत्रालय में पीड़ित व्यक्तियों से सीधे प्राप्त या फिर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के माध्यम से प्राप्त समस्त शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाता है और तुरंत निपटान के लिए इन्हें गृह मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले संबंधित कार्यालयों को भेजा जाता है । वर्ष 1998-99 के दौरान, 31 जनवरी, 1999 तक के दौरान 75 शिकायतें प्राप्त हुई और इन पर ध्यान दिया गया ।

19.11 संयुक्त सचिव (प्रशासन), लोक शिकायत के प्रभारी संयुक्त सचिव हैं । उन्हें संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लोक शिकायत) का पदनाम दिया गया है । स्टाफ की शिकायतों से निपटने के लिए निदेशक (प्रशासन) को अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है । शिकायतों की अभिस्वीकृति एवं निपटान के लिए विशिष्ट समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं ।

लेखा परीक्षा आपत्तियां

19.12 गृह मंत्रालय और संघ शासित क्षेत्रों के अधीन विभिन्न कार्यालयों के लेखों का निरीक्षण, लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है । 1.1.1998 की स्थिति के अनुसार अर्द्ध-सैनिक बलों और संघ शासित क्षेत्रों (बिना विधान मंडल के) सहित इस मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में लंबित लेखा-परीक्षा पैराओं की संख्या 4086 थी । जनवरी से दिसम्बर, 1998 की अवधि के दौरान लेखा परीक्षा विभाग से 1402 पैरा प्राप्त हुए जिन्हें मिलाकर 31 जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार कुल 5488 पैरे हो गए हैं । इनमें से 1209 पैराओं का समाधान कर लिया गया और इन्हें छोड़ दिया गया, इस प्रकार 31 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार कुल 4279 पैरे शेष हैं । संगठन-वार ब्यौरा, इस अध्याय के अनुलग्नक-II में दिया गया है ।

19.13 लेखा परीक्षा पैराओं के समाधान के लिए विभिन्न संगठनों/कार्यालयों द्वारा तदर्थ समितियां गठित की गई हैं । लंबित लेखा परीक्षा आपत्तियों के समाधान की प्रगति की समीक्षा करने के लिए संबंधित संगठनों द्वारा उन समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती है ।

अनुलग्नक-I

	राजपत्रित		अराजपत्रित	
	मामले	अधिकारी	मामले	अधिकारी
1. 01.01.1998 की स्थिति के अनुसार लंबित सतर्कता/ अनुशासनिक मामलों की संख्या ।	106	114	207	217
2. 01.01.1998 से 31.10.1998 के दौरान शुरु किए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले ।	18	25	131	132
3. 01.01.1998 से 31.10.1998 के दौरान निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	29	31	145	152
4. 01.11.1998 की स्थिति के अनुसार लंबित सतर्कता/ अनुशासनिक मामले	95	108	193	197
5. निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामलों में की गई कार्रवाई :				
(क) बर्खास्तगी	2	2	13	14
(ख) हटाया जाना	1	1	10	10
(ग) अनिवार्य सेवानिवृत्ति	1	3	6	6
(घ) रैंक/वेतन में कमी, इत्यादि	1	1	27	27
(ङ) वेतन वृद्धि रोक लेना	3	2	25	25
(च) पदोन्नति रोक लेना	3	3	2	2
(छ) वेतन से वसूली के आदेश	–	–	18	18
(ज) परिनिन्दा	6	7	29	29
(झ) चेतावनी	–	–	2	2
(ञ) सरकार की नाराजगी सूचित की गई	3	3	3	4
(ट) दोषमुक्ति	6	5	4	8
(ठ) मामलों का अन्तरण	2	2	3	3
(ड) कार्रवाई बन्द की गई	1	2	3	4
कुल	29	31	145	152

अनुलग्नक-II

लंबित लेखा परीक्षा पैराओं का ब्यौरा

क्रमांक	संगठन का नाम	31.12.1997 की स्थिति के अनुसार लंबित पैरे	1.1.98 से 31.12.98 तक प्राप्त हुए पैरे	1.1.98 से 31.12.98 तक के दौरान समाशोधित पैरे	31.12.98 की समाप्ति पर लंबित पैरे
1.	गृह मंत्रालय (मुख्य)	14	–	–	14
2.	राजभाषा विभाग	44	22	17	49
3.	भारत के महापंजीयक	46	26	19	53
4.	सीमा सुरक्षा बल	425	141	243	323
5.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	159	182	124	217
6.	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	62	23	61	24
7.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	78	65	47	96
8.	आसूचना ब्यूरो	66	61	53	74
9.	एस.वी.पी. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	25	23	–	48
10.	असम राईफल्स	44	33	45	32
11.	भारत तिब्बत सीमा पुलिस	86	82	105	63
12.	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो	8	9	6	11
13.	राष्ट्रीय अपराध-शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान	21	–	–	21
14.	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो	12	–	9	3
15.	लक्षद्वीप	251	256	168	608
16.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	520	256	168	608
17.	दमन एवं द्वीव	77	41	32	86
18.	दादरा और नगर हवेली	123	38	57	104
19.	चंडीगढ़	2025	290	200	2115
	कुल	4086	1402	1209	4279

(अध्याय 19 पैरा 19.12 देखें)

परिशिष्ट

मंत्री, सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव जो वर्ष 1998-99 के दौरान गृह मंत्रालय में पदासीन रहे
गृह मंत्री
श्री लाल कृष्ण आडवाणी
गृह सचिव
श्री बी.पी. सिंह
विशेष सचिव
श्री एम. बी. कौशल श्री निखिल कुमार श्री आर.डी. कपूर
अपर सचिव
श्री एम.पी. सिंह डा. पी. डी. शेनॉय
संयुक्त सचिव
श्री बी. के. हल्दर श्री जी.के. पिल्ले श्री गुरुचरण सिंर श्री ओ.पी. आर्य श्री पी.के. जलाली श्री प्रणव राय श्री राकेश हूजा श्री एस. के. चट्टोपाध्याय श्री संदीप बागची श्रीमती संगीता गैरोला श्री शिव बसन्त श्री वी. के. मल्होत्रा श्री विनय कुमार श्री यशवन्त राज